सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

राजस्व क्षेत्र

राजस्थान सरकार

वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या 2

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

राजस्व क्षेत्र

राजस्थान सरकार
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना	–	v
विहंगावलोकन	–	vii - xii
अध्याय–I: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व की बकाया का विश्लेषण	1.2	4
कर निर्धारण में बकाया	1.3	4
विभाग द्वारा खोजे गये कर अपवंचन	1.4	5
धन वापसी के बकाया प्रकरण	1.5	6
लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सरकार/विभाग का उत्तर	1.6	6
वाणिज्यिक कर विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा	1.7	10
लेखापरीक्षा योजना	1.8	12
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.9	13
यह प्रतिवेदन	1.10	13
अध्याय–II: बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर/वैट		
कर प्रशासन	2.1	15
विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा	2.2	15
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	2.3	16
'कार्य संविदा पर मूल्य परिवर्धित कर (वैट) का आरोपण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.4	18
क्रय कर का अनारोपण	2.5	41
आगत कर लाभ की अनियमित स्वीकृति	2.6	41
अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर का कम आरोपण	2.7	42
विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	2.8	43

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रवेश कर का अनारोपण	2.9	44
अध्याय-III: वाहनों, माल और यात्रियों पर कर		
कर प्रशासन	3.1	45
विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा	3.2	45
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	3.3	46
मोटर वाहनों पर कर की वसूली नहीं करना	3.4	47
बेड़ा स्वामियों के मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथकर, अधिभार और शास्ति का कम आरोपण	3.5	48
एकमुश्त कर की बकाया किस्तों की अवसूली/कम वसूली	3.6	49
अध्याय-IV: भू-राजस्व		
कर प्रशासन	4.1	51
विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा	4.2	51
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	4.3	53
लीज किराया की अवसूली	4.4	54
भूमि की कीमत की कम वसूली	4.5	54
रूपान्तरण प्रभारों की अवसूली/कम वसूली	4.6	55
राजकीय हिस्सा राशि के प्रेषण का अभाव	4.7	56
अधिकतम आवंटन योग्य भूमि से अधिक भूमि का रियायती दर पर आवंटन के कारण भूमि की कीमत की कम वसूली	4.8	56
अध्याय-V: मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क		
कर प्रशासन	5.1	57
विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा	5.2	57
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	5.3	59
सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.4	60

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
कब्जा हस्तान्तरण के साथ विक्रय अनुबन्ध के रूप में वर्गीकृत दस्तावेज के अपंजीयन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का अनारोपण	5.5	61
मुख्तयारनामा पर मुद्रांक कर का कम आरोपण	5.6	62
विकास अनुबन्धों पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	5.7	62
सम्पत्ति को हेरिटेज मानते हुए अवमूल्यांकन तथा पट्टा विलेख पर अनियमित छूट के कारण मुद्रांक कर का कम आरोपण	5.8	66
रिप्स के अन्तर्गत अनियमित छूट प्रदान करने के कारण मुद्रांक कर की अवसूली	5.9	67
सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.10	67
दस्तावेजों को सैटलमेन्ट विलेखों के रूप में गलत वर्गीकरण पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.11	69
पट्टे का अधिन्यास के द्वारा हस्तान्तरण के गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.12	69
सम्पत्ति का मूल्यांकन व्यावसायिक के स्थान पर औद्योगिक से करने के कारण पट्टा विलेख पर मुद्रांक कर का कम आरोपण	5.13	70
अध्याय-VI: राज्य आबकारी शुल्क		
कर प्रशासन	6.1	73
विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा	6.2	73
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	6.3	75
राज्य आबकारी विभाग द्वारा जारी बार अनुज्ञापत्रों की लेखापरीक्षा	6.4	76
विशेष वेण्ड फीस की अवसूली	6.5	80
अन्य राज्यों को निर्यातित बीयर के मार्गीय क्षति पर आबकारी शुल्क का अनारोपण	6.6	81
अपेय बीयर पर आबकारी शुल्क का अनारोपण	6.7	82

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
बन्धपत्राधीन परिवहनित शोधित प्रासव की अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क का अनारोपण	6.8	82
बीयर उत्पादन में हुई अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क का अनारोपण	6.9	83
देशी मदिरा दुकानों से कम्पोजिट फीस की कम वसूली	6.10	84
अध्याय-VII: कर-इतर प्राप्तियाँ		
राजस्व प्रशासन	7.1	87
विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा	7.2	87
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	7.3	88
'अप्रधान खनिजों से प्राप्तियाँ' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	7.4	89
अधिशुल्क की अवसूली/कम वसूली	7.5	112
अधिक अधिशुल्क एवं उस पर ब्याज की वसूली का अभाव	7.6	114
परिशिष्ट		
परिशिष्ट		117

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन आर्थिक सेवाओं (राजस्व क्षेत्र) के अन्तर्गत राजस्थान सरकार के विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को दर्शाता है। इस प्रतिवेदन में वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, आबकारी, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभागों के लेखापरीक्षा परिणामों को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2013-14 के दौरान अभिलेखों की मापक लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए तथा उनमें से भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके तथा जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां वर्ष 2013-14 के बाद के प्रकरण भी शामिल हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुरूप की गई थी।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में **'कार्य संविदा पर मूल्य परिवर्धित कर (वैट) का आरोपण एवं संग्रहण'** एवं **'अप्रधान खनिजों से प्राप्तियाँ'** पर दो निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 34 अनुच्छेद सम्मिलित है, जिनमें राशि ₹ 228.02 करोड़ अन्तर्निहित हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

राजस्थान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2012-13 में ₹ 66,913.01 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 74,470.37 करोड़ थी। कर राजस्व ₹ 33,477.70 करोड़ तथा कर-इतर राजस्व ₹ 13,575.25 करोड़ को समाविष्ट करते हुए सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व की राशि ₹ 47,052.95 करोड़ थी। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 27,417.42 करोड़ (संघ के विभाज्य करों में से राज्य का भाग: ₹ 18,673.07 करोड़ तथा सहायतार्थ अनुदान: ₹ 8,744.35 करोड़) थी।

(अनुच्छेद 1.1)

दिसम्बर 2013 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति की समीक्षा से पता चलता है कि 2,896 प्रतिवेदनों में ₹ 4,592.63 करोड़ राशि के 9,477 अनुच्छेद जून 2014 के अन्त में बकाया थे।

(अनुच्छेद 1.6)

II. बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट

'कार्य संविदा पर मूल्य परिवर्धित कर (वैट) का आरोपण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- कार्य संविदा की प्राप्तियों के वर्गीकरण के लिये पृथक से उप-शीर्ष नहीं था जिसके कारण कार्य संविदा से कुल प्राप्तियों के सम्बन्ध में विभाग के कार्य निष्पादन को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(अनुच्छेद 2.4.7)

- विवरणियों के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पाया कि गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान औसतन 66 प्रतिशत व्यवहारियों ने या तो विवरणियां प्रस्तुत नहीं की थी या फिर शून्य टर्नओवर की विवरणियां प्रस्तुत की थी। विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने या शून्य टर्नओवर की विवरणियां प्रस्तुत करने के कारणों को जांचने के लिये विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि चार व्यवहारियों का कर निर्धारण शून्य टर्नओवर पर किया गया जबकि उनका टर्नओवर ₹ 91.20 करोड़ था, जिस पर कर दायित्व ₹ 1.57 करोड़ था।

(अनुच्छेद 2.4.8)

- अवार्डरों से प्राप्त होने वाले प्रपत्र वैट-40 की प्राप्ति पर निगरानी हेतु तथा जहां पर यह प्राप्त हुए हों, वहां सम्बन्धित व्यवहारियों के पंजीयन एवं कर निर्धारण हेतु इन सूचनाओं के उपयोग के लिये कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी। 12 ठेकेदार जिनका कर दायित्व ₹ 93.80 लाख था विभाग में पंजीकृत नहीं पाये गये।

(अनुच्छेद 2.4.9)

- पांच डब्ल्यू.टी. वृत्तों के निर्धारण अधिकारियों द्वारा 2008-09 से 2012-13 के दौरान 41,767 प्रपत्र वैट-41, 527 अवार्डरों को जारी किये गये, यद्यपि इन्हें जारी करने के लिये वे अधिकृत ही नहीं थे। पांच प्रकरणों में अवार्डरों द्वारा स्त्रोत पर काटे गये कर (टी.डी.एस.) को विलम्ब से जमा कराने पर, उन पर ब्याज तथा शास्ति ₹ 32.97 लाख आरोपित नहीं की गयी जबकि एक अन्य प्रकरण में टी.डी.एस. ₹ 39.12 लाख कम जमा कराया गया।

(अनुच्छेद 2.4.10 तथा 2.4.11)

- नौ प्रकरणों में उप-ठेकेदारों को करयोग्य टर्नओवर में से ₹ 79.76 करोड़ के टर्नओवर की छूट मुख्य ठेकेदारों के द्वारा कर चुकाये जाने को सुनिश्चित किये बिना ही स्वीकार की गयी।

- नौ मुख्य ठेकेदारों द्वारा उप-ठेकेदारों को भुगतान करते समय टी.डी.एस. राशि ₹ 2.39 करोड़ की कटौती नहीं की गयी। अभिलेखों में ऐसा कुछ नहीं पाया गया जिससे यह पता चल सके कि इस टर्नओवर पर मुख्य ठेकेदारों द्वारा कर चुकाया गया था।

(अनुच्छेद 2.4.12)

- निर्धारण अधिकारियों द्वारा करयोग्य टर्नओवर के निर्धारण के लिये राजस्थान वैट नियमों में बनायी गयी प्रक्रिया का सही अनुसरण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप करयोग्य टर्नओवर का कम निर्धारण हुआ तथा इससे ब्याज ₹ 0.63 करोड़ सहित कर ₹ 2.39 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.13.1)

- करमुक्ति शुल्क की गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप करमुक्ति शुल्क तथा ब्याज ₹ 12.85 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.14)

अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान संविदा ठेकेदारों को मोटर वाहनों के विक्रय पर रियायती कर का गलत लाभ दिये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.99 करोड़ के कर एवं ब्याज का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.7)

राज्य के बाहर से, व्यवसाय में उपयोग या उपभोग करने के लिये माल क्रय किया, जिस पर प्रवेश कर आरोपित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 4.72 करोड़ के कर एवं ₹ 1.69 करोड़ ब्याज की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 2.9)

III. वाहनों, माल और यात्रियों पर कर

अवधि अप्रेल 2010 से मार्च 2013 में 4,054 वाहनों से सम्बन्धित मोटर वाहन कर व विशेष पथकर ₹ 12.37 करोड़ का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 3.4)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथकर, अधिभार और शास्ति ₹ 2.81 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 3.5)

IV. भू-राजस्व

दो मामलों में, विभाग द्वारा बाड़मेर की धार्मिक संस्था तथा राजस्थान आवासन मण्डल को आवंटित भूमि की कीमत की गणना जिला स्तरीय समिति की गलत दरों को लागू कर की गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.81 करोड़ राजस्व की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.5)

भू-उपयोग परिवर्तन कराये बिना भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.87 करोड़ संपरिवर्तन प्रभारों की अवसूली अथवा कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.6)

तीन मामलों में सौर ऊर्जा उत्पादकों को जिला स्तरीय समिति दरों के 10 प्रतिशत की रियायती दर पर भूमि के आवंटन के लिये निर्धारित सीमा से 421.165 बीघा भूमि अधिक आवंटित किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 95.90 लाख की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.8)

V. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

तीन उप पंजीयकों ने शैक्षणिक संस्थानों द्वारा क्रय सम्पत्तियों का मूल्य आवासीय दर के 1.5 गुणा के स्थान पर कृषि दर पर निर्धारित किया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क राशि ₹ 59.34 लाख का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.4)

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 44(ईई)(ii) के तहत मुख्यतयारनामा धारकों को उपलब्ध मुद्रांक कर के निम्न दर का लाभ अपात्र व्यक्तियों को अनियमित रूप से दिया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 60.54 लाख के मुद्रांक कर का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.6)

प्लाटों/फ्लैटों/दुकानों के विक्रय के 42 दस्तावेजों से प्रकट हुआ कि विकासकर्ता विकसित सम्पत्ति को रखने एवं निस्तारित करने के हकदार थे। इनका कन्वैन्स विलेख में वर्गीकरण होना चाहिए था जबकि इन्हें विकास अनुबन्ध माना गया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क ₹ 13.91 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.7.1)

विकास अनुबन्धों के गलत वर्गीकरण तथा सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क राशि ₹ 26.48 करोड़ का कम आरोपण रहा।

(अनुच्छेद 5.7.2)

उप पंजीयक द्वारा अधिसूचना दिनांक 24 मार्च 2005 के उल्लंघन में सम्पत्ति को हेरिटेज सम्पत्ति मानते हुए मुद्रांक कर में छूट अनुमत्य की गयी जबकि सम्पत्ति न तो हेरिटेज सम्पत्ति थी न ही पर्यटन विभाग द्वारा ऐसी घोषित थी। उप पंजीयक द्वारा सम्पत्ति को आंशिक औद्योगिक और आंशिक आवासीय मानते हुये अवमूल्यांकन भी किया गया जिनके परिणामस्वरूप ₹ 4.39 करोड़ की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 5.8)

VI. राज्य आबकारी शुल्क

केन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट द्वारा आई.एम.एफ.एल. तथा बीयर पर स्पेशल वेण्ड फीस राशि ₹ 3.69 करोड़ न तो जमा कराये गये ओर न ही सरकार द्वारा मांगे गये जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 3.69 करोड़ स्पेशल वेण्ड फीस की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 6.5)

जिला आबकारी अधिकारी, अलवर के अन्तर्गत 1.55 लाख बल्क लीटर (19,851 कार्टन) बीयर जिसमें राशि ₹ 66.66 लाख का आबकारी शुल्क सन्निहित था। पांच ब्रेवरीज द्वारा भेजे जाने पर गन्तव्य स्थान पर सुपुर्दगी कम की गयी अथवा नहीं की गयी। ब्रेवरीज द्वारा न तो शुल्क अदा किया गया और न ही विभाग द्वारा मांगा गया। परिणामस्वरूप राशि ₹ 66.66 लाख की राज्य आबकारी शुल्क की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 6.6)

जिला आबकारी अधिकारी, बहरोड़ के अन्तर्गत बीयर के 7,609 कार्टन उनके उत्पादन की दिनांक से छः माह से अधिक अवधि तक विक्रय न होने के कारण भण्डागारों में अपेय हो चुके थे। विभाग द्वारा न तो शुल्क की वसूली की गयी और न ही प्रकरण को आयुक्त, राज्य आबकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। परिणामस्वरूप राशि ₹ 29.41 लाख की राज्य आबकारी शुल्क की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 6.7)

जिला आबकारी अधिकारी, अलवर के अन्तर्गत मासिक स्टेटमेन्ट जुलाई 2012 की संवीक्षा में पाया गया कि 41.01 लाख बी.एल. बीयर के स्थान पर 40.06 लाख बी.एल. बीयर का उत्पादन दिखाया गया था जिससे अनुमत्य क्षति से अधिक क्षति 0.81 लाख बी.एल. बीयर पायी गयी। परिणामस्वरूप राशि ₹ 36.92 लाख की राज्य आबकारी शुल्क की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 6.9)

VII. कर-इतर प्राप्तियाँ

'अप्रधान खनिजों से प्राप्तियाँ' पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताओं/कमियों का पता चला।

- दस सहायक खनि अभियंताओं/खनि अभियंताओं के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि 289 खनन पट्टेधारियों, अनुमति पत्रधारियों एवं ठेकेदारों से पर्यावरण प्रबन्धन निधि ₹ 6.53 करोड़ का संग्रहण नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 7.4.10)

- अवैध खनन की जांच एवं अप्रधान खनन पट्टों के आवंटन के पांच मामलों में नौ समितियां/संयुक्त निरीक्षण दल गठित किये गये। इनमें से, मोडा पहाड़ के एक मामले में चार समितियां/संयुक्त जांच टीमें जबकि एक अन्य मामले में दो समितियों का गठन किया गया जिनके कोई सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। अवैध खनिज उत्खनन में कुल ₹ 177.08 करोड़ राजस्व निहित है।

(अनुच्छेद 7.4.11)

- चयनित 11 खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि 5,250 अपील के प्रकरणों में से 4,588 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा 662 प्रकरण विभाग के पास लंबित रहे।

(अनुच्छेद 7.4.12)

- सीकर जिले में नोबल मेटल के लिये आरक्षित क्षेत्र में चेजा पत्थर के खनन पट्टे स्वीकृत किये गये।

(अनुच्छेद 7.4.13)

- सात खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों में अधिशुल्क निर्धारण के 10,751 मामलों में से 8,177 मामलों का ही निपटान किया गया। शेष 2,574 अधिशुल्क निर्धारण प्रकरण 31 मार्च 2013 तक लंबित रहे। अधिशुल्क निर्धारण के निपटान की कोई समय सीमा निश्चित नहीं थी।

(अनुच्छेद 7.4.14.1)

- यह देखा गया कि 75 ठेकेदारों द्वारा चेजा पत्थर, बजरी, मुर्रम, साधारण मिट्टी इत्यादि खनिजों का बिना अल्पावधि अनुमति पत्र के अथवा अल्पावधि अनुमति पत्र में अनुमत्य मात्रा से 25 प्रतिशत से अधिक का खनन/उपयोग किया गया। अवैध रूप से उत्खनित खनिज की कीमत ₹ 8.33 करोड़ आंकी गई।

(अनुच्छेद 7.4.15)

- सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को अवधि 2009-10 से 2012-13 के दौरान जारी ₹ 10.41 करोड़ अधिशुल्क राशि के 1,969 अल्पावधि अनुमति पत्र, नौ खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों में अधिशुल्क निर्धारण हेतु लंबित रहे।

(अनुच्छेद 7.4.19)

- विभाग द्वारा 2004-05 से आन्तरिक लेखापरीक्षा सम्पादित नहीं की जा रही है। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निरीक्षण भी नहीं किये गये। निर्धारित मात्रा से अधिक खनिज उत्खनन का पता लगाने के लिये राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के मध्य कोई समन्वय नहीं पाया गया।

(अनुच्छेद 7.4.20)

एक पट्टेधारी द्वारा, खनि अभियंता द्वारा निर्धारित की गई मात्रा से अधिक खनिज का उत्खनन कर निर्गमन किया गया। जिसके परणिामस्वरूप खनिज क्वार्ट्ज एवं फैल्सपार पर अधिशुल्क की राशि ₹ 2.46 करोड़ की अवसूली/कम वसूली रही।

(अनुच्छेद 7.5)

अध्याय–I सामान्य

अध्याय-I : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-इतर प्राप्तियाँ, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़ों की स्थिति नीचे तालिका 1.1.1 में दर्शायी गई है:

तालिका 1.1.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	• कर राजस्व	16,414.27	20,758.12	25,377.05	30,502.65	33,477.70
	• कर इतर राजस्व	4,558.22	6,294.12	9,175.10	12,133.59	13,575.25
	योग	**20,972.49**	**27,052.24**	**34,552.15**	**42,636.24**	**47,052.95**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग	9,258.13	12,855.63	14,977.05	17,102.85	18,673.07
	• सहायतार्थ अनुदान	5,154.39	6,020.33	7,481.56	7,173.92	8,744.35
	योग	**14,412.52**	**18,875.96**	**22,458.61**	**24,276.77**	**27,417.42**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 और 2)**	**35,385.01**	**45,928.20**	**57,010.76**	**66,913.01**	**74,470.37**[1]
4.	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**59**	**59**	**61**	**64**	**63**

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 47,052.95 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 63 प्रतिशत रहा। वर्ष 2013-14 में शेष 37 प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग एवं सहायतार्थ अनुदान से प्राप्त हुई थी।

[1] ब्यौरे के लिए कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2013-14 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या-11-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें। वित्त लेखों में 'क-कर राजस्व के अन्तर्गत प्रदर्शित मद 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0022-कृषि आय पर कर, 0032-सम्पदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044-सेवा कर-शुद्ध प्राप्तियों में से राज्य को दिया गया भाग' के आंकड़ों को उपर्युक्त विवरण में 'राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व' में से घटाया गया है एवं 'विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग' में जोड़ा गया है।

1.1.2 बजट अनुमान व वास्तविक प्राप्तियां वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के सम्बन्ध में विवरण निम्न तालिका 1.1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.1.2

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान / वास्तविक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2013-14 में 2012-13 पर वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	बजट अनुमान	9,599.64	11,514.82	13,088.08	15,402.08	19,528.00	
	वास्तविक	9,681.38	11,901.24	14,665.63	17,214.34	19,834.72	(+)15
केन्द्रीय बिक्री कर	बजट अनुमान	430.36	215.18	401.92	1,147.92	1,522.00	
	वास्तविक	482.15	728.35	1,100.80	1,360.31	1,380.79	(+)2
राज्य आबकारी शुल्क	बजट अनुमान	2,300.00	2,450.00	2,623.00	3,250.00	4,500.00	
	वास्तविक	2,300.48	2,861.41	3,287.05	3,987.83	4,981.59	(+)25
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क							
मुद्रांक-न्यायिक	बजट अनुमान	46.47	35.60	43.15	60.14	105.40	
	वास्तविक	30.47	43.07	79.40	144.27	104.59	(-)28
मुद्रांक-गैर न्यायिक	बजट अनुमान	1,393.53	1,379.48	1,577.08	2,264.97	3,268.57	
	वास्तविक	1,104.79	1,522.01	2,153.68	2,693.13	2,577.76	(-)4
पंजीयन शुल्क	बजट अनुमान	210.00	234.92	279.77	474.89	526.03	
	वास्तविक	227.68	375.96	418.29	497.47	442.98	(-)11
मोटर वाहनों पर कर	बजट अनुमान	1,300.00	1,450.00	1,650.00	1,900.00	2,500.00	
	वास्तविक	1,372.87	1,612.25	1,927.05	2,283.13	2,498.90	(+)9
विद्युत पर कर एवं शुल्क	बजट अनुमान	707.23	778.80	846.64	1,505.25	1,512.61	
	वास्तविक	699.99	905.81	1,094.48	1,570.06	948.93	(-)40
भू-राजस्व	बजट अनुमान	250.06	185.06	196.06	196.06	185.51	
	वास्तविक	147.66	222.17	209.01	304.55	337.98	(+)11
माल एवं यात्रियों पर कर	बजट अनुमान	225.00	252.00	265.00	280.00	300.00	
	वास्तविक	176.10	230.69	220.13	248.57	287.92	(+)16
वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	बजट अनुमान	69.59	74.99	78.74	50.99	55.00	
	वास्तविक	58.52	64.43	43.44	48.47	68.46	(+)41
अन्य कर इत्यादि[2]	बजट अनुमान	209.77	450.00	300.00	300.00	50.00	
	वास्तविक	132.18	290.73	178.09	150.52	13.08	(-)91
योग	**बजट अनुमान**	**16,741.65**	**19,020.85**	**21,349.44**	**26,832.30**	**34,053.12**	
	वास्तविक	**16,414.27**	**20,758.12**	**25,377.05**	**30,502.65**	**33,477.70**	**9.75**
पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत			**26.46**	**22.24**	**20.19**	**9.75**	

विगत चार वर्षों में लगातार राजस्व संग्रहण में वृद्धि रही थी। वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व की सबसे कम वृद्धि (9.75 प्रतिशत) रही।

[2] आय तथा व्यय पर अन्य कर, व्यापार तथा वृत्ति पर कर, श्रम एवं रोजगार तथा भूमि कर।

'अन्य कर' में गिरावट (91 प्रतिशत) मुख्यत: राज्य में भूमि कर के उन्मूलन के कारण रही जबकि विद्युत पर कर एवं शुल्क में गिरावट (40 प्रतिशत) के कारण विभाग से मांगे जाने पर भी प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2014)।

1.1.3 बजट अनुमान व वास्तविक प्राप्तियां वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान एकत्रित कर-इतर राजस्व के सम्बन्ध में विवरण निम्न तालिका 1.1.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.1.3

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान वास्तविक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2013-14 में 2012-13 पर वृद्धि (+) / कमी (-) की प्रतिशतता
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	बजट अनुमान	1,450.00	1,760.00	2,060.00	2,500.00	3,210.00	
	वास्तविक	1,612.26	1,929.58	2,366.32	2,838.59	3,088.66	(+)9
ब्याज प्राप्तियाँ	बजट अनुमान	1,189.32	1,129.25	1,229.22	1,428.79	1,933.88	
	वास्तविक	1,185.45	1,276.70	1,714.53	2,067.00	2,142.49	(+)4
विविध सामान्य सेवाएं	बजट अनुमान	1,342.83	216.02	195.40	324.29	576.17	
	वास्तविक	739.30	271.19	353.09	686.10	846.36	(+)23
पुलिस	बजट अनुमान	102.00	200.00	150.00	165.00	170.48	
	वास्तविक	126.24	133.93	143.54	192.07	167.27	(-)13
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	बजट अनुमान	52.82	61.49	60.99	78.88	89.94	
	वास्तविक	49.12	80.33	110.99	85.50	147.38	(+)72
वृहद एवं मध्यम सिंचाई	बजट अनुमान	59.76	61.27	69.21	122.21	90.62	
	वास्तविक	48.83	86.04	91.83	87.21	80.62	(-)8
वानिकी एवं वन्य जीवन	बजट अनुमान	56.79	61.50	61.60	56.05	66.67	
	वास्तविक	56.35	93.20	74.95	91.24	77.52	(-)15
सार्वजनिक निर्माण	बजट अनुमान	64.00	70.00	75.75	75.75	65.00	
	वास्तविक	62.75	62.10	55.85	57.63	69.16	(+)20
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	बजट अनुमान	31.84	42.78	48.17	61.88	61.00	
	वास्तविक	56.55	45.46	59.38	96.04	65.61	(-)32
सहकारिता	बजट अनुमान	30.00	23.81	21.12	23.65	20.42	
	वास्तविक	21.03	16.35	22.38	22.02	18.80	(-)15
अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ[3]	बजट अनुमान	903.64	1,349.82	2,466.69	4,114.64	6,370.23	
	वास्तविक	600.34	2,299.24	4,182.24	5,910.19	6,871.38	(+)16
योग	**बजट अनुमान**	**5,283.00**	**4,975.94**	**6,438.15**	**8,951.14**	**12,654.41**	
	वास्तविक	**4,558.22**	**6,294.12**	**9,175.10**	**12,133.59**	**13,575.25**	**(+)12**
पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत			**38.08**	**45.77**	**32.24**	**11.88**	

[3] आवास, ग्राम तथा लघु उद्योग, मछली-पालन, लाभांश तथा लाभ, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में अंशदान और वसूली इत्यादि, से अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ संस्थापित है।

विगत चार वर्षों से कर इतर राजस्व संग्रहण में लगातार वृद्धि रही। जबकि वर्ष 2013-14 में सबसे कम वृद्धि (11.88 प्रतिशत) रही।

अन्य प्रशासनिक सेवाएं शीर्ष में (72 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यत: नागरिक सुरक्षा, मोटर गैराज व अन्य प्राप्तियों मद में अधिक प्राप्ति के कारण रही।

1.2 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2014 के कुछ मुख्य शीर्षों में राजस्व की बकाया की राशि ₹ 4,032.86 करोड़ जिनमें से ₹ 1,476.82 करोड़, पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे का वर्णन निम्न तालिका 1.2 में दिया गया है:

तालिका 1.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2014 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2014 तक पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि
1.	वाणिज्यिक कर	3,026.15	1,096.18
2.	परिवहन	63.82	19.30
3.	भू-राजस्व	356.87	56.25
4.	पंजीयन एवं मुद्रांक	172.63	52.93
5.	राज्य आबकारी	219.82	203.88
6.	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	193.57	48.28
	योग	**4,032.86**	**1,476.82**

स्रोत: सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचनाओं के आधार पर।

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि ₹ 1,476.82 करोड़ पांच वर्षों से अधिक से बकाया है। बकाया किस स्तर पर हैं, जानने के लिये विभागों को लिखा गया (नवम्बर 2014) किन्तु विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित नहीं किया गया। राज्य आबकारी विभाग द्वारा सूचित किया गया कि ₹ 35.55 करोड़ के प्रकरण अपलेखन हेतु सरकार को प्रस्तुत कर दिये गये हैं तथा अन्य प्रकरणों में भी लगातार कार्यवाही जारी है।

1.3 कर निर्धारण में बकाया

वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभागों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण, निर्धारण हेतु देय प्रकरण, वर्ष के दौरान निस्तारण हुए प्रकरण और वर्ष के अंत में निस्तारण हेतु शेष प्रकरणों का विवरण निम्न तालिका 1.3 में दिया गया है:

तालिका 1.3

विभाग का नाम	प्रारंभिक शेष	वर्ष 2013-14 के दौरान निर्धारण हेतु देय नये प्रकरण	कुल देय निर्धारण	वर्ष 2013-14 के दौरान निस्तारित प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	निस्तारण का प्रतिशत (कॉलम 5 से 4 तक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वाणिज्यिक कर	20	3,72,542	3,72,562	3,72,547	15	99.99
पंजीयन एवं मुद्रांक	5,750	5,378	11,128	4,288	6,840	38.53
खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	14,933	13,138	28,071	16,739	11,332	60.00

स्रोत: सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचनाओं के आधार पर।

जैसाकि उपरोक्त से स्पष्ट है कि निस्तारित प्रकरणों का प्रतिशत पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में काफी कम है। विभाग को प्रकरणों के निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

1.4 विभाग द्वारा खोजे गये कर अपवंचन

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा खोजे गये कर अपवंचन के प्रकरणों, निस्तारित प्रकरणों एवं अतिरिक्त कर की कायम की गयी मांगों के प्रकरणों का विवरण निम्न तालिका 1.4 में दिया गया है:

तालिका 1.4

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013 को बकाया प्रकरण	वर्ष 2013-14 के दौरान खोजे प्रकरण	योग	प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूरी होने एवं अतिरिक्त मांग मय शास्ति की गयी		निस्तारण हेतु 31 मार्च 2014 को बकाया प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	वाणिज्यिक कर	201	4,379	4,580	4,248	217.98	332

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर।

जैसाकि उपरोक्त तालिका में देखा गया कि वर्ष 2013-14 के दौरान कुल प्रकरणों में से 93 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण किया गया था। जबकि इन प्रकरणों के

निपटारे में कितनी राशि की वसूली हुई, विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया (दिसम्बर 2014)।

1.5 धन वापसी के बकाया प्रकरण

विभाग द्वारा बताये अनुसार गत वर्ष 2013-14 के प्रारम्भ में धन वापसी के प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान धन वापसी के निपटाये गये प्रकरण एवं वर्ष 2013-14 के अंत में बकाया प्रकरणों की संख्या को निम्न तालिका 1.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.5

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		पंजीयन एवं मुद्रांक	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे	182	63.34	918	3.70
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये दावे	5,392	503.13	1,864	8.68
3.	वर्ष के दौरान निपटाये धन वापसी के प्रकरण	5,368	467.89	1,953	7.47
4.	वर्ष के अंत में बकाया दावे	206	98.58	829	4.91

उपरोक्त से पता चलता है कि वाणिज्यिक कर विभाग में धन वापसी प्रकरणों में वृद्धि रही जबकि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में बकाया प्रकरणों में कमी आयी। सम्बन्धित विभागों को बकाया प्रकरणों में शीघ्र निस्तारण हेतु उचित कार्यवाही करनी चाहिए। यह न केवल दावाकर्ता के लिये लाभकारी होगा बल्कि देरी से निस्तारित प्रकरणों पर दिये जाने वाले ब्याज के भुगतान से भी सरकार की बचत हो सकेगी।

1.6 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सरकार/विभाग का उत्तर

निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन एवं कार्य निष्पादन की मापक जांच के लिए महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर सरकारी विभागों का सामयिक निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं, जिन्हें स्थल पर ही निस्तारित नहीं किया गया, उनको सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष तथा उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रतिलिपि भेजते हुए जारी किये जाते हैं। कार्यालय प्रमुखों/सरकार को निरीक्षण

प्रतिवेदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना के माध्यम से महालेखाकार को प्रतिवेदित करना होता है। गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

31 दिसम्बर 2013 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति की समीक्षा से पता चलता है कि 2,896 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 4,592.63 करोड़ राशि के 9,477 अनुच्छेद जून 2014 के अन्त में बकाया थे। जून 2014 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आक्षेपों का विवरण, विगत दो वर्षों के आंकड़ों के साथ निम्न तालिका 1.6 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6

विवरण	जून 2012	जून 2013	जून 2014
निस्तारण हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,628	2,882	2,896
बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	8,260	9,489	9,477
सन्निहित राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	5,958.95	7,731.42	4,592.63

1.6.1 विभागानुसार 30 जून 2014 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आक्षेपों तथा उनमें सन्निहित राशि का विवरण नीचे तालिका 1.6.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6.1

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृत्ति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1.	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्य परिवर्धित कर	590	2,595	835.86
		मनोरंजन कर, विलासिता कर इत्यादि	24	27	0.07
2.	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	435	1,495	186.69
3.	भू-राजस्व	भू-राजस्व	178	408	745.92
4.	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,258	3,342	204.47
5.	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी शुल्क	109	214	80.37
6.	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	302	1,396	2,539.25
योग			**2,896**	**9,477**	**4,592.63**

वर्ष 2013-14 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 24 प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रथम अनुपालना निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त नहीं हुई। बड़ी संख्या में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन इस तथ्य का सूचक हैं कि लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में बतायी गयी कमियों, त्रुटियों एवं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यालय प्रमुखों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा यथेष्ठ कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी।

सरकार को सम्बन्धित विभागों को इस सम्बन्ध में सलाह देनी चाहिए कि वे लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई कमियों व त्रुटियों को ठीक करने के लिये और अधिक प्रयास करें। कार्यालय प्रमुख को निर्धारित समय में प्रथम अनुपालना भिजवाने हेतु भी निर्देश देवें।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की निगरानी एवं शीघ्र प्रगति के लिए सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया है। वर्ष 2013-14 के दौरान सम्पन्न हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण तालिका 1.6.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6.2

क्र. सं.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	वाणिज्यिक कर	4	शून्य	शून्य	शून्य
2.	परिवहन	3	शून्य	शून्य	शून्य
3.	भू-राजस्व	2	11	74	117.62
4.	पंजीयन एवं मुद्रांक	4	6	70	0.80
5.	राज्य आबकारी	4	शून्य	शून्य	शून्य
6.	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	4	शून्य	शून्य	शून्य
योग		**21**	**17**	**144**	**118.42**

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि भू-राजस्व और मुद्रांक कर में छः बैठकें हुई व 144 अनुच्छेदों का निस्तारण किया गया। जबकि वाणिज्यिक कर विभाग, परिवहन विभाग, राज्य आबकारी विभाग, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभागों द्वारा 15 बैठकें आयोजित की गयी किन्तु एक भी अनुच्छेद का निस्तारण नहीं किया गया।

1.6.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की अनुक्रिया

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेद, महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित कर यह अनुरोध करते हुए भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर छः सप्ताह में भिजवा दें। सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेद के अन्त में दर्शाया जाता है।

41 ड्राफ्ट पैरा (इस प्रतिवेदन के 34 अनुच्छेदों में संकलित) जिनमें दो निष्पादन लेखापरीक्षा भी शामिल है सम्बन्धित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों को उनके नाम से अप्रेल से दिसम्बर 2014 के मध्य में प्रेषित किये गये थे। विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों द्वारा चार प्रारूप अनुच्छेदों के उत्तर नहीं दिये गये जिनको उसी रूप में बिना सरकार के उत्तर के इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.6.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

राजस्थान राज्य विधानसभा की जनलेखा समिति के लिए वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्य विधियों के अनुसार, विधानसभा में भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के पश्चात विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्यवाही प्रारम्भ करेगा तथा प्रतिवेदन को विधान पटल पर रखने के तीन महिने में सरकार द्वारा क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां विचार-विमर्श के लिए जनलेखा समिति को प्रेषित करनी चाहिए। इन प्रावधानों के होते हुए भी प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणी अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की जा रही हैं। राज्य विधानसभा के समक्ष 12 मार्च 2010 से 18 जुलाई 2014 के मध्य, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के राजस्थान सरकार के राजस्व क्षेत्र पर 31 मार्च 2009, 2010, 2011, 2012 और 2013 को समाप्त होने वाले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जिनमें निष्पादन लेखापरीक्षा सहित कुल 190 अनुच्छेद शामिल थे, को प्रस्तुत किया गया। सम्बन्धित विभागों से इन अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ प्रत्येक प्रतिवेदन पर औसतन 70 दिवस विलम्ब से प्राप्त हुई। जनलेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन 2008-09 से 2009-10 के कुल 62 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की गयी थी और 45 अनुच्छेदों पर इनकी सिफारिशों को पांच प्रतिवेदन (2011-12 से 2013-14) में सम्मिलित किया गया है। परिवहन विभाग से जनलेखा समिति की 19 सिफारिशों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी जिनको निम्न तालिका 1.6.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6.4

वर्ष	परिवहन विभाग
2008-09	11
2009-10	8
योग	19*

* क्रियान्विति विषयक टिप्पणी 16.1.2015 को देय।

1.7 वाणिज्यिक कर विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा

सरकार/विभागों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विशिष्टता के साथ दर्शाये गये मुद्दों पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा करने के लिए विगत दस वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित अनुच्छेदों एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में एक विभाग का मूल्यांकन किया गया।

आगामी अनुच्छेद 1.7.1 से 1.7.2 में विगत दस वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये प्रकरणों पर एवं वर्ष 2003-04 से 2012-13 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित मामलों पर वाणिज्यिक कर विभाग के कार्य निष्पादन पर चर्चा की गयी है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

30 सितम्बर 2014 को वाणिज्यिक कर विभाग के विगत दस वर्षों के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में, इन प्रतिवेदनों में समाहित अनुच्छेदों तथा उनकी स्थिति का संक्षिप्त विवरण तालिका 1.7.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.7.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के अन्त में शेष		
		नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि
1.	2004-05	274	1,263	456.49	203	838	264.02	95	719	231.77	382	1,382	488.74
2.	2005-06	382	1,382	488.74	228	910	655.53	289	972	560.63	321	1,320	583.64
3.	2006-07	321	1,320	583.64	174	594	327.13	129	557	282.57	366	1,357	628.20
4.	2007-08	366	1,357	628.20	140	617	387.30	113	604	303.46	393	1,370	712.04
5.	2008-09	393	1,370	712.04	78	452	136.57	73	472	387.86	398	1,350	460.75
6.	2009-10	398	1,350	460.75	81	558	56.99	36	296	173.27	443	1,612	344.47
7.	2010-11	443	1,612	344.47	66	633	142.76	33	342	44.47	476	1,903	442.76
8.	2011-12	476	1,903	442.76	104	867	1,897.45	35	354	31.20	545	2,416	2,309.01
9.	2012-13	545	2,416	2,309.01	88	689	1,087.44	21	338	134.77	612	2,767	3,261.68
10.	2013-14	612	2,767	3,261.68	72	526	87.57	73	834	2,565.68	611	2,459	783.57

सरकार द्वारा लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकें महालेखाकार कार्यालय व विभाग के मध्य पुराने अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु आयोजित की जाती है। जबकि विगत पांच वर्षो से लगातार वर्ष 2013-14 को छोड़कर बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों व अनुच्छेदों में बढ़ोत्तरी हो रही है। यह तथ्य इंगित करता है कि विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये हैं जिसकी परिणति बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन व अनुच्छेदों की वृद्धि में हुई।

1.7.2 स्वीकार प्रकरणों में वसूली

वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित विगत दस वर्षो में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा जो विभाग द्वारा स्वीकार किये गये और जिनमें वसूली हुई, को निम्न तालिका 1.7.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.7.2

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेदों की धन राशि	स्वीकार्य अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकार्य अनुच्छेदों की धन राशि	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	31 मार्च 2014 तक कुल वसूली
2003-04	7	28.19	6	14.08	0	2.85
2004-05	13	98.45	8	3.06	0	1.59
2005-06	14	100.98	10	10.05	0	1.55
2006-07	9	150.60	6	144.26	0.01	0.15
2007-08	5	17.88	3	0.82	0.22	0.54
2008-09	10	28.24	7	17.79	0	0.96
2009-10	8	4.47	6	3.38	0.60	1.18
2010-11	9	105.18	9	3.38	0	1.95
2011-12	6	396.20	5	337.28	3.05	3.05
2012-13	7	161.16	7	14.51	7.14	7.14
योग	**88**	**1,091.45**	**67**	**548.61**	**11.02**	**20.96**

विभाग द्वारा दस वर्षो के दौरान राशि ₹ 1,091.45 करोड़ के 88 अनुच्छेदों के विरूद्ध केवल ₹ 20.96 करोड़ की वसूली की जा सकी। जबकि राशि ₹ 548.61 करोड़ के 67 अनुच्छेदों को विभाग द्वारा स्वीकार किया जा चुका था। आक्षेपों की स्वीकार राशि में से केवल 3.82 प्रतिशत की ही वसूली हुई थी।

विभाग को स्वीकार प्रकरणों में सन्निहित राशि की वसूली पर निगरानी एवं अनुसरण हेतु शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

1.7.3 सरकार/विभाग द्वारा स्वीकार्य सिफारिशों पर कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारूप को सम्बन्धित विभागों/ सरकारों को प्रत्युत्तर की अपेक्षा के साथ उनके सूचनार्थ भेजा जाता है। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर समापन सभाओं में भी चर्चा की जाती है तथा सरकार/विभाग के विचारों को, निष्पादन लेखापरीक्षा को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु अंतिम रूप देते समय, सम्मिलित किया जाता है।

वाणिज्यिक कर विभाग में पिछले पांच वर्षों में चार निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी जिनमें 24 सिफारिशें कर संग्रहण की प्रणाली एवं कार्य में सुधार हेतु की गयी। विभाग द्वारा सभी सिफारिशों को स्वीकार्य किया गया और 14 सिफारिशों के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए संव्यवहारों के प्रति सत्यापन, अपील प्रकरणों में निस्तारण, कम्प्यूटराईज्ड प्रणाली के अंतर्गत घोषणा पत्रों का ऑनलाइन प्रदर्शन, वार्षिक विवरणी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का परीक्षण, आगत कर-अनुमत्य करने से पूर्व में जमा कर का सत्यापन इत्यादि पर निर्देश/मार्गदर्शन जारी किये गये। शेष दस सिफारिशों के लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति प्राप्त नहीं हुई हैं (दिसम्बर 2014)।

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को, उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, जोखिम विश्लेषण के साथ-साथ सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन में सन्निहित महत्वपूर्ण बिन्दुओं जैसे बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत-पत्र, वित्त आयोग (राज्य एवं केन्द्रीय) के प्रतिवेदनों, कराधान सुधार समिति की सिफारिशों, गत पांच वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सांख्यिकीय विश्लेषण, गत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा से आच्छादित क्षेत्र तथा इसके प्रभाव आदि के आधार पर तैयार की गयी है।

वर्ष 2013-14 के दौरान, 345 इकाइयों की योजना बनाई गई जिनमें से 343 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी।

कुल दो निष्पादन लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक कर विभाग और खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग में प्रत्येक में एक, राजस्व प्रशासन प्रणाली की दक्षता के परीक्षण हेतु की गयी।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2013-14 के दौरान वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, राज्य आबकारी, खान एवं अन्य विभागीय कार्यालयों की 343 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच में 23,612 प्रकरणों में ₹ 790.81 करोड़ राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण/राजस्व हानि आदि का पता चला। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों में निहित राशि ₹ 452.57 करोड़ के 24,483 प्रकरण स्वीकार किये, जिनमें से ₹ 75.79 करोड़ सन्निहित राशि के 7,179 प्रकरण वर्ष 2013-14 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2013-14 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 7,398 प्रकरणों में ₹ 36.45 करोड़ वसूल किये।

1.10 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में ₹ 228.02 करोड़ वित्तीय प्रभाव के 34 अनुच्छेद (उपरोक्त वर्णित लेखापरीक्षा के दौरान या पूर्व के वर्षों में जिनका पता चला किन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके) समाहित हैं जिनमें 'कार्य संविदा पर वैट का आरोपण एवं संग्रहण' व 'अप्रधान खनिजों से प्राप्तियाँ' पर दो निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल हैं।

विभाग/सरकार ने ₹ 97.66 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की, जिनमें ₹ 5.08 करोड़ वसूल भी कर लिए गये। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए या संतोषप्रद नहीं पाये गये। इन पर आगामी अध्याय-II से VII में चर्चा की गई है।

अध्याय–II

बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर/वैट

अध्याय–II: बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर/वैट

2.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/वैट अधिनियमों एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों को लागू करवाना, शासन स्तर पर प्रमुख शासन सचिव (वित्त) के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रमुख होता है, जिनकी सहायता हेतु 27 अतिरिक्त आयुक्त, 48 उपायुक्त, 98 सहायक आयुक्त, 146 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 402 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं 1 वित्तीय सलाहकार होते हैं। सम्बन्धित कर अधिनियमों एवं नियमों को लागू करवाने में कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं अधीनस्थ स्टाफ सहयोग प्रदान करते हैं।

वैट, प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण तथा ब्याज एवं शास्ति का आरोपण 'राजस्थान वैट अधिनियम', 'राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम' एवं उनके अधीन निर्मित नियमों और समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा विनियमित होते हैं।

2.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह का प्रमुख वित्तीय सलाहकार होता है। समूह को निर्धारण प्रकरणों की मापक जांच, जो अनुमोदित कार्य योजना, जिसे परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बनाया जाता है, नियमों एवं अधिनियमों तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, की जाती है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा विगत पांच वर्षों में लेखापरीक्षा की गयी इकाइयों की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिए ड्यू इकाइयाँ	लेखापरीक्षा के लिये कुल ड्यू इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयाँ	कमी प्रतिशतता में
2009-10	104	393	497	299	198	40
2010-11	198	384	582	489	93	16
2011-12	93	384	477	411	66	14
2012-13	66	384	450	267	183	41
2013-14	183	414	597	287	310	52

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा किये जाने में 14 से 52 प्रतिशत के मध्य कमी रही।

यह भी देखा गया कि वर्ष 2013-14 के अन्त में आन्तरिक लेखापरीक्षा के 17,921 अनुच्छेद बकाया थे। वर्षवार बकाया अनुच्छेदों की स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	2008-09 तक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	योग
अनुच्छेदों की संख्या	10,702	1,520	1,402	1,661	1,386	1,250	**17,921**

बड़ी संख्या में अनुच्छेदों का बकाया होना तथा उनका निस्तारण नहीं होना यह दर्शाता है कि विभाग स्वयं के आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के द्वारा लिये गये आक्षेपों के निपटान की निगरानी नहीं कर रहा है।

यह सिफारिश की जाती है कि विभाग आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के द्वारा लिये गये आक्षेपों के समाधान के लिये शीघ्र प्रभावी कार्यवाही करें।

2.3 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013-14 में 54 इकाइयों के वैट/बिक्री कर निर्धारणों एवं अन्य अभिलेखों की मापक जांच के दौरान 972 प्रकरणों में ₹ 85.70 करोड़ के कर अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमिततायें पायी गई, जो तालिका में निम्नलिखित श्रेणियों में दर्शायी गयी है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	**'कार्य संविदा पर वैट का आरोपण एवं संग्रहण'** पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	22.28
2.	कर का अवनिर्धारण	372	49.51
3.	त्रुटिपूर्ण विधिक प्रपत्र स्वीकार करना	109	3.18
4.	क्रय/विक्रय को छुपाने के कारण कर चोरी	22	1.98
5.	आगत कर क्रेडिट को अनियमित/गलत/अधिक स्वीकार करना	157	3.78
6.	अन्य अनियमिततायें		
	(i) राजस्व से सम्बन्धित	264	4.17
	(ii) व्यय से सम्बन्धित	47	0.80
योग		**972**	**85.70**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 608 प्रकरणों में ₹ 7.33 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जो कि पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2013-14 के दौरान 145 प्रकरणों में ₹ 1.18 करोड़ वसूल किये गये।

लेखापरीक्षा द्वारा छः प्रकरणों में सरकार को ड्राफ्ट पैराग्राफ्स जारी किये जाने के पश्चात विभाग ने इनको स्वीकार करते हुए ₹ 36.54 लाख की सम्पूर्ण राशि वसूल कर ली। इस प्रतिवेदन में उक्त ड्राफ्ट पैराओं की चर्चा नहीं की गयी है।

'कार्य संविदा पर मूल्य परिवर्धित कर (वैट) का आरोपण एवं संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें सन्निहित राशि ₹ 22.28 करोड़ है एवं ₹ 9.79 करोड़ के लेखापरीक्षा आक्षेपों के कुछ उदाहरण अनुच्छेद संख्या 2.5 से 2.9 में दिये गये हैं।

2.4 'कार्य संविदा पर मूल्य परिवर्धित कर (वैट) का आरोपण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य बिन्दु

- कार्य संविदा की प्राप्तियों के वर्गीकरण के लिये पृथक से उप-शीर्ष नहीं था जिसके कारण कार्य संविदा से कुल प्राप्तियों के सम्बन्ध में विभाग के कार्य निष्पादन को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(अनुच्छेद 2.4.7)

- विवरणियों के आंकडों का विश्लेषण करने पर पाया कि गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान औसतन 66 प्रतिशत व्यवहारियों ने या तो विवरणियां प्रस्तुत नहीं की थी या फिर शून्य टर्नओवर की विवरणियां प्रस्तुत की थी। विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने या शून्य टर्नओवर की विवरणियां प्रस्तुत करने के कारणों को जांचने के लिये विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि चार व्यवहारियों का कर निर्धारण शून्य टर्नओवर पर किया गया जबकि उनका टर्नओवर ₹ 91.20 करोड़ था, जिस पर कर दायित्व ₹ 1.57 करोड़ था।

(अनुच्छेद 2.4.8)

- अवार्डरों से प्राप्त होने वाले प्रपत्र वैट-40 की प्राप्ति पर निगरानी हेतु तथा जहां ये प्राप्त हुए हों, वहां सम्बन्धित व्यवहारियों के पंजीयन एवं कर निर्धारण हेतु इन सूचनाओं के उपयोग के लिये कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी। 12 ठेकेदार जिनका कर दायित्व ₹ 93.80 लाख था विभाग में पंजीकृत नहीं पाये गये।

(अनुच्छेद 2.4.9)

- पांच वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टेक्स (डब्ल्यू.टी.) वृत्तों के निर्धारण अधिकारियों द्वारा अवधि 2008-09 से 2012-13 के दौरान 41,767 प्रपत्र वैट-41, 527 अवार्डरों को जारी किये गये, यद्यपि इन्हें जारी करने के लिये वे अधिकृत ही नहीं थे। पांच प्रकरणों में अवार्डरों द्वारा स्रोत पर काटे गये कर (टी.डी.एस.) को विलम्ब से जमा कराने पर, उन पर ब्याज तथा शास्ति ₹ 32.97 लाख आरोपित नहीं की गयी जबकि एक अन्य प्रकरण में टी.डी.एस. ₹ 39.12 लाख कम जमा कराया गया।

(अनुच्छेद 2.4.10 तथा 2.4.11)

- नौ प्रकरणों में, उप-ठेकेदारों को करयोग्य टर्नओवर में से ₹ 79.76 करोड़ के टर्नओवर की छूट, मुख्य ठेकेदारों के द्वारा कर चुकाये जाने को सुनिश्चित किये बिना ही स्वीकार की गयी।

(अनुच्छेद 2.4.12)

- नौ मुख्य ठेकेदारों द्वारा उप-ठेकेदारों को भुगतान करते समय टी.डी.एस. राशि ₹ 2.39 करोड़ की कटौती नहीं की गयी। अभिलेखों में ऐसा कुछ नहीं पाया गया जिससे यह पता चल सके कि इस टर्नओवर पर मुख्य ठेकेदारों द्वारा कर चुकाया गया था।

(अनुच्छेद 2.4.12)

- निर्धारण अधिकारियों द्वारा करयोग्य टर्नओवर के निर्धारण के लिये राजस्थान वैट नियमों में बनायी गयी प्रक्रिया का सही अनुसरण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप करयोग्य टर्नओवर का कम निर्धारण हुआ तथा इससे ब्याज ₹ 0.63 करोड़ सहित कर ₹ 2.39 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.13.1)

- करमुक्ति शुल्क की गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप करमुक्ति शुल्क तथा ब्याज ₹ 12.85 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.14)

2.4.1 प्रस्तावना

मूल्य परिवर्धित कर (वैट) का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (राजस्थान वैट) अधिनियम, 2003 और इसके अन्तर्गत बने राजस्थान वैट नियम, 2006 द्वारा शासित होते हैं।

कार्य संविदा का आशय एक ऐसे अनुबन्ध से होता है जिसमें किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति की एसेम्बलिंग, विनिर्माण, बिल्डिंग, अल्ट्रिंग, उत्पादन, प्रोसेसिंग, फेब्रिकेशन, इरेक्शन, स्थापना, फिटिंग, इम्प्रूवमेन्ट, मरम्मत या कमीशनिंग करने का कार्य शामिल हो। कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त माल का सम्पत्ति के रूप में हस्तान्तरण पर वैट आरोपणीय होता है। प्रत्येक ठेकेदार (जिसे व्यवहारी भी कहते हैं) जिसका वार्षिक टर्नओवर ₹ 10 लाख से अधिक हो, उसे राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। कार्य संविदायें अवार्डरों द्वारा आवंटित की जाती है। अवार्डर का आशय ऐसे व्यक्ति से होता है जिसके लिये या जिसके हित में कार्य संविदा का निष्पादन किया गया है। अवार्डरों (जिन्हे आगे विशिष्ट अवार्डर कहा गया है) यथा: सरकारी विभाग, निगम, सार्वजनिक उपक्रम, सहकारी समिति, स्थानीय निकाय, वैधानिक निकाय, स्वायत्तशासी निकाय, ट्रस्ट अथवा निजी या सार्वजनिक कम्पनी, ठेकेदारों को किसी भी तरीके से राशि का भुगतान या क्रेडिट करते समय कर की कटौती करने हेतु उत्तरदायी होते हैं। स्रोत पर कर की कटौती (टी.डी.एस.) की दर तीन प्रतिशत है। हालांकि, विशिष्ट अवार्डरों के अलावा अन्य अवार्डरों हेतु टी.डी.एस. के कोई प्रावधान नहीं बनाये गये हैं।

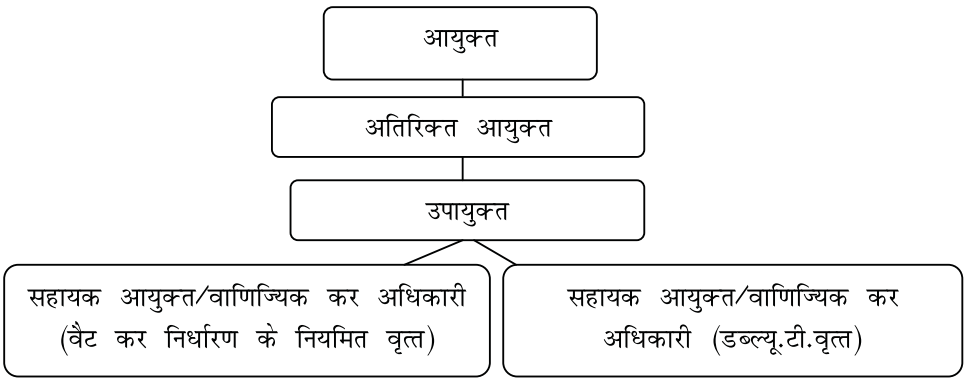
राज्य सरकार ने कार्य संविदा के कुल मूल्य पर करमुक्ति शुल्क की दर निर्धारित (0.25 से 3 प्रतिशत तक) करते हुए ठेकेदारों हेतु एक करमुक्ति योजना प्रारम्भ (11 अगस्त 2006) की। ठेकेदार कार्य संविदा के निष्पादन में हस्तान्तरित माल पर राजस्थान वैट अधिनियम की अनुसूचियों में दर्शायी दरों के अनुसार कर चुका सकता है या करमुक्ति योजना को अपना सकता है। योजना के अन्तर्गत, ठेकेदारों द्वारा कार्यादेशों सहित प्रस्तुत आवेदनों के आधार पर निर्धारण अधिकारी करमुक्ति की राशि एवं दर को दर्शाते हुए करमुक्ति प्रमाण पत्र (ई.सी.) जारी करते हैं। ई.सी. के प्रकरण में, अवार्डर ई.सी. में अंकित करमुक्ति की दर से राशि की कटौती करेगा। अवार्डर द्वारा काटी गयी राशि को, कटौती के माह की समाप्ति के 15 दिन के भीतर जमा करवाया जायेगा। प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार अपना कर दायित्व का निर्धारण कर, निर्धारण प्राधिकारी को वैट विवरणी प्रस्तुत करेगा। अवार्डर द्वारा स्रोत पर काटी गयी राशि का समायोजन, ठेकेदार का कर निर्धारण करते समय कायम किये कर दायित्व के पेटे दिया जायेगा एवं तद्नुसार वापसी या मांग कायमी आदेश जारी किया जायेगा।

2.4.2 संगठनात्मक ढांचा

सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार के नियन्त्रणाधीन रहते हुए, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान वैट एवं केन्द्रीय बिक्री कर प्राप्तियों का प्रशासन करते हैं। वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) को 15 संभागों में बांटा गया है। जयपुर-IV, पाली तथा करापवंचन संभागों के अलावा प्रत्येक संभाग में एक-एक वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टेक्स वृत्त है। इस प्रकार, राज्य में 12 वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टेक्स वृत्त (डब्ल्यू.टी.वृत्त) हैं।

संभाग स्तर पर उपायुक्त सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। कर के निर्धारण एवं वसूली का कार्य वृत्तों एवं घटों में पदस्थापित निर्धारण अधिकारियों यथा सहायक आयुक्तों/वाणिज्यिक कर अधिकारियों तथा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

संगठन चार्ट



2.4.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा करने का दृष्टिकोण:

- यह सुनिश्चित करना कि क्या राजस्थान वैट अधिनियम एवं नियमों में कार्य संविदा पर कर के लिये पंजीयन, निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण किये जाने के संबंध में पर्याप्त प्रावधान हैं तथा अधिनियम के प्रावधानों की व्यवहारियों/अवार्डरों द्वारा की जा रही पालना के स्तर का मूल्यांकन करना;
- यह सुनिश्चित करना कि क्या विभाग द्वारा राज्य में किये जा रहे निर्माण कार्यों का डाटाबेस संधारित किया जा रहा था तथा अपंजीकृत व्यवहारियों को पहचानने एवं अन्य उद्देश्यों के लिये इन सूचनाओं का उपयोग किया गया; और
- आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता को जांचना; था।

2.4.4 क्षेत्र एवं प्रक्रिया

'कार्य संविदा पर वैट का आरोपण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा में 2010-11 से 2012-13 की अवधि को शामिल किया गया, जिसमें वित्तीय वर्षों 2008-09 से 2010-11 तक के कर निर्धारणों को अन्तिम रूप दिया गया था। राज्य को 15 संभागों के 129 वृत्तों में बांटा गया है। ऐसे व्यवहारी, जिनका किसी लेखा वर्ष में सकल टर्नओवर का 50 प्रतिशत या ज्यादा कार्य संविदा तथा/या माल के लीजिंग से सम्बन्धित हों, तो उनका निर्धारण डब्ल्यू.टी. वृत्तों में होना आवश्यक है। 12 डब्ल्यू.टी. वृत्तों में से 6 डब्ल्यू.टी. वृत्तों[1] का चयन 'पुन: स्थापन सहित आकार के अनुरूप संभावना प्रतिचयन विधि' से किया गया। ठेके देने वाले अन्य सरकारी विभागों यथा: उत्तर-पश्चिमी रेलवे, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग से भी लेखापरीक्षा द्वारा इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये सूचनायें प्राप्त की गयीं।

2.4.5 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों और इसके अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों से लिये गये:

राज्य कानून

- राजस्थान वैट अधिनियम, 2003; एवं
- राजस्थान वैट नियम, 2006;

केन्द्रीय कानून

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956; एवं
- केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण एवं टर्नओवर) नियम, 1957 ।

[1] डब्ल्यू.टी.वृत्त-अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर-I, जयपुर-III, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर।

2.4.6 आभार

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचनायें और अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिये वाणिज्यिक कर विभाग एवं उसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दिये गये सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है।

सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग तथा आयुक्त, वाणिज्यिक कर के साथ 6 मार्च 2014 को प्रारंभिक सभा की गयी, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, क्षेत्र तथा प्रणाली को स्पष्ट किया गया। तथ्यात्मक विवरण/ड्राफ्ट पैरा अगस्त/नवम्बर 2014 में सरकार तथा विभाग को भेजे गये। आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग के साथ एक समापन सभा 3 दिसम्बर 2014 को हुई, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गयी। समापन सभा के दौरान एवं अन्य समय पर प्राप्त जवाबों पर समुचित विचार कर सम्बन्धित अनुच्छेदों में शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

2.4.7 संविदा कार्य प्राप्तियों के लिये पृथक से उप-शीर्ष का नहीं होना

राजस्थान वैट को बजट शीर्ष 0040 'बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर' के अन्तर्गत जमा किया जाता है। जबकि, कार्य संविदा से प्राप्त कर को दर्शाने हेतु पृथक से उप-शीर्ष नहीं था। कार्य संविदा पर कर के आरोपण एवं संग्रहण हेतु 12 विशिष्ट डब्ल्यू.टी. वृत्त उत्तरदायी हैं। विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी डब्ल्यू.टी. वृत्तों की प्राप्तियां तालिका 2.4.7 में दर्शायी गयी है:

तालिका 2.4.7

(₹ करोड़ में)

वर्ष	डब्ल्यू.टी. वृत्तों द्वारा दर्शायी गयी प्राप्तियां	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कुल कर	गत वर्ष की तुलना में बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर से प्राप्तियों में वृद्धि (प्रतिशत में)	गत वर्ष की तुलना में कार्य संविदा से प्राप्तियों में वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009-10	353.29	9,681.38	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2010-11	236.22	11,901.24	24.26	(-) 33.13
2011-12	245.66	14,665.63	24.84	4.00
2012-13	243.77	17,214.34	17.81	(-) 0.77
2013-14	284.54	19,834.72	14.22	16.72

उपरोक्त को देखने से ज्ञात होता है कि अवधि 2009-10 से 2013-14 के दौरान डब्ल्यू.टी. वृत्तों की प्राप्तियों का संग्रहण ₹ 353.29 करोड़ से कम होकर

₹ 284.54 करोड़ रह गया, अर्थात् 19.46 प्रतिशत की कमी हुई जबकि बिक्री, व्यापार इत्यादि से कर की कुल प्राप्तियों में वृद्धि हुई थी।

यह देखा गया कि इन 12 डब्ल्यू.टी. वृत्तों के अलावा अन्य नियमित कर निर्धारण वृत्तों द्वारा भी कार्य संविदाओं पर कर का निर्धारण एवं संग्रहण किया जा रहा था। इसके अलावा, अवार्डरों भी कार्य संविदाओं से सम्बन्धित टी.डी.एस. को उनके क्षेत्राधिकार वाले नियमित वृत्तों में जमा करवा रहे थे। इसलिये, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि डब्ल्यू.टी. वृत्तों की कुल प्राप्तियां कार्य संविदाओं की समग्र प्राप्तियों को नहीं दर्शा रही थीं एवं ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा कार्य संविदा से प्राप्तियों के संग्रहण के निष्पादन को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। कार्य संविदा से प्राप्तियों के लिये एक पृथक उप-शीर्ष होने पर ऐसी प्राप्तियों की स्पष्ट एवं सही स्थिति प्रकट होती। इससे करमुक्ति शुल्क के वैज्ञानिक रूप से निर्धारण एवं समय-समय पर इसके पुनर्निर्धारण में मदद मिलती। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की जाती है कि विभाग को कार्य संविदाओं की प्राप्तियों को दर्शाने हेतु पृथक उप-शीर्ष की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा के दौरान लेखापरीक्षा के मत को स्वीकार किया तथा कार्य संविदाओं की प्राप्तियों को दर्शाने हेतु पृथक उप-शीर्ष की संभावना को जांचने के लिये आश्वस्त किया।

2.4.8 पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा विवरणियों के प्रस्तुतीकरण का विश्लेषण

विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचनाओं से ज्ञात होता है कि डब्ल्यू.टी. वृत्तों में पंजीकृत व्यवहारियों में से औसतन 66 प्रतिशत व्यवहारियों ने निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिये विवरणियां या तो प्रस्तुत ही नहीं की अथवा शून्य टर्नओवर की विवरणियां प्रस्तुत की, जैसा कि तालिका 2.4.8 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.4.8

वर्ष	व्यवहारियों की कुल संख्या जो				
	विभाग में पंजीकृत थे	विवरणियां प्रस्तुत कर रहे थे	विवरणियां प्रस्तुत नहीं कर रहे थें	शून्य टर्नओवर की विवरणियां प्रस्तुत कर रहे थे	विवरणियां प्रस्तुत नहीं की अथवा शून्य टर्नओवर की प्रस्तुत की (4+5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010-11	10,819	5,122	5,697	1,726	7,423
2011-12	11,548	10,390	1,158	6,167	7,325
2012-13	12,024	10,486	1,538	6,518	8,056
तीन वर्षों का औसत	11,464	8,666	2,798	4,804	7,601
कॉलम क्रमांक 2 से प्रतिशत		76	24	42	66

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 24 प्रतिशत व्यवहारियों ने 2010-11 से 2012-13 की अवधि की अपनी विवरणियां प्रस्तुत नहीं की।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने ऐसे व्यवहारियों जिन्होनें वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के लिये विवरणियां प्रस्तुत नहीं की थी, का पंजीयन निरस्त करने हेतु निर्देश (24 जुलाई 2007) जारी किये। इसके पश्चात् ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किये गये। व्यवहारियों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत करने में इसके पश्चात् भी निरंतर चूक की जाती रही, किन्तु विभाग द्वारा विवरणियां मांगने के लिये या यह जांचने के लिये कि क्या व्यवहारियों द्वारा उनका व्यवसाय बन्द तो नहीं कर दिया गया अथवा व्यवसाय छद्म रूप से तो नहीं किया जा रहा है, कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ऐसे प्रकरणों में करवंचना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

तालिका 2.4.8 की जांच से यह भी ज्ञात होता है कि औसतन 42 प्रतिशत व्यवहारियों ने शून्य टर्नओवर की विवरणियां प्रस्तुत की। यह पाया गया कि विभाग ने विवरणियों की सत्यता की जांच करने के लिये अवार्डर से सूचनाएं प्राप्त करने अथवा उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया। व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों को ऑडिट रिपोर्ट एवं अवार्डर्स द्वारा जारी वैट-41[2] प्रमाण पत्रों से मिलान करने पर टर्नओवर घोषित करने में अनेक विसंगतियां पायी गयीं। टर्नओवर को नहीं दर्शाने/कम दर्शाने के कुछ उदाहरणों की आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है:

- डब्ल्यू.टी. वृत्त, जोधपुर में, एक व्यवहारी (एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी) ने वर्ष 2009-10 के लिये शून्य टर्नओवर की विवरणी प्रस्तुत की। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विवरणी के आधार पर निर्धारण अधिकारी ने शून्य टर्नओवर पर निर्धारण किया। अवार्डर (महाराणा प्रताप एयरपोर्ट अथॉरिटी, उदयपुर) के क्षेत्राधिकार[3] प्राधिकारी से प्राप्त सूचनाओं की जांच मे पाया गया कि व्यवहारी को वर्ष 2009-10 की अवधि में कार्य संविदा के निष्पादन करने पर ₹ 3.94 करोड़ का भुगतान प्राप्त हुआ था। इस प्रकार, व्यवहारी द्वारा इस वर्ष का टर्नओवर शून्य दर्शाया जाना गलत था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.94 करोड़ का टर्नओवर छिपाया गया जिसका कर दायित्व ₹ 5.91 लाख था। व्यवहारी, छिपाये गये टर्नओवर पर ब्याज एवं शास्ति चुकाने का दायी था।

- डब्ल्यू.टी. वृत्त, जोधपुर में, एक व्यवहारी (एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी) को ₹ 3.31 करोड़ मूल्य की तीन कार्य संविदाएँ दी गयी। व्यवहारी ने शुल्कमुक्ति योजना, 2006 के अन्तर्गत कर चुकाने के लिये आवेदन किया तथा निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2009-10 के दौरान इन कार्यों के लिये तीन प्रतिशत की दर से ई.सी. जारी की।

[2] फार्म वैट-41 में संविदा के सभी विवरण होते हैं यथा: संविदा की तिथि, संविदा की प्रकृति, संविदा का मूल्य, स्रोत पर काटी गयी राशि, उसके जमा की दिनांक एवं वाउचर नम्बर इत्यादि।

[3] क्षेत्राधिकार प्राधिकारी का आशय विभाग के उस कार्यालय से है जिसके क्षेत्राधिकार में अवार्डर का कार्यालय स्थित है।

परन्तु, व्यवहारी ने वर्ष 2009-10 के लिये शून्य टर्नओवर की विवरणी प्रस्तुत की। निर्धारण अधिकारी ने भी व्यवहारी का शून्य टर्नओवर पर निर्धारण किया तथा कोई मांग पत्र जारी नहीं किया। जबकि, व्यवहारी की वैट ऑडिट रिपोर्ट से मिलान करने पर पाया गया कि व्यवहारी ने कार्य संविदा का निष्पादन कर सम्बन्धित वर्ष के दौरान ₹ 2.62 करोड़ की राशि प्राप्त की। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 7.85 लाख का आरोपण नहीं हुआ। इसके अलावा, व्यवहारी ने वर्ष 2010-11 के लिये विवरणी प्रस्तुत नहीं की तथा शेष कार्य ₹ 69 लाख पर करमुक्ति शुल्क के भुगतान को सुनिश्चित किये बिना ही निर्धारण अधिकारी ने शून्य टर्नओवर का निर्धारण कर दिया।

- डब्ल्यू.टी. वृत्त, जयपुर-I के दो व्यवहारियों के निर्धारण अभिलेखों की जांच में पाया कि इन व्यवहारियों ने टर्नओवर ₹ 84.64 करोड़ तथा कर दायित्व ₹ 1.43 करोड़ दर्शाते हुए वर्ष 2010-11 के लिए ऑनलाइन विवरणियां प्रस्तुत की। फिर भी, निर्धारण अधिकारी ने इन विवरणियों पर विचार किये बिना ही व्यवहारियों का निर्धारण शून्य टर्नओवर पर कर दिया। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 1.43 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ।

सरकार ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि इन ठेकेदारों के संशोधित निर्धारण आदेश पारित किये जा चुके हैं तथा वसूली की स्थिति से अवगत करा दिया जावेगा। इस राशि की वसूली की आगामी प्रगति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

2.4.9 अपंजीकृत व्यवहारियों को तलाशने की प्रणाली का अभाव

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 11, में कहा गया है कि यदि कोई व्यवहारी इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु दायी होने पर भी पंजीयन के लिये आवेदन नहीं करता है तो पंजीयन प्राधिकारी उसे उस दिन से, जब वह इस अधिनियम के अन्तर्गत कर चुकाने का दायी हुआ हो, व्यवहारी के रूप में पंजीकृत करने की कार्यवाही करेगा।

राजस्थान वैट नियमों के नियम 40(1) के अनुसार, जब कोई ठेकेदार किसी अवार्डर से संविदा करता है तथा ऐसी संविदा का सकल मूल्य ₹ पाँच लाख से अधिक हो तो, अवार्डर संविदा की तिथि से एक माह के भीतर प्रपत्र वैट-40 में संविदा का विवरण अपने क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा साथ ही प्रपत्र वैट-40 की एक प्रति ठेकेदार के निर्धारण अधिकारी को भी भेजेगा।

लेखापरीक्षा जांच में पाया कि अवार्डरों से प्रपत्र वैट-40 की प्राप्ति पर निगरानी रखे जाने हेतु विभाग में कोई प्रणाली लागू नहीं थी। इसके अलावा, जहां अवार्डरों से ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, वहां ऐसे संव्यवहारों का डाटा संधारित करने और इनका उपयोग सम्बन्धित व्यवहारियों के पंजीयन तथा निर्धारण करने हेतु, कोई प्रणाली नहीं थी। लेखापरीक्षा ने विभाग में उपलब्ध आंकड़ों तथा तीन राजकीय विभागों द्वारा जारी कार्य संविदाओं (उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 38, केन्द्रीय लोक

निर्माण विभाग द्वारा 18 तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 21) से प्राप्त आंकड़ों का मिलान *राजटेक्स*[4] पर उपलब्ध आंकड़ों से किया। उनके निष्कर्ष आगामी अनुच्छेदों में दशाये गये हैं:

ठेकेदारों का पंजीयन

2.4.9.1 व्यवहारियों के पंजीयन के लिये निगरानी प्रणाली का अभाव

उत्तर पश्चिम रेलवे ने वैट-40 प्रपत्र में कोई विवरणी विभाग को प्रस्तुत नहीं की। लेखापरीक्षा ने 38 ठेकेदारों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की तथा पाया कि छः ठेकेदारों का टर्नओवर वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान पंजीयन कराने की निर्दिष्ट सीमा (₹ दस लाख) से अधिक हो गया था। यद्यपि ये ठेकेदार राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु दायी थे परन्तु *राजटेक्स* पर पंजीकृत नहीं पाये गये। इन ठेकेदारों ने कुल भुगतान ₹ 19.99 करोड़ प्राप्त किया जिस पर कर दायित्व ₹ 59.97 लाख था। इस प्रकार, वैट-40 प्रपत्र की प्राप्ति पर निगरानी रखने की प्रणाली के अभाव के परिणामस्वरूप व्यवहारियों का पंजीयन नहीं हुआ तथा कर की वंचना हुई।

2.4.9.2 अवार्डरों से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि एक अवार्डर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने 18 कार्य संविदाओं के टी.डी.एस. के विवरण, जनवरी 2011 तथा दिसम्बर 2013 के मध्य, डब्ल्यू.टी. वृत्त जयपुर-II को प्रस्तुत किये। इन विवरण पत्रों में ठेकेदारों को भुगतान की गयी राशि को दर्शाया गया था। विभाग ने व्यवहारियों के पंजीकृत होने को सुनिश्चित करने के लिये इन आंकड़ों का *राजटेक्स* सॉफ्टवेयर से मिलान करने का कोई प्रयास नहीं किया। लेखापरीक्षा ने इन सूचनाओं का मिलान *राजटेक्स* से किया तथा पाया कि 18 में से 6 ठेकेदारों का टर्नओवर पंजीयन कराये जाने हेतु आवश्यक निर्दिष्ट सीमा (₹ दस लाख) से अधिक हो गया था। फिर भी, वे व्यवहारी राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं थे। इन ठेकेदारों द्वारा जनवरी 2009 से दिसम्बर 2013 की अवधि में राशि ₹ 22.55 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया जिस पर कर दायित्व ₹ 33.83 लाख था।

इससे दर्शित होता है कि विभाग ने उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग व्यवहारियों का पंजीयन करने हेतु नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप कर की वंचना हुई।

2.4.9.3 अपंजीकृत ठेकेदारों को तलाशने एवं कर का दायरा बढाने के लिए सर्वे एक महत्वपूर्ण तकनीक है। यह पाया गया कि मापक जांच के छः वृत्तों द्वारा 2009-10 से 2012-13 की अवधि में ठेकेदारों को पहचानने/पंजीयन करने हेतु कोई सर्वे नहीं किया गया।

राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत, यदि व्यवहारी का टर्नओवर एक बार निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाये तो उन्हें स्वयं ही पंजीयन कराना होता है, किन्तु कई

[4] वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान की विभागीय वेबसाइट।

बार इसका उल्लंघन होना पाया गया तथा कई व्यवहारी कर के दायरे से बाहर रह गये। अपंजीकृत ठेकेदारों के प्रकरण में टी.डी.एस. की उच्चतर दर के प्रावधान जैसे कठोर उपाय निर्दिष्ट किये जायें, जैसे कि दिल्ली तथा महाराष्ट्र वैट अधिनियम मे किये गये हैं।

इसे ध्यान में लाये जाने पर, समापन सभा में आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने बताया कि अवार्डरों द्वारा दिये गये कार्य संविदाओं के विवरण को दर्शाने वाली विवरणी ऑनलाइन प्रस्तुत करने हेतु राजस्थान वैट नियमों को संशोधित (जुलाई 2014) कर दिया गया है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने यह भी बताया कि अपंजीकृत ठेकेदारों के प्रकरणों में टी.डी.एस. की उच्चतर दर से सम्बन्धित सुझाव पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

अवार्डरों का पंजीयन

2.4.9.4 राजस्थान वैट अधिनियम में स्रोत पर कर की कटौती, अवार्डर द्वारा इसे समय पर सरकारी खाते में जमा कराने तथा वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन होने के मामले में अवार्डर पर शास्ति के प्रावधान हैं। फिर भी, अवार्डरों के कर दायित्व को सुनिश्चित करने हेतु उन्हें 'टैक्स डिडक्शन एकाउन्ट नम्बर' जारी किये जाने हेतु कोई प्रावधान राजस्थान वैट अधिनियम में नहीं किये गये जैसे कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203ए मे किये गये हैं कि कर कटौती करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 'टैक्स डिडक्शन एकाउन्ट नम्बर' जारी किया जायेगा ।

इसे ध्यान में लाये जाने पर (दिसम्बर 2013), आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा समापन सभा में बताया गया कि नियम 40 में अब संशोधन (जुलाई 2014) किया जा चुका है एवं अवार्डरों के पंजीकरण के लिये प्रावधान किये जा चुके हैं।

स्रोत पर कर की कटौती

2.4.10 खाली टी.डी.एस. फार्मों को जारी करने में प्रणाली का अनुसरण नहीं किया जाना

राजस्थान वैट नियमों के नियम 40(3)(ए) में प्रावधान है कि अवार्डर अपने क्षेत्र के सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी से खाली प्रपत्र वैट-41 (टी.डी.एस. प्रमाण पत्र फार्म) प्राप्त करेगा। आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने यह भी निर्देशित किया (जुलाई 2013) कि अवार्डर्स टी.डी.एस. प्रमाण पत्र फार्म केवल अपने क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी से ही प्राप्त करेगें।

- मापक जांच किये गये छः डब्ल्यू.टी. वृत्तों के फार्म जारी करने की पंजिकाओं की जांच में पाया गया कि 2008-09 से 2012-13 के दौरान पांच डब्ल्यू.टी. वृत्तों[5] ने 527 अवार्डरों को 41,767 वैट-41 प्रपत्र जारी किये, यद्यपि वे,

[5] डब्ल्यू.टी.वृत्त-भीलवाड़ा, जयपुर-I, जयपुर-III, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर।

इन्हें जारी करने हेतु अधिकृत ही नहीं थे। अवार्डरों द्वारा इनको अपने नियमित वृत्तों से प्राप्त किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, इन अवार्डरों को ये प्रपत्र जारी करना अनियमित था। चूंकि अवार्डरों का राजस्थान वैट अधिनियम में पंजीयन होने के प्रावधान नहीं थे। अत: उनके द्वारा टी.डी.एस. का सही एवं समय पर जमा कराना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- डब्ल्यू.टी. वृत्त जयपुर-I की जांच में पाया कि वृत्त द्वारा एक बिल्डर/डवलपर को 350 वैट-41 प्रपत्र जारी किये गये, जबकि बिल्डर/डवलपर पर इस वृत्त का क्षेत्राधिकार ही नहीं था। यह पाया गया कि प्रपत्र जारी करने के पश्चात् डब्ल्यू.टी. वृत्त, जयपुर-I द्वारा न तो बिल्डर/डवलपर के कर दायित्व के सम्बन्ध में कोई पूछताछ की गयी, ना ही टी.डी.एस. राशि का समय पर जमा कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु कोई आदेश ही पारित किया गया। इन प्रपत्रों के बारे में वृत्त-जी, जयपुर को भी सूचना नहीं भेजी गयी, जिससे ये सम्बन्धित थे। परिणामस्वरूप, नियमित वृत्त भी कर दायित्व पर निगरानी रखने में असफल रहा। इस बिल्डर/डवलपर द्वारा प्रस्तुत वैट-42 की जांच में पाया गया कि बिल्डर/डवलपर द्वारा ₹ 88.05 लाख की राशि टी.डी.एस. के रूप में काटी गयी थी, किन्तु ₹ 48.93 लाख मात्र ही जमा कराये गये। इस प्रकार, ₹ 39.12 लाख की टी.डी.एस. राशि कम जमा करायी गयी।

इसे ध्यान में लाये जाने पर (दिसम्बर 2013), आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा में बताया कि नियम 40 को संशोधित (जुलाई 2014) किया जा चुका है तथा यह स्पष्ट कर दिया है कि अवार्डरों द्वारा टी.डी.एस. प्रमाण-पत्र फार्म केवल उनके क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी से ही प्राप्त किये जावें। किन्तु, जवाब में इस प्रकरण में वसूली के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया।

2.4.11 टी.डी.एस. को विलम्ब से जमा कराने पर शास्ति का अनारोपण

2.4.11.1 राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 55 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति आरोपणीय या देय कर की किसी राशि को निर्धारित समय में भुगतान करने में चूक करता है, तो वह विलम्ब हेतु ऐसी राशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज चुकाने का दायी होगा तथा राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 63(1) के अनुसार, जब कोई अवार्डर निर्दिष्ट समय में टी.डी.एस. राशि जमा कराने में असफल रहता है, तो वह टी.डी.एस. राशि जमा कराने के साथ-साथ विलम्ब से जमा कराई गई टी.डी.एस. राशि पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति चुकाने का दायी होगा।

- तीन डब्ल्यू.टी. वृत्तों[6] के निर्धारण अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि चार अवार्डरों[7] द्वारा ₹ 4.35 करोड़ की टी.डी.एस. राशि 1 से 742 दिनों तक के विलम्ब से जमा करायी थी। यद्यपि इन अवार्डरों ने जारी टी.डी.एस. प्रमाण-पत्रों में टी.डी.एस. कटौती किये जाने तथा जमा कराने की तिथि दर्शायी थी, लेकिन निर्धारण अधिकारी ने विलम्ब से जमा कराने पर ₹ 24.45 लाख के ब्याज एवं शास्ति का आरोपण नहीं किया।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि एक अवार्डर के विरुद्ध ₹ 1.86 लाख की मांग कायम कर दी गयी थी। अन्य प्रकरणों में जवाब प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2014)।

- एक अवार्डर (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) द्वारा टी.डी.एस. राशि के जमा की सूचना प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि अवार्डर ने वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान टी.डी.एस. राशि ₹ 93.98 लाख को 2 से 256 दिन के बीच विलम्ब से जमा कराया था। अवार्डर ने टी.डी.एस. जमा के विवरण भी डब्ल्यू.टी. वृत्त जयपुर-II को प्रस्तुत किये थे। इसके बावजूद, निर्धारण अधिकारी ने टी.डी.एस. को विलम्ब से जमा कराने पर ₹ 8.52 लाख के ब्याज एवं शास्ति का आरोपण नहीं किया।

- चार डब्ल्यू.टी. वृत्तों[8] के निर्धारण अभिलेखों की जांच में पाया कि 13 अवार्डरों द्वारा जारी कर राशि ₹ 2.83 करोड़ के 17 टी.डी.एस. प्रमाण-पत्र अपूर्ण थे जिनमें या तो ठेकेदार को किये गए भुगतान की तिथि या टी.डी.एस. राशि को राजकोष में जमा कराने की तिथि अंकित नहीं थी। निर्धारण अधिकारी द्वारा अपूर्ण प्रमाण-पत्रों को स्वीकार किया गया तथा इन अपूर्ण प्रमाण-पत्रों पर कर का समायोजन दिया गया। इस प्रकार जमा की सत्यता एवं समयबद्धता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि एक अवार्डर के विरूद्ध ₹ 1.41 लाख की मांग कायम की जा चुकी थी। अन्य प्रकरणों में जवाब प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2014)।

- मापक जांच में किये गये पाँच डब्ल्यू.टी. वृत्तों[9] के निर्धारण अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि 28 अवार्डरों ने ₹ 6.36 करोड़ के संव्यवहारों को सम्मिलित कर 58 टी.डी.एस. प्रमाण-पत्र जारी किये। इन प्रमाण-पत्रों को यद्यपि मासिक आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, किन्तु ये 2 से 12 माह बाद विलम्ब से प्रस्तुत किये गए। इसी प्रकार, दो अवार्डरों (उत्तर पश्चिम रेलवे तथा केन्द्रीय लोक

[6] डब्ल्यू.टी.वृत्त- अजमेर, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर।

[7] मैसर्स सोमा आइसोलक्स किशनगढ-ब्यावर टोलवे प्रा.लि., मैसर्स नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लि., मैसर्स किशनगढ़ हाईटेक टैक्सटाइल्स प्रा.लि. तथा एस.ई., मिनिस्ट्री ऑफ रोड़, ट्रान्सपोर्ट एण्ड हाईवे, भारत सरकार, जयपुर।

[8] डब्ल्यू.टी.वृत्त- अजमेर, जयपुर-I, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर।

[9] डब्ल्यू.टी.वृत्त- भीलवाड़ा, जयपुर-I, जयपुर-III, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर।

निर्माण विभाग) ने ये प्रमाण-पत्र क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारियों को प्रस्तुत ही नहीं किये। फिर भी, राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत चूक की अवधि के लिए ₹ 25 प्रतिदिन की दर से आरोपणीय शास्ति, आरोपित नहीं की गयी।

2.4.11.2 राजस्थान वैट नियमों के नियम 40 के अनुसार, अवार्डर, विभाग के क्षेत्राधिकारी कार्यालय से वैट-41 प्रपत्र प्राप्त कर, ठेकेदार को टी.डी.एस. प्रमाण-पत्र जारी करेगा तथा उसकी एक प्रति जारी करने वाले प्राधिकारी को भी भेजेगा। जारी करने वाला प्राधिकारी ऐसे प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के पश्चात्, टी.डी.एस. राशि का राजकोष में जमा होने का सत्यापन करेगा तथा इसे शीघ्र ठेकेदार के निर्धारण अधिकारी को भेजेगा। निर्धारण अधिकारी ठेकेदार के कर निर्धारण के समय कायम की गई मांग के विरुद्ध ऐसी सत्यापित टी.डी.एस. राशि को समायोजित करेगा।

पाँच डब्ल्यू.टी. वृत्तों[10] के 18 ठेकेदारों के निर्धारण अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि निर्धारण अधिकारियों ने इन ठेकेदारों का कर निर्धारण करते समय ₹ 21.26 करोड़ के टी.डी.एस. का समायोजन, जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा सरकारी खाते में कर के जमा होने का सत्यापन प्राप्त किये बगैर ही दे दिया।

डब्ल्यू.टी. वृत्त, जयपुर-III के एक अन्य प्रकरण में निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के कर निर्धारण करते समय ₹ 21.62 लाख राशि का टी.डी.एस. प्रमाण-पत्र निर्दिष्ट वैट-41 प्रपत्र के बजाय सादे कागज पर स्वयं मुद्रित प्रमाण-पत्र पर स्वीकार कर लिया गया।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा में बताया कि टी.डी.एस. का समायोजन उसके सत्यापन किये जाने के बाद ही स्वीकार करने तथा दोषी अवार्डरों पर ब्याज एवं शास्ति आरोपित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने आगे बताया कि टी.डी.एस. प्रपत्रों को जारी करने के लिये ऑनलाइन प्रणाली प्रारम्भ की गई है।

2.4.12 उप-ठेकों पर कर दायित्व का सत्यापन करने की प्रणाली का अभाव

राजस्थान वैट नियमों के नियम 22(2ए) के प्रावधान के अनुसार जहां एक मुख्य ठेकेदार कार्य संविदा पर करमुक्ति शुल्क चुकाने का विकल्प लेता है एवं ऐसे ठेके का सम्पूर्ण अथवा उसका भाग उप-ठेकेदार को प्रदान करता है तो ऐसे संव्यवहार का टर्नओवर उप-ठेकेदार के कुल टर्नओवर में से घटाया जायेगा। राजस्थान वैट अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया था, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उप-ठेकेदार के कुल टर्नओवर में से इसकी छूट देने से पूर्व उप-ठेके के इस टर्नओवर पर मुख्य ठेकेदार द्वारा कर चुका दिया गया है। उप-ठेके के कर दायित्व का सत्यापन करने वाली प्रणाली के अभाव पर प्रकाश डालने वाले कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं:

[10] डब्ल्यू.टी.वृत्त- अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर-I, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर।

2.4.12.1 तीन डब्ल्यू.टी. वृत्तों[11] के निर्धारण अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि निर्धारण अधिकारियों ने नौ उप-ठेकेदारों को वर्ष 2009-10 से 2010-11 के लिये ₹ 79.76 करोड़ के करयोग्य टर्नओवर से छूट मुख्य ठेकेदारों द्वारा कर चुकाये जाने को सुनिश्चित किये बगैर ही दे दी। संव्यवहारों का सत्यापन नहीं करने से करों का भुगतान नहीं होने की संभावना बनी रहती है।

2.4.12.2 चार डब्ल्यू.टी. वृत्तों[12] के निर्धारण अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अवधि 2008-09 से 2010-11 में, 10 में से 9 मुख्य ठेकेदारों ने उप-ठेकेदारों को ₹ 79.76 करोड़ का भुगतान करते समय ₹ 2.39 करोड़ की टी.डी.एस. राशि की कटौती नहीं की। मुख्य ठेकेदारों द्वारा टी.डी.एस. राशि ₹ 2.39 करोड़ चुकाये जाने सम्बन्धी साक्ष्य अभिलेखों में नहीं पाये गये।

2.4.12.3 यह पाया गया कि डब्ल्यू.टी. वृत्त, जोधपुर के एक उप-ठेकेदार ने डब्ल्यू.टी. वृत्त अजमेर के एक मुख्य ठेकेदार से वर्ष 2010-11 की अवधि में ₹ 15.77 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया। उप-ठेकेदार ने सूचित किया कि कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त समस्त माल मुख्य ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किया गया तथा आपूर्ति किये गये माल की कीमत उसे भुगतान करते समय काट ली गयी थी। ऐसी स्थिति में मुख्य ठेकेदार द्वारा कर चुकाया जाना चाहिए था। जबकि, मुख्य ठेकेदार के निर्धारण अभिलेखों से पाया गया कि उसने इन संव्यवहारों पर कर का भुगतान नहीं किया था जो कर के भुगतान नहीं होने को दर्शाता है।

मुख्य ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किये गये माल की कीमत मुख्य ठेकेदार तथा उप-ठेकेदार के निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप कर से वंचित टर्नओवर पर देय कर की राशि की गणना नहीं की जा सकी।

उप-ठेकेदार को टर्नओवर में से छूट देने से पूर्व मुख्य ठेकेदार द्वारा इस पर कर चुकाये जाने को सुनिश्चित करने का प्रावधान महाराष्ट्र (वैट अधिनियम की धारा 45) में विद्यमान है। सरकार को राजस्थान वैट अधिनियम के लिये भी समान प्रावधान पर विचार करना चाहिए।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा में लेखापरीक्षा के मत को स्वीकार किया तथा बताया कि उप-ठेकेदार के कर दायित्व को सुनिश्चित करने के मामले को बजट 2015-16 के समय ध्यान में रखा जायेगा।

2.4.13 टर्नओवर का कम निर्धारण

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 4(1) तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6, करयोग्य टर्नओवर पर कर आरोपित करने का प्रावधान करती है। इसके अलावा, राजस्थान वैट नियमों के नियम 22(2) के अनुसार, कार्य संविदा के प्रकरण में, करयोग्य टर्नओवर की गणना करते समय, संविदा के कुल मूल्य में से

[11] डब्ल्यू.टी.वृत्त-अजमेर, जयपुर-I एवं श्रीगंगानगर।

[12] डब्ल्यू.टी.वृत्त-अजमेर, जयपुर-I, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर।

मजदूरी राशि को घटाया जायेगा। साथ ही, इस नियम के अन्तर्गत दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, जहां कार्य संविदा के लेखों से मजदूरी की राशि को निश्चित नहीं किया जा सके, तो निर्धारण अधिकारी मजदूरी खर्चों की छूट राजस्थान वैट नियमों में दिये गये मापदण्ड के अनुसार अनुमत्य करेगा।

2.4.13.1 तीन डब्ल्यू.टी. वृत्तों[13] के पांच ठेकेदारों के निर्धारण अभिलेखों अवधि 2008-09 से 2010-11 की जांच के दौरान देखा गया कि निर्धारण अधिकारियों ने करयोग्य टर्नओवर की गणना, ठेकेदारों द्वारा खरीदे गये माल के मूल्य में एक निश्चित प्रतिशत लाभांश जोड़कर की तथा राजस्थान वैट नियमों में बनायी गयी करयोग्य टर्नओवर की गणना करने की प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, करयोग्य टर्नओवर का नीचे दर्शाये अनुसार कम निर्धारण हुआ:

(₹ करोड़ में)

व्यवहारियों का नाम	कार्य संविदाओं की कुल प्राप्तियां	राजस्थान वैट नियमों[14] के अनुसार करयोग्य टर्नओवर की गणना	निर्धारण अधिकारी[15] द्वारा गणना किया गया करयोग्य टर्नओवर	निर्धारण अधिकारी द्वारा करयोग्य टर्नओवर का कम निर्धारण	कर का कम आरोपण	ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अ	180.77	108.91	94.23	14.68	0.62	0.25
ब	32.02	22.41	16.66	5.75	0.23	0.10
स	7.53	5.27	4.58	0.69	0.03	0.01
द	76.32	35.06	32.49	2.57	0.10	0.04
इ	38.47	26.93	11.37	15.56	0.78	0.23
योग	**335.11**	**198.58**	**159.33**	**39.25**	**1.76**	**0.63**

करयोग्य टर्नओवर के कम निर्धारण किये जाने के परिणामस्वरूप कर ₹ 1.76 करोड़ एवं ब्याज ₹ 0.63 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

2.4.13.2 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6(2) दर्शाती है कि अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में ट्रांजिट बिक्री तब तक करमुक्त नहीं होगी जब तक की विक्रय करने वाला व्यवहारी एक घोषणा पत्र (प्रपत्र ई-I) उस पंजीकृत व्यवहारी का जिससे माल क्रय किया है तथा दूसरा घोषणा पत्र (प्रपत्र-सी) उस पंजीकृत व्यवहारी का जिसे माल विक्रय किया है, प्रस्तुत नहीं कर दें।

[13] डब्ल्यू.टी.वृत्त-भीलवाड़ा, जयपुर-I तथा जोधपुर।

[14] जहां मजदूरी तथा अन्य खर्चों का विवरण प्रस्तुत किया गया था तो कुल प्राप्तियों में से अनुमत्य खर्चों को घटाया जाकर करयोग्य टर्नओवर की गणना की गयी तथा जहां विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया तो कुल प्राप्तियों में से मजदूरी एवं अन्य खर्चों के लिये 30 प्रतिशत राशि घटायी गयी।

[15] निर्धारण अधिकारी द्वारा करयोग्य टर्नओवर को निश्चित करते समय ठेकेदारों द्वारा की गयी माल की खरीद की कीमत में लाभ का एक निश्चित प्रतिशत जोड़ा गया।

डब्ल्यू.टी. वृत्त भीलवाड़ा, के निर्धारण अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि एक ठेकेदार ने ₹ 74.21 करोड़ का माल खरीदा तथा इस माल की बिक्री ₹ 162.86 करोड़ में कर दी। ठेकेदार ने इस माल की ट्रांजिट बिक्री करने पर, कर से छूट का दावा किया। परन्तु ठेकेदार ने ₹ 13.34 करोड़ की खरीद राशि के ई-I प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार, इस माल को ₹ 55.60 करोड़ में बेचा गया। इसके अनुसार, ₹ 1.11 करोड़ का कर आरोपणीय था। परन्तु, निर्धारण करते समय निर्धारण अधिकारी द्वारा माल के खरीद मूल्य (₹ 13.34 करोड़) पर ₹ 26.64 लाख का कर आरोपित किया गया। इसके परिणामस्वरूप कर ₹ 0.84 करोड़ एवं ब्याज ₹ 35.52 लाख का कम आरोपण हुआ।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा में बताया कि राजस्थान वैट नियमों की पालना करने के लिये निर्धारण अधिकारी को निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

करमुक्ति योजना

2.4.14 करमुक्ति शुल्क का कम आरोपण

राज्य सरकार ने एक अधिसूचना (11 अगस्त 2006) जारी कर कार्य संविदा करने वाले पंजीकृत ठेकेदारों को कार्य संविदा के निष्पादन के दौरान स्थानान्तरित सम्पत्ति में प्रयुक्त माल पर आरोपणीय कर के भुगतान पर छूट इस शर्त पर दी कि निर्धारण अधिकारी ई.सी. जारी करेगा तथा ऐसे ठेकेदार नीचे दर्शायी दरों पर करमुक्ति शुल्क का भुगतान करेंगे:

क्र.सं.	कार्य संविदा का विवरण	करमुक्ति शुल्क की दर (संविदा के कुल मूल्य का प्रतिशत)
1.	कार्य संविदा जहां सामग्री की लागत कुल संविदा मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक न हो (9 मार्च 2010 से प्रभावी)।	0.25 प्रतिशत
2.	भवन, सड़क, पुल, बाँध, सीवरेज सिस्टम।	1.50 प्रतिशत
3.	पी.एस.पी.ओ. सहित प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना, वॉटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, माल सहित पाईप लाइन बिछाना।	2.25 प्रतिशत
4.	उपरोक्त मदों में सम्मिलित कार्य संविदा के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार की कार्य संविदा।	3.00 प्रतिशत

योजना के अन्तर्गत लाभ लेने हेतु, एक ठेकेदार को कार्य संविदा की प्रकृति तथा लागू होने वाली करमुक्ति शुल्क की दर का उल्लेख करते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है। आवेदन की प्राप्ति पर, निर्धारण अधिकारी इसमें उल्लिखित तथ्यों की सत्यता से संतुष्ट होने पर, कार्य संविदा का विवरण, संविदा का कुल मूल्य,

करमुक्ति शुल्क की दर तथा करमुक्ति शुल्क की राशि दर्शाते हुए ई.सी. जारी करेगा।

चयन किये गये छः वृत्तों के निर्धारण अभिलेखों तथा एक अवार्डर (उत्तर पश्चिम रेलवे) से संगृहित सूचनाओं की जांच में पाया गया कि ई.सी. जारी करते समय निर्धारण अधिकारियों द्वारा कार्य संविदा की सही श्रेणी निश्चित नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप 82 ठेकेदारों पर ₹ 12.32 करोड़ का करमुक्ति शुल्क कम आरोपित हुआ जिसकी चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गयी है:

2.4.14.1 कम्पोजिट कार्यों के लिये कार्य संविदायें

एक कार्य संविदा आदेश, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य (कम्पोजिट कार्य संविदा) दिये गये हों, वह अधिसूचना (2006) के क्रम संख्या एक से तीन में शामिल नहीं होती हैं। कम्पोजिट कार्य संविदा पर तीन प्रतिशत की दर से करमुक्ति शुल्क आरोपणीय होता है।

तीन डब्ल्यू.टी. वृत्तों[16] तथा एक अवार्डर (उत्तर पश्चिम रेलवे) के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि कम्पोजिट कार्यों[17] के लिए 48 कार्य संविदायें राशि ₹ 1,114.64 करोड़ की जारी की गयी थी। इन कार्य संविदाओं के लिये, 10 निर्धारण अधिकारियों ने 33 ठेकेदारों को संविदा के कुल मूल्य पर तीन प्रतिशत की सही दर के स्थान पर 1.00/1.50/2.25 प्रतिशत की दर से ई.सी. जारी की। निर्धारण अधिकारियों ने आरोपणीय करमुक्ति शुल्क ₹ 33.44 करोड़ के स्थान पर करमुक्ति शुल्क ₹ 23.52 करोड़ ही आरोपित की। इसके परिणामस्वरूप करमुक्ति शुल्क ₹ 9.92 करोड़ कम आरोपित हुआ।

2.4.14.2 बाउन्ड्रीवॉल के लिये कार्य संविदायें

केवल बाउन्ड्रीवॉल के निर्माण हेतु जारी कार्य संविदायें उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम संख्या एक से तीन के अन्तर्गत नहीं आती हैं। इस प्रकार, केवल बाउन्ड्रीवॉल के निर्माण किये जाने पर करमुक्ति शुल्क तीन प्रतिशत की दर से आरोपणीय है।

चयन किये गये वृत्तों के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान, पाया गया कि चार डब्ल्यू.टी. वृत्तों[18] के निर्धारण अधिकारियों ने संविदा मूल्य ₹ 25.20 करोड़ के बाउन्ड्रीवॉल के निर्माण के लिये ई.सी. जारी कर तीन प्रतिशत की दर से आरोपणीय करमुक्ति शुल्क ₹ 75.60 लाख के स्थान पर 1.5 प्रतिशत दर से

[16] डब्ल्यू.टी.वृत्त – जयपुर-III, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर।

[17] जैसे कि 'जल आपूर्ति योजना के कार्य को आगे बढ़ाने वाले कार्य करना जिसमें ट्रांसमिशन मेन्स, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, पम्पहाउस, पंम्पिग मशीनरी तथा स्वीच गार्ड, आरसीसी जलाशय, सभी पंम्पिग स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक इनहेन्समेन्ट सहित सम्बन्धित अन्य कार्य शामिल हैं' तथा भवन का नवीन/अतिरिक्त/सुधार का निर्माण कार्य, यात्रियों के लिये प्लेटफार्म, प्लेटफार्म शेल्टर्स तथा स्टेशन/सेक्शन पर गेज परिवर्तन योजना से सम्बन्धित अन्य विविध सिविल कार्य।

[18] डब्ल्यू.टी.वृत्त – अजमेर, जयपुर-III, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर।

₹ 37.80 लाख करमुक्ति शुल्क आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 37.80 लाख करमुक्ति शुल्क के कम आरोपित हुए।

2.4.14.3 विविध सिविल कार्यों के लिये कार्य संविदाएँ

विविध सिविल कार्यों जिनका उल्लेख क्रम संख्या 1 से 3 की श्रेणी में नहीं किया गया हो, के लिये जारी कार्य संविदा पर तीन प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

चयन किये गये डब्ल्यू.टी. वृत्तों[19] के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 16 ठेकेदारों ने सिविल कार्यों जैसे- स्विमिंग पूल, ग्रेवलिंग, केबल ट्रेंच, ट्रांसफार्मर ट्रेक, फाउण्डेशन, पावर ग्रिड सब-स्टेशन पर विट्रीफाईड टाईल्स की सप्लाई एण्ड फिक्सिंग आदि के लिये करमुक्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन किया। ये कार्य उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम संख्या 1 से 3 की श्रेणी में शामिल नहीं हैं। इस प्रकार, संविदा मूल्य ₹ 53.20 करोड़ पर तीन प्रतिशत की दर से करमुक्ति शुल्क आरोपणीय था। निर्धारण अधिकारियों ने तीन प्रतिशत की सही दर से ₹ 159.60 लाख के स्थान पर 1.5 प्रतिशत की दर से गलत ई.सी. जारी कर करमुक्ति शुल्क ₹ 79.80 लाख आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप करमुक्ति शुल्क ₹ 79.80 लाख कम आरोपित हुआ।

2.4.14.4 प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना के लिये कार्य संविदायें

प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना से सम्बन्धित कार्य संविदा उपरोक्त अधिसूचना में दी गयी तालिका में क्रम संख्या तीन के अन्तर्गत आती है, जिसमें 'प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना' से सम्बन्धित कार्य संविदाओं के लिये 2.25 प्रतिशत की दर से करमुक्ति शुल्क अधिसूचित की गयी थी।

डब्ल्यू.टी. वृत्त जयपुर-I के निर्धारण अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि एक ठेकेदार ने विण्ड मिल्स को तैयार करने एवं स्थापित करने की ₹ 150.90 करोड़ की कार्य संविदा का कार्य वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 की अवधि में किया जिसके लिये 1.5 प्रतिशत की दर से ई.सी. गलत जारी की गयी। निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी का निर्धारण करते समय करमुक्ति शुल्क की सही दर 2.25 प्रतिशत से ₹ 3.39 करोड़ के स्थान पर 1.5 प्रतिशत की दर से ₹ 2.26 करोड़ ही निर्धारित (फरवरी 2011 एवं फरवरी 2012) किया। इसके परिणामस्वरूप करमुक्ति शुल्क ₹ 1.13 करोड़ एवं ब्याज ₹ 53.02 लाख का कम आरोपण हुआ।

2.4.14.5 सड़क की मरम्मत के लिये कार्य संविदाएँ

राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 26 मार्च 2012 से 'सड़क निर्माण से सम्बन्धित कार्य संविदाएँ' के लिये एक प्रतिशत करमुक्ति शुल्क अधिसूचित किया। इसके पश्चात्, अधिसूचना दिनांक 6 मार्च 2013 के द्वारा इसको 'सड़क निर्माण या मरम्मत से सम्बन्धित कार्य संविदायें' से प्रतिस्थापित किया गया। इसलिये 26 मार्च

[19] डब्ल्यू.टी.वृत्त-अजमेर, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर।

2012 से 5 मार्च 2013 की अवधि में सड़क मरम्मत से सम्बन्धित कार्य संविदाओं पर तीन प्रतिशत की दर से करमुक्ति शुल्क आरोपणीय था।

दो डब्ल्यू.टी. वृत्तों[20] के अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि निर्धारण अधिकारियों ने 22 ठेकेदारों को एक प्रतिशत की दर से ₹ 4.50 करोड़ की 'सड़क की मरम्मत से सम्बन्धित' कार्य संविदा के लिये अवधि 26 मार्च 2012 से 5 मार्च 2013 के दौरान 35 करमुक्ति प्रमाण-पत्र गलत जारी कर दिये तथा आरोपणीय करमुक्ति शुल्क ₹ 13.49 लाख के स्थान पर ₹ 4.50 लाख करमुक्ति शुल्क आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप करमुक्ति शुल्क ₹ 8.99 लाख का कम आरोपण हुआ।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा के दौरान सहमत होकर बताया कि करमुक्ति प्रमाण-पत्र देने से पूर्व संविदा की प्रकृति की जांच करने के निर्देश निर्धारण अधिकारी को जारी किये जा चुके हैं।

करारोपण से वंचित टर्नओवर का निर्धारण

2.4.15 फ्लेट्स/विलाज/दुकानों का निर्माण पूर्ण होने से पूर्व प्री-बुकिंग आधार पर बिक्री

भावी क्रेताओं से निर्माण पूर्व अनुबन्ध कर उनसे अग्रिम राशि स्वीकार कर फ्लेट्स/विलाज/दुकानों आदि का निर्माण, कार्य संविदा की परिधि में आता है तथा इस पर राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत कर देय है। चयन किये गये वृत्तों में निर्माण से पूर्व बुकिंग के आधार पर एक भी डवलपर/बिल्डर का ठेकेदार के रूप में कर हेतु निर्धारण करना नहीं पाया गया।

डब्ल्यू.टी. वृत्त अजमेर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा चार बिल्डर्स/डवलपर्स/व्यवहारियों के बारे में प्रारंभिक पूछताछ (जून 2012) की गयी, जो कि अजमेर संभाग में बिल्डिंग/मॉल्स/आवासीय कॉलोनियां बनाने के काम में लगे थे। निर्माण कार्य, ठेकेदारों के साथ-साथ बिल्डर्स/डवलपर्स के द्वारा स्वयं भी किया जा रहा था। जांच रिपोर्ट के अनुसार, फ्लेट्स/दुकानों आदि की बिक्री बिल्डिंग/मॉल्स के निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व प्री-बुकिंग आधार पर की गयी थी। कुछ प्रकरणों में, ठेकेदारों को सीमेन्ट या स्टील बिना कीमत लिये उपलब्ध कराया गया था अथवा ठेकेदारों को आपूर्ति किये गये माल की लागत उनके बिल से काटी गयी। ऐसे संव्यवहार राजस्थान वैट अधिनियम के अंतर्गत करारोपण योग्य थे। यह पाया गया कि डब्ल्यू.टी. वृत्त अजमेर ने प्रारम्भिक पूछताछ के अतिरिक्त कोई कार्यवाही नहीं की तथा अवार्ड्स/डीलर्स के सम्बन्धित निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट भेज दी। इस बारे में

[20] डब्ल्यू.टी.वृत्त-अजमेर एवं श्रीगंगानगर।

आगे कोई कार्यवाही करना नहीं पाया गया। इन पूछताछ रिपोर्टों तथा सम्बन्धित वृत्तों से संगृहीत सूचनाओं से निम्न प्रकरणों में अनियमितताएं पायी गयी:

2.4.15.1 वृत्त बी, जयपुर के एक पंजीकृत व्यवहारी ने अजमेर में ₹ 40 करोड़ की लागत का एक मॉल का निर्माण/विकास कार्य किया। मॉल का निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व प्री-बुकिंग आधार पर दुकानों, कार्यालयों आदि की बिक्री की गयी थी।

वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के व्यवहारी की प्रवेश कर निर्धारण पत्रावलियों की जांच पर ज्ञात हुआ कि बिल्डर/डवलपर ने राज्य के बाहर से वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 की अवधि में कीमत ₹ 18.64 करोड़ का माल जैसे माईल्ड स्टील बार्स, टाईल्स, लकड़ी के दरवाजे, इलेक्ट्रीकल केबल्स, डी.जी.सेट्स, प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स आदि की खरीद की थी। व्यवहारी ने बताया कि इस माल को राज्य में विभिन्न प्रोजेक्टों के निर्माण में उपयोग लिया गया था। कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पूछताछ रिपोर्ट के अनुसार दुकानों, कार्यालयों आदि की प्री-बुकिंग आधार पर बिक्री की गयी थी। इसलिये राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत इस माल पर कर देय था। फिर भी, निर्धारण अधिकारी ने इस माल पर कर का निर्धारण नहीं किया।

2.4.15.2 एक बिल्डर/डवलपर अजमेर में ₹ 50 करोड़ की लागत से एक आवासीय कॉलोनी को बना रहा था। निर्माण कार्य विभिन्न ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा था। डब्ल्यू.टी. वृत्त, जयपुर-I में बिल्डर/डवलपर द्वारा प्रस्तुत कार्य आदेशों की जांच में पाया गया कि बिल्डर/डवलपर, ठेकेदारों को सीमेन्ट एवं स्टील बिना लागत उपलब्ध करवा रहा था तथा कुछ प्रकरणों में आपूर्ति किये माल की लागत ठेकेदारों के बिलों से काटी जा रही थी। यदि ये फ्लेट्स, विलाज, दुकानें प्री-बुकिंग के आधार पर बेची गयी तो राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत बिल्डर/डवलपर द्वारा आपूर्ति किया गया माल कर योग्य था। फिर भी, बिल्डर/डवलपर के कर दायित्व को सुनिश्चित करने के लिये विभाग द्वारा कोई खोज बीन नहीं की गयी।

2.4.15.3 एक डवलपर ₹ 55 करोड़ की लागत से एक आवासीय कॉम्प्लेक्स निर्माण/विकसित कर रहा था। डब्ल्यू.टी. वृत्त, अजमेर की पूछताछ रिपोर्ट के अनुसार डवलपर द्वारा राज्य के बाहर से सामग्री की खरीद की गयी थी। इसके अलावा, 392 फ्लेट्स में से 170 फ्लेट्स को निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व प्री-बुकिंग पर बेचा गया था। पूछताछ रिपोर्ट को, वृत्त बी, जयपुर को अग्रिम कार्यवाही के लिये भेजा गया। यह पाया गया कि डवलपर के कर दायित्व को सुनिश्चित करने हेतु इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

2.4.15.4 पूछताछ रिपोर्ट के अनुसार, एक पंजीकृत व्यवहारी ₹ 40 करोड़ की प्रोजेक्ट लागत से अजमेर में एक मॉल निर्माण कर रहा था। फर्म द्वारा मॉल के निर्माण में ₹ 12.07 करोड़ का सीमेन्ट तथा स्टील आदि काम में लिया गया।

दुकानों को निर्माण पूर्ण होने से पूर्व प्री-बुकिंग आधार पर बेचा गया। इन संव्यवहारों पर कर निर्धारण नहीं किये जाने सम्बन्धी कोई कारण अभिलेखों पर नहीं पाये गये।

2.4.15.5 लेखापरीक्षा द्वारा एक वित्तीय संस्थान से संगृहित सूचनाओं से पता चला कि चार डवलपर्स/बिल्डरों ने जयपुर स्थित चार योजनाओं में 324 फ्लेट्स को उन फ्लेट्स के निर्माण/तैयार होने से पूर्व बेचा था। इसलिये, कार्य संविदाओं के निष्पादन में काम में लिये गये माल पर इन डवलपर्स/बिल्डरों द्वारा कर चुकाया जाना था। जबकि, *राजटेक्स* पर इनका प्रति-सत्यापन करने पर पाया गया कि ये डवलपर्स/बिल्डर्स राजस्थान वैट अधिनियम में पंजीकृत नहीं थे। अन्य विवरणों के अभाव में राजस्व की वास्तविक हानि को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

उपरोक्त कमियां यह दर्शाती है कि निर्माण पूर्ण होने से पूर्व प्री-बुकिंग आधार पर फ्लेट्स/विलाज/दुकानों की बिक्री पर कर दायित्व को सुनिश्चित नहीं किया गया यद्यपि विभाग के पास सूचनाएं उपलब्ध थी।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा में बताया कि बिल्डरों तथा डवलपर्स पर वैट के दायित्व सम्बन्धी विशिष्ट प्रावधान राजस्थान वैट नियमों में शामिल (जुलाई 2014) किये गये हैं; तथापि, बिल्डर्स तथा डवलपर्स को मार्च 2014 तक के वैट दायित्व से राज्य सरकार ने मुक्त कर दिया है।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने यह भी बताया कि डवलपर्स/बिल्डर्स से पूछताछ करने एवं पंजीकृत करने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं। यह भी कहा गया कि इस बारे में शहरी स्थानीय निकायों, मुद्रांक तथा पंजीयन विभाग, श्रम विभाग आदि से सूचनायें एकत्र की जा रही हैं।

इस प्रकार, तथ्य दर्शाते हैं कि बड़ी मात्रा में धनराशि एकत्र की जा सकती थी जिसे छोड़ दिया गया यद्यपि अधिनियम में कर आरोपित किये जाने के प्रावधान पूर्व से ही विद्यमान थे।

2.4.16 व्यवहारियों के 'बिजनेस ऑडिट' आयोजन में विफलता

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 27 तथा नियम 47 में प्रावधान है कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर ऐसे पंजीकृत व्यवहारियों के व्यवसाय की लेखापरीक्षा (बिजनेस ऑडिट) करवा सकता है, जिनका किसी विशिष्ट मापदण्ड से या रेण्डम आधार पर चयन किया गया हो या जिनके बारे में यह विश्वास करने का कारण हो कि उनके व्यवसाय की विस्तृत संवीक्षा किया जाना आवश्यक है। अधिनियम के अन्तर्गत इसकी एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार किया जाना जरूरी है।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने बिजनेस ऑडिट के लिये पंजीकृत व्यवहारियों की कुल संख्या के पांच प्रतिशत के चयन हेतु मापदण्ड 2009 तथा 2011 में निर्दिष्ट किये थे। यह पाया गया कि जांच किये गये डब्ल्यू.टी. वृत्तों में वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान बिजनेस ऑडिट हेतु एक भी व्यवहारी का चयन नहीं किया।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार बिजनेस ऑडिट करने में विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की शुद्धता जांचने एवं राजस्व के रिसाव को रोकने को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने समापन सभा में बताया कि बिजनेस ऑडिट के लिये ठेकेदारों के चयन हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

2.4.17 आंतरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा डब्ल्यू.टी. वृत्तों की लेखापरीक्षा

आंतरिक नियंत्रण का उद्देश्य कानूनों, नियमों, कार्यकारी निर्देशों के उचित रूप से लागू करने के प्रति समुचित आश्वासन देना है। इस तरह का नियंत्रण आंतरिक लेखापरीक्षा के द्वारा भी किया जाता है।

विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा समूह के अभिलेखों की जांच पर ज्ञात हुआ कि आंतरिक लेखापरीक्षा समूह ने सभी 12 डब्ल्यू.टी. वृत्तों का चयन किया था। किन्तु वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा प्रत्येक वर्ष मात्र 6 से 7 डब्ल्यू.टी. वृत्तों की लेखापरीक्षा की गयी। यह भी पाया कि 2010-11 से 2012-13 में 189 प्रकरणों में अनियमिततायें पायी गयी थी किन्तु केवल 21 प्रकरणों में ही कार्यवाही की गयी।

2.4.18 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

वाणिज्यिक कर विभाग, जो कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति में मुख्य योगदान करता है, द्वारा कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किये गये हैं जैसे कि व्यवहारी द्वारा विवरणियों को ऑनलाईन प्रस्तुत करना तथा उनका निर्धारण करना, आई.टी. मॉड्यूल द्वारा आई.टी.सी. के दावों का सत्यापन करना, आदि। फिर भी, निम्न क्षेत्रों में विशेष ध्यान की आवश्यकता है:

- जारी संविदा कार्यों का डाटाबेस संधारित करने या जहां ये उपलब्ध है, वहां उनका उपयोग अपंजीकृत ठेकेदारों को पहचानने में करने की कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी। इसके अलावा, अपंजीकृत ठेकेदारों के प्रकरण में टी.डी.एस. की उच्चतर दर जैसे कठोर उपाय राजस्थान वैट अधिनियम में उपलब्ध नहीं हैं। *सरकार को चाहिये कि जारी संविदा कार्यों का डाटाबेस संधारित करने के लिए प्रणाली विकसित करें तथा इसका उपयोग अपंजीकृत ठेकेदारों को पहचानने हेतु किया जाये। सरकार को राजस्थान वैट अधिनियम में अपंजीकृत ठेकेदारों के प्रकरण में टी.डी.एस. की उच्चतर दर लागू करने के उचित प्रावधान शामिल करने पर भी विचार करना चाहिए।*

- अवार्डरों द्वारा टी.डी.एस. काटने, समय पर जमा कराने तथा मासिक विवरण प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं की गयी, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज एवं शास्ति का आरोपण नहीं किया गया। *टी.डी.एस. की*

सही कटौती तथा समय पर जमा कराने संबंधी अवार्डरों के उत्तरदायित्व का निर्धारण किये जाने के लिए निर्देश जारी करने पर सरकार को विचार करना चाहिए।

- उप-ठेकेदार के करयोग्य टर्नओवर में से उप-ठेके की राशि की कटौती को निर्धारण अधिकारी ने यह सुनिश्चित किये बिना कि मुख्य ठेकेदार ने उस टर्नओवर पर कर चुका दिया, स्वीकार कर लिया। *करयोग्य टर्नओवर में से कोई भी छूट देने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुख्य ठेकेदार द्वारा उप-ठेके से सम्बन्धित टर्नओवर पर कर चुका दिया गया है, निर्दिष्ट प्रपत्र में एक घोषणा पत्र प्राप्त करने के एक प्रावधान को महाराष्ट्र वैट अधिनियम की तर्ज पर राजस्थान वैट अधिनियम में सम्मिलित करने पर सरकार को विचार करना चाहिये।*

- बिल्डर्स/डवलपर्स द्वारा फ्लेट्स/दुकानों के प्री-बुकिंग पर कर संग्रह करने के प्रति विभागीय मशीनरी सचेत नहीं थी। जो प्रकरण उनके ध्यान में थे उनमें से किसी में भी जांच नहीं की गयी। *ऐसे बिल्डर्स/डवलपर्स को पहचानने के लिये सरकार को एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए तथा फ्लेट्स/विलाज/ दुकानों/माल्स के प्री-बुकिंग से बिक्री के कारण राजस्व के रिसाव को रोकने के लिये कदम उठाये जायें।*

- ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की शुद्धता को जांचने तथा छिपाये गये करयोग्य टर्नओवर को ढूंढने के लिए विभाग के पास आन्तरिक नियंत्रण तकनीक पर्याप्त नहीं थी। *सरकार द्वारा विभाग को निर्देश देने चाहिए कि विवरणियों में दर्शाये शून्य टर्नओवर की सटीकता की जांच करें तथा ऐसे ठेकेदारों का पंजीयन निरस्त करने के कठोर प्रावधानों पर विचार करें जिन्होंने पिछले तीन से पांच वर्षों के लिये विवरणियां प्रस्तुत नहीं की थी, जबकि विभाग में उपलब्ध सूचनाओं/अवार्डरों से प्राप्त सूचनाओं के सत्यापन के अनुसार उनका स्पष्ट करयोग्य टर्नओवर था।*

- व्यवसाय लेखापरीक्षा करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों द्वारा टर्नओवर को कम दर्शाये जाने को नहीं खोजा जा सका। *ठेकेदारों को व्यवसाय लेखापरीक्षा के दायरे में लाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने पर सरकार को विचार करना चाहिए।*

2.5 क्रय कर का अनारोपण

राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 4(2) के अनुसार प्रत्येक व्यवहारी जो अपने व्यवसाय के दौरान करमुक्त माल से भिन्न अन्य माल का क्रय ऐसी परिस्थितियों में करता है जिसमें ऐसे माल के विक्रय मूल्य पर उप धारा(I) के तहत कोई कर देय नहीं है और उस माल का निस्तारण धारा 18 की उप धारा (1) के क्लॉज (ए) से (जी) में वर्णित उद्देश्यों के अतिरिक्त करता है तो वह ऐसे माल के क्रय मूल्य पर अधिनियम की अनुसूची III से अनुसूची VI में ऐसे माल के सम्मुख दर्शित दर से कर चुकाने के लिये उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 55 के अनुसार 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देय होगा।

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-राजस्थान, जयपुर के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह पाया (सितम्बर 2013) कि एक व्यवहारी ने अपंजीकृत व्यवहारियों से आटा बनाने के लिये राशि ₹ 5.26 करोड़ का गेहूँ खरीदा। व्यवहारी ने गेहूँ, जो करयोग्य कच्चा माल था, की कीमत पर क्रय कर नहीं जमा कराया और गेहूँ का आटा राज्य के बाहर स्थित अपनी ब्रांचों को स्थानान्तरित कर दिया। निर्धारण अधिकारी ने भी व्यवहारी के वर्ष 2010-11 के निर्धारण आदेश को अन्तिम रूप देते समय क्रय कर का आरोपण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप क्रय कर ₹ 21.02 लाख और ब्याज ₹ 6.31 लाख (मार्च 2013 तक) का अनारोपण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (सितम्बर 2013) तथा सरकार को सूचित किया (मई 2014)। सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2014) कि कर ₹ 21.02 लाख तथा ब्याज ₹ 9.67 लाख की मांग कायम कर दी गयी तथा ₹ 2.10 लाख वसूल कर लिये गये। शेष वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

2.6 आगत कर लाभ की अनियमित स्वीकृति

राजस्थान वैट अधिनियम 2003 की धारा 18(2) में प्रावधान है कि आगत कर लाभ (आई.टी.सी.) का दावा मूल वैट बीजक पर जमा कर के आधार पर ऐसा बीजक जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर स्वीकार्य होगा। आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि से छः माह के भीतर आई.टी.सी. के दावों के सत्यापन किये जाने के निर्देश (1 सितम्बर 2009) जारी किये। इसके अलावा, धारा 61(2)(ए) में प्रावधान है कि कोई व्यवहारी झूठे या फर्जी बीजक के आधार पर गलत आई.टी.सी. का उपयोग करता है तो निर्धारण अधिकारी ऐसे आगत कर लाभ को रिवर्स करेगा और ऐसे गलत लाभ की राशि का चार गुणा शास्ति आरोपित करेगा।

सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, भरतपुर के वर्ष 2010-11 के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह पाया (जून 2013) कि एक व्यवहारी ने ₹ 8.79 लाख

की आई.टी.सी. का उपयोग किया और इसे निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण के समय बिना किसी सत्यापन के स्वीकार कर लिया। व्यवहारी ने ₹ 5.97 लाख की आई.टी.सी. कुछ ऐसे विक्रेता व्यवहारियों के बीजकों के आधार पर ली, जिनके विक्रय विवरण ऑनलाइन उपलब्ध थे।

विक्रेताओं के अभिलेखों तथा क्रेता की विवरणियों के प्रति-सत्यापन में पाया कि व्यवहारी ने ₹ 5.97 लाख के आगत कर लाभ लिया जबकि विक्रेता व्यवहारियों के विक्रय विवरणों के अनुसार, व्यवहारी से केवल ₹ 0.02 लाख ही कर वसूल किया गया था। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा ₹ 5.95 लाख का अधिक लाभ लिया गया। निर्धारण अधिकारी द्वारा आई.टी.सी. का सत्यापन नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 5.95 लाख की अनियमित स्वीकृति और चार गुणा शास्ति ₹ 23.79 लाख का अनारोपण हुआ।

इसे ध्यान में लाये जाने के बाद, विभाग तथा सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2014) कि ₹ 5.85 लाख एवं शास्ति ₹ 23.25 लाख मांग कायम कर दी गई। वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

2.7 अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर का कम आरोपण

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, एक पंजीकृत व्यवहारी द्वारा सी-प्रपत्र केवल पुनर्विक्रय अथवा विक्रय हेतु माल के निर्माण या प्रक्रिया में उपयोग अथवा संचार नेटवर्क में अथवा खनन में अथवा विद्युत के उत्पादन या वितरण में उपयोग हेतु माल क्रय करने के लिये जारी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह धारा प्रावधान करती है कि किसी व्यवहारी द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान निर्धारित शर्तों की पूर्ति नहीं होने पर माल की बिक्री पर उस राज्य में ऐसे माल की बिक्री पर लागू दर से कर देय होगा।

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2010-11 के निर्धारण अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि एक व्यवहारी (मैसर्स टाटा मोटर्स लि., जयपुर) ने अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान सी-प्रपत्रों के समर्थन में निम्नलिखित संविदा ठेकेदारों को मोटर वाहनों का विक्रय किया और दो प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया।

(₹ लाख में)

क्र.सं.	क्रेता व्यवहारी का नाम	सी-प्रपत्र संख्या	विक्रय राशि
1.	मैसर्स वराह इन्फ्रा लिमिटेड, हरियाणा	4840337	809.97
2.	मैसर्स वराह इन्फ्रा लिमिटेड, हरियाणा	4840338	154.27
3.	मैसर्स एसआरसी रीयल टैक प्रा. लिमिटेड, हरियाणा	3175560	163.04
8.3.2011 तक कुल विक्रय			**1,127.28**
4.	मैसर्स जी.आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, झारखण्ड **(8.3.2011 के बाद विक्रय)**	0980421	143.27
योग			**1,270.55**

चूंकि मोटर वाहन निर्धारित उद्देश्यों (विक्रय हेतु माल के निर्माण या प्रक्रिया में उपयोग अथवा संचार नेटवर्क में अथवा खनन में अथवा विद्युत के उत्पादन या वितरण में उपयोग) हेतु उपयोग में नहीं लिये गये इसलिए इस अन्तर्राज्यीय विक्रय पर राज्य में लागू दर जो 14/15 प्रतिशत थी से निम्नानुसार कर आरोपणीय था:

(₹ लाख में)

विक्रय की अवधि	विक्रय राशि	कर की दर में अंतर (प्रतिशत)	आरोपणीय कर	आरोपणीय ब्याज (मार्च 2013 तक)
8.3.2011 तक	1,127.28	12	135.27	40.58
8.3.2011 के बाद	143.27	13	18.63	4.47
योग	**1,270.55**		**153.90**	**45.05**

तथापि, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण करते समय उक्त तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप कर ₹ 1.54 करोड़ और ब्याज ₹ 45.05 लाख का कम आरोपण हुआ।

इसे ध्यान में लाये जाने के बाद, विभाग तथा सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2014) कि कर ₹ 1.54 करोड़ और ब्याज ₹ 69.25 लाख का आरोपण कर दिया गया तथा ₹ 22.32 लाख वसूल कर लिये गये। शेष वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

2.8 विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 की धारा 58 और राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 55 के तहत राज्य सरकार ने कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की दर 31 मार्च 2002 तक 24 प्रतिशत, 1 अप्रैल 2002 से 11 जुलाई 2004 तक 18 प्रतिशत तथा इसके बाद 12 प्रतिशत निर्धारित की थी।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त बारॉं के अवधि 2012-13 के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान पाया (अगस्त 2013) कि एक व्यवहारी ने 1994-95 से 1998-99 की अवधि से सम्बन्धित मांग राशि ₹ 40.89 लाख जमा (8 जनवरी 2013) करायी। फिर भी, निर्धारण अधिकारी ने मांग के विलम्बित भुगतान पर ब्याज आरोपित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 81.79 लाख का अनारोपण हुआ।

चूक को विभाग के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2013) और सरकार को सूचित (मई 2014) किया। सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2014) कि ₹ 81.79 लाख की मांग सितम्बर एवं नवम्बर 2013 में कायम कर दी गयी। यह भी सूचित किया कि वसूली प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी और बैंक खाता पर रोक लगा दी गयी। वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

2.9 प्रवेश कर का अनारोपण

'राजस्थान स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1999' की धारा 3(1) के तहत दिनांक 8 मार्च 2006 को अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार ने विनिर्दिष्ट माल के उपभोग या उपयोग या विक्रय हेतु स्थानीय क्षेत्र में लाने पर अधिसूचना में दर्शायी दर से व्यवहारी द्वारा देय कर को निर्दिष्ट किया।

प्रपत्र वैट-47/वैट ऑडिट रिपोर्ट/वैट-10ए और वैट विवरणियों के साथ संलग्न अन्य अभिलेखों के अनुसार 20 व्यवहारियों ने 2009-10 से 2010-11 के दौरान राशि ₹ 369.66 करोड़ का माल राज्य के बाहर से खरीदा जिस पर प्रवेश कर आरोपणीय था। निर्धारण अधिकारियों ने व्यवहारियों के प्रवेश कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय विभाग के पास उपलब्ध इन अभिलेखों की जांच नहीं की। इसके परिणामस्वरूप प्रवेश कर ₹ 4.72 करोड़ एवं ब्याज ₹ 1.69 करोड़ का अनारोपण हुआ।

इसे ध्यान में लाये जाने के बाद (अगस्त 2013 से अप्रेल 2014), विभाग तथा सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2014) कि ₹ 5.44 करोड़ (प्रवेश कर ₹ 3.70 करोड़, ब्याज ₹ 1.23 करोड़ एवं शास्ति ₹ 51.02 लाख) की मांग कायम कर दी गयी और कर ₹ 84.68 लाख वसूल कर लिये गये। शेष वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई (दिसम्बर 2014)।

अध्याय–III

वाहनों, माल और यात्रियों पर कर

अध्याय-III: वाहनों, माल और यात्रियों पर कर

3.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग के अन्तर्गत प्राप्तियां केन्द्रीय एवं राज्य मोटर वाहन अधिनियमों व इनके अन्तर्गत बनाये नियमों से विनियमित होते हैं एवं परिवहन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। पथकर और विशेष पथकर से प्राप्तियां, राजस्थान राज्य मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951, उसके अर्न्तगत बनाये गये नियमों एवं समय-समय पर जारी अधिसूचनायें जो कि राज्य परिवहन आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं, से विनियमित होते हैं।

परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग में विभागाध्यक्ष होता है और उसकी सहायता के लिए पांच अतिरिक्त परिवहन आयुक्त तथा 13 उपायुक्त होते हैं। सम्पूर्ण राज्य 11 क्षेत्रों में विभाजित हैं जिनमें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं पदेन सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, कार्यालय प्रमुख होते हैं। इसके अलावा 37 वाहन पंजीयन एवं कराधान कार्यालय हैं जिनमें जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय प्रमुख होते हैं।

3.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग के पास वित्तीय सलाहकार के अधीन एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह होता है। इस समूह को कर निर्धारण प्रकरणों की मापक जांच करनी होती है जो अनुमोदित योजना, एवं परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाता है ताकि नियमों व अधिनियमों व समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों की पालना को सुनिश्चित किया जा सके।

गत पांच वर्षो की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिये ड्यू इकाइयाँ	लेखापरीक्षा हेतु कुल ड्यू इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयाँ	कमी प्रतिशतता में
2009-10	16	79	95	89	6	6
2010-11	6	43	49	49	-	-
2011-12	-	43	43	43	-	-
2012-13	-	43	43	43	-	-
2013-14	-	43	43	39	4	9.30

यह पाया गया कि वर्ष 2013-14 के अन्त में, अवधि 2013-14 तक के 11,981 अनुच्छेद बकाया थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	1991-92 से 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	योग
अनुच्छेद	7,759	726	730	831	977	958	**11,981**

आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अवधि 2008-09 तक के 7,759 आक्षेप बकाया थे। इस प्रकार, बड़ी संख्या में बकाया अनुच्छेद इस बात की ओर संकेत करते हैं कि विभाग को आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बकाया आक्षेपों के निस्तारण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हैं।

सरकार को, आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा उठाये गये बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निपटारे के लिए समुचित निर्देश जारी करने चाहिए।

3.3 भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013-14 के दौरान 20 इकाइयों की मापक जांच में विशेष पथकर, पंजीकरण शुल्क, अनुज्ञा शुल्क, चालक अनुज्ञापत्र शुल्क, परिचालक अनुज्ञापत्र शुल्क, शास्ति और राष्ट्रीय परमिट योजना के अन्तर्गत प्रशमन शुल्क का कम निर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं में 9,082 प्रकरण, जिनमें राशि ₹ 20.03 करोड़ सन्निहित थी का पता चला, जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	कर, शास्ति, ब्याज एवं प्रशमन शुल्क की अवसूली/कम वसूली	5,419	17.04
2.	अन्य अनियमिततायें	3,663	2.99
योग		**9,082**	**20.03**

विभाग ने 8,568 प्रकरणों में ₹ 14.76 करोड़ के कम निर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जो कि पूर्ववर्ती वर्षो में ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2013-14 के दौरान 2,702 प्रकरणों में राशि ₹ 6.56 करोड़ की वसूली की गयी।

कुछ निदर्शी लेखापरीक्षा टिप्पणियां जिनमें ₹ 15.96 करोड़ सन्निहित है, पर अनुवर्ती अनुच्छेदों 3.4 से 3.6 में चर्चा की गयी है।

3.4 मोटर वाहनों पर कर की वसूली नहीं करना

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 और 4बी तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार सभी मोटर वाहनों, जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा जो उपयोग हेतु रखे गये हैं, पर मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, दिनांक 9 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार, कर पर 5 प्रतिशत अधिभार भी देय है।

अठारह प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों एवं जिला परिवहन कार्यालयों के 2010-11 से 2012-13 की अवधि के पंजीयन अभिलेखों, कर खातों एवं सामान्य सूची पंजिकाओं की मापक जांच के दौरान पाया (मई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य) कि 4,054 वाहनों के वाहन स्वामियों द्वारा अप्रेल 2010 तथा मार्च 2013 के मध्य की अवधि के लिए मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर का भुगतान या तो नहीं किया गया अथवा कम किया गया। अभिलेखों में इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं पायी गई कि उक्त वाहन सड़क पर नहीं चल रहे थे या अन्य जिले/राज्य को स्थानान्तरित कर दिये गये। कराधान अधिकारियों द्वारा बकाया कर के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप नीचे दर्शाये अनुसार कर व अधिभार राशि ₹ 12.37 करोड़ की अवसूली/कम वसूली रही:

क्र. सं.	वाहनों की श्रेणी	वाहनों की संख्या	कर की अवधि	राशि (₹ करोड़ में)	कार्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भार वाहन	1,204	अप्रेल 2010 से मार्च 2013	2.33	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, दौसा एवं सीकर; जिला परिवहन कार्यालय-धौलपुर, भीलवाड़ा, बाँसवाड़ा, चुरू, नागौर, हनुमानगढ़, टोंक एवं झालावाड़।
2.	संविदा वाहन (चालक को छोडकर 13 व्यक्तियों तक की बैठक क्षमता वाले)	1,638	अप्रेल 2010 से मार्च 2013	3.02	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-कोटा, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, दौसा, सीकर, अजमेर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय-धौलपुर, नागौर, हनुमानगढ़, टोंक, झालावाड़, जयपुर (संविदा वाहन), भीलवाड़ा, डूंगरपुर एवं चुरू।
3.	संविदा वाहन (चालक को छोड़कर 13 व्यक्तियों से अधिक की बैठक क्षमता वाले)	190	अप्रेल 2010 से मार्च 2013	3.40	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर एवं सीकर; जिला परिवहन कार्यालय-नागौर, हनुमानगढ़, जयपुर (संविदा वाहन) एवं चुरू।
4.	मंजिली वाहन	118	अप्रेल 2010 से मार्च 2013	0.82	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-जोधपुर, दौसा, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय-नागौर, हनुमानगढ़, एवं झालावाड़।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	संलग्नक भार वाहन	503	अप्रेल 2010 से मार्च 2013	1.41	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-कोटा, जोधपुर बीकानेर, सीकर, अजमेर, एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय-नागौर, हनुमानगढ़, टोंक एवं भीलवाड़ा।
6.	बिना अनुज्ञापत्र के यात्री वाहन	12	अप्रेल 2012 से मार्च 2013	0.13	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-जोधपुर एवं उदयपुर।
7.	डम्पर/टिप्पर	361	अप्रेल 2010 से मार्च 2013	1.15	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-कोटा, जोधपुर भरतपुर, बीकानेर, सीकर, अजमेर, एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय-नागौर, टोंक, झालावाड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, एवं चुरू।
8.	निजी सेवा वाहन	28	अप्रेल 2011 से मार्च 2013	0.11	जिला परिवहन कार्यालय-जयपुर (संविदा वाहन)।
योग		**4,054**		**12.37**	

प्रकरणों के ध्यान में लाये जाने पर (जून 2013 से मई 2014 के मध्य) सरकार ने बताया (अगस्त 2014) कि 890 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 2.35 करोड़ की वसूली कर ली गयी और 35 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 0.08 करोड़, एकमुश्त कर जमा कराने आदि के कारण वसूलनीय नहीं थे। तथापि, लेखापरीक्षा के समय प्रस्तुत अभिलेख उक्त वर्णित स्थिति नहीं दर्शा रहे थे। बकाया प्रकरणों में वसूली की प्रगति की रिपोर्ट अभी तक प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

3.5 बेड़ा स्वामियों के मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथकर, अधिभार और शास्ति का कम आरोपण

राजस्थान सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जून 2008 के अनुसार बेड़ा स्वामी के मंजिली वाहनों पर विशेष पथकर, बेड़े के समस्त वाहनों, जिसका उपयोग मंजिली वाहनों के रूप में हुआ है या उपयोग हेतु रखे जाते हैं, की चेसिस की लागत का 2.05 प्रतिशत की दर से देय होगा। मासिक कर प्रत्येक माह के 14वें दिन या उससे पहले जमा करा दिया जाना चाहिए, जिसके नहीं कराने पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से विलम्बित भुगतान पर शास्ति देय है। कर पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार देय है।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर के वर्ष 2012-13 के अभिलेखों की समीक्षा में पाया (दिसम्बर 2013) कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वर्ष 2012-13 के राशि ₹ 115.59 करोड़ कर, अधिभार और शास्ति के जमा कराने थे। जबकि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कर, ब्याज, अधिभार और शास्ति के मात्र

₹ 112.77 करोड़ जमा कराये। परिणामस्वरूप विशेष पथकर, अधिभार व शास्ति के रूप में राशि ₹ 2.81 करोड़ की कम वसूली हुई।

मामले को विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (दिसम्बर 2013 और मई 2014 के मध्य); उनका उत्तर प्रतीक्षित रहा (दिसम्बर 2014)।

3.6 एकमुश्त कर की बकाया किस्तों की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-सी के अन्तर्गत तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार सभी परिवहन वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण निर्धारित दरों से किया जायेगा। एकमुश्त कर का सम्पूर्ण भुगतान एक साथ या एक वर्ष की अवधि में तीन समान किश्तों में किया जा सकेगा। कर पर 10 प्रतिशत दर से अधिभार देय है।

आठ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों/जिला परिवहन कार्यालयों[1], के वर्ष 2010-11 से 2012-13 के अभिलेखों की मापक जांच में यह देखा गया (मार्च 2013 और मार्च 2014 के मध्य) कि 202 परिवहन वाहनों के स्वामियों द्वारा एकमुश्त कर का भुगतान तीन समान किश्तों में करने का विकल्प दिया गया था। स्वामियों ने प्रथम किस्त का पूरा भुगतान किया, पर शेष किश्तों का भुगतान या तो नहीं किया अथवा देय कर से कम किया। कराधान अधिकारियों ने देय कर की राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप एकमुश्त कर की राशि ₹ 78.10 लाख की अवसूली रही।

मामला सम्बन्धित कार्यालयों और सरकार को (जून 2013 से मई 2014 के मध्य) ध्यान में लाया गया। सरकार ने बताया (अगस्त 2014) कि 56 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 16.38 लाख वसूल किये जा चुके हैं, शेष प्रकरणों में की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

[1] प्रादेशिक परिवहन कार्यालय-कोटा, जोधपुर, सीकर, उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय-जयपुर (संविदा वाहन), झालावाड़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा।

अध्याय–IV

भू–राजस्व

अध्याय-IV: भू-राजस्व

4.1 कर प्रशासन

भू-राजस्व का निर्धारण एवं संग्रहण, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों से शासित होता है। भू-राजस्व में मुख्यत: भूमि का किराया, लीज किराया, प्रीमियम, रूपान्तरण प्रभार तथा सरकारी भूमि के विक्रय की प्राप्तियाँ शामिल होती हैं।

राजस्व विभाग, सरकार के प्रशासनिक विभाग की तरह कार्य करता है तथा यह भू-राजस्व के निर्धारण और संग्रहण से संबंधित सभी मामलों का प्रबन्धन करता है। राजस्व अधिकारियों के पर्यवेक्षण और निगरानी के साथ-साथ राजस्व से संबंधित न्यायिक मामलों का समग्र नियंत्रण राजस्व मण्डल के पास है। राजस्व मण्डल की सहायता हेतु जिला स्तर पर 33 कलेक्टर, उपखण्ड स्तर पर 289 उपखण्ड अधिकारी और तहसील स्तर पर 314 तहसीलदार हैं। राजस्थान में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए राजस्व मण्डल राज्य स्तरीय क्रियान्वयन प्राधिकरण का भी कार्य करता है।

भूमि के आवंटन एवं अन्य संबंधित मामले राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं से शासित होते हैं।

4.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

राजस्व मण्डल के वित्तीय सलाहकार आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के प्रमुख होते हैं। आन्तरिक लेखापरीक्षा के 14 दल थे। अवधि 2009-10 से 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए ड्यू इकाइयों की संख्या, लेखापरीक्षित इकाइयों की वास्तविक संख्या तथा लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयों की संख्या की स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिए ड्यू इकाइयाँ	लेखापरीक्षा के लिए कुल ड्यू इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयां	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयां	कमी प्रतिशतता में
2009-10	134	570	704	532	172	24
2010-11	172	570	742	707	35	5
2011-12	35	624	659	589	70	11
2012-13	70	672	742	670	72	10
2013-14	72	672	744	586	158	21

स्रोत: सूचना राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रदत्त।

विभाग ने अवगत कराया कि आम चुनाव में स्टाफ के पदस्थापन तथा वर्ष 2011-12 के दौरान 48 नई इकाइयाँ शामिल करने के कारण लेखापरीक्षा में इकाइयाँ बकाया रहीं।

यह देखा गया कि वर्ष 2013-14 के अंत में 19,731 अनुच्छेद बकाया थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ष	2008-09 तक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	योग
अनुच्छेद	9,450	815	1,062	1,756	2,788	3,860	**19,731**

स्रोत: सूचना राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रदत्त।

आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के अवधि 2008-09 तक के 9,450 अनुच्छेद अनुपालना/सुधारात्मक कार्यवाही के अभाव में बकाया थे।

सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा उठाई गई आपत्तियों की शीघ्र अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने चाहिये।

4.3 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013-14 के दौरान भू-राजस्व विभाग की 38 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान लेखापरीक्षा में 611 प्रकरणों में राशि ₹ 41.03 करोड़ की अवसूली, नियमन का अभाव तथा अन्य अनियमितताएँ पाई गई, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	कमाण्ड क्षेत्र में भूमि की कीमत की अवसूली	28	0.09
2.	अतिक्रमण प्रकरण/राजकीय भूमि से असंग्रहण/राजकीय भूमि पर अतिक्रमणों के प्रकरणों का अनियमन	58	25.00
3.	राज्य सरकार के विभागों से प्रीमियम और किराए की अवसूली/कम वसूली	106	11.57
4.	खातेदारों[1] से संपरिवर्तन प्रभारों की अवसूली/कम वसूली	409	3.51
5.	अन्य अनियमितताएं	10	0.86
योग		**611**	**41.03**

वर्ष 2013-14 के दौरान, विभाग ने 6,620 प्रकरणों में ₹ 337 करोड़ के लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 2.58 करोड़ का एक प्रकरण वर्ष 2013-14 में तथा शेष पूर्व के वर्षों में उठाये गये थे। विभाग ने वर्ष 2013-14 के दौरान 244 प्रकरणों में ₹ 13.41 करोड़ वसूल किए जो पूर्व के वर्षों से संबंधित थे।

₹ 8.22 करोड़ के कुछ निदर्शी प्रकरणों का उल्लेख अनुच्छेद 4.4 से 4.8 में किया गया है।

[1] खातेदार राजकीय भूमि पर किरायेदार होते है जिन्हें कृषि प्रयोजनार्थ भूमि दी जाती है।

4.4 लीज किराया की अवसूली

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर 2005 के अनुसार, अधिसूचना में वर्णित कतिपय कम्पनियों/निगमों/संस्थाओं को आवंटित राजकीय भूमि के लिये भूमि की कीमत के 10 प्रतिशत की दर से वार्षिक लीज किराया देय है।

जिला कलेक्टर, जोधपुर के आवंटन पत्रावलियों की मापक जांच के दौरान यह पाया गया (जुलाई 2013) कि ग्राम नारवा खिचीया में खसरा नं. 1/1 की 250 बीघा भूमि राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जयपुर को स्थानांतरित की गयी (जुलाई 2008)। यद्यपि भूमि का कब्जा दे दिया गया, लीज अनुबन्ध निष्पादित होना नहीं पाया गया, परिणामस्वरूप जुलाई 2013 तक ₹ 22.50 लाख[2] के लीज किराये की अवसूली रही।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (अक्टूबर 2013) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2014), उनके जवाब प्रतीक्षित रहे (दिसम्बर 2014)।

4.5 भूमि की कीमत की कम वसूली

4.5.1 दिनांक 20 जुलाई 1963 को अधिसूचित लोकोपयोगी भवनों के लिये अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमियों के आवंटन की शर्तों के क्लॉज 3(ii)(ए) के अनुसार, गैर-राजकीय संस्थाओं को जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा अनुशंसित दरों पर आवंटन किया जायेगा। भूमि की कीमत राजमार्ग से भूमि की दूरी/अवस्थिति पर आधारित है। 100 एवं 200 मीटर से अधिक दूरी पर अवस्थित भूमि की तुलना में 100 मीटर की दूरी पर अवस्थित भूमि की कीमत अधिक होती है।

जिला कलेक्टर, बाड़मेर के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया (फरवरी 2014) कि सार्वजनिक सामुदायिक केन्द्र इत्यादि के निर्माण के लिये 7.10 बीघा राजकीय भूमि[3] ₹ 25.88 लाख की कीमत पर एक ट्रस्ट[4] को आवंटित की गयी (जुलाई 2011)। विभाग द्वारा राज्य राजमार्ग से 200 मीटर दूर अवस्थित भूमि के लिये निर्धारित डीएलसी दर ₹ 3.45 लाख प्रति बीघा प्रभारित की गयी।

तथापि, अभिलेखों से प्रकट हुआ कि भूमि बाड़मेर-गडरा राज्य राजमार्ग सड़क से 100 मीटर के अन्दर स्थित थी जिसके लिये ₹ 6.90 लाख प्रति बीघा डीएलसी दर निर्धारित थी। इसलिये, आरोपण योग्य भूमि की कीमत ₹ 51.75 लाख आती है। इसके परिणामस्वरूप भूमि की कीमत राशि ₹ 25.87 लाख की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (मार्च 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2014); उनके जवाब प्रतीक्षित रहे (दिसम्बर 2014)।

[2] कलेक्टर द्वारा जुलाई 2008 से ₹ 4.50 लाख प्रति वर्ष की दर, भूमि की कीमत का 10 प्रतिशत, से लीज किराया की मांग नही की गई।

[3] बाड़मेर शहर के खसरा नं. 3157/1589 की भूमि।

[4] श्री जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक ओसवाल श्रीसंघ, बाड़मेर।

4.5.2 सरकार के परिपत्र (नवम्बर 1996) के अनुसार, राजस्थान आवासन मण्डल को आवंटित राजकीय भूमि की कीमत पड़ोस में स्थित समकक्ष स्तर की कृषि भूमि की दर से प्रभार्य होगी।

जिला कलेक्टर, अजमेर के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह पाया गया (मार्च 2014) कि ग्राम मदनगंज तहसील किशनगढ़ में खसरा नं. 961/2 पर स्थित 360 बीघा भूमि का आवंटन, खोड़ागणेश रोड़ के मोड़ से 1 किमी से 2 किमी के बीच स्थित भूमि की दर ₹ 6.32 लाख प्रति बीघा के हिसाब से कीमत ₹ 22.77 करोड़ पर राजस्थान आवासन मण्डल को किया गया (दिसम्बर 2012)।

यह पाया गया कि भूमि का एक हिस्सा वास्तव में मोड़ से एक किमी के भीतर खोड़ागणेश रोड़ पर स्थित था जिसके लिये ₹ 7.59 लाख प्रति बीघा की डीएलसी दर लागू थी। इसके अनुसार आरोपण योग्य भूमि की कीमत ₹ 27.32 करोड़ आती है। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 4.55 करोड़ की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (अप्रेल 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2014); उनके जवाब प्रतीक्षित रहे (दिसम्बर 2014)।

4.6 रूपान्तरण प्रभारों की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण) नियम, 2007 के नियम 7 के अनुसार, कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के लिये समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर प्रीमियम प्रभार्य होगा।

कलेक्टर (भू-अभिलेख) अजमेर, जैसलमेर, बून्दी तथा श्रीगंगानगर के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 2013 तथा जनवरी 2014) कि खातेदारी भूमि का औद्योगिक, व्यावसायिक एवं सांस्थानिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया गया।

- अजमेर, जैसलमेर तथा श्रीगंगानगर के 66 प्रकरणों में राशि ₹ 95.23 लाख के रूपान्तरण प्रभारों की न तो मांग की गयी न ही भूमि मालिकों द्वारा भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप रूपान्तरण प्रभार राशि ₹ 95.23 लाख की अवसूली रही।

- श्रीगंगानगर तथा बून्दी में यह देखा गया (अक्टूबर 2013 तथा दिसम्बर 2013 के मध्य) कि 74 प्रकरणों में 8.48 लाख वर्ग मीटर कृषि भूमि का ईंट भट्टा उद्योग की स्थापना के लिये औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया। 59 ईंट भट्टा इकाइयों से रूपान्तरण प्रभार ₹ 64.82 लाख कम वसूल किये गये जबकि 15 प्रकरणों में 1.37 लाख वर्ग मीटर भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कराये बिना ईंट भट्टा स्थापित कर लिये गये, जिन पर रूपान्तरण प्रभार ₹ 27.35 लाख प्रभार्य थे। इस प्रकार, रूपान्तरण प्रभार ₹ 92.17 लाख या तो कम वसूल हुए अथवा वसूल नहीं किये गये।

उक्त सभी प्रकरणों में मामला विभाग के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 तथा जनवरी 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2014)। सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि 46 प्रकरणों में ₹ 59.36 लाख की मांग कायमी की जा चुकी थी तथा 18 प्रकरणों में राजस्व ₹ 16.37 लाख की मांग कायमी की जा रही थी। यह भी कहा गया कि तीन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदान किया गया, जबकि बून्दी के सात प्रकरणों में जवाब प्रतीक्षित रहा।

4.7 राजकीय हिस्सा राशि के प्रेषण का अभाव

सरकार की अधिसूचना (दिसम्बर 2010) के अनुसार, नगर परिषदों द्वारा विक्रय, आवंटन अथवा नियमन से निस्तारित भूमि के पूंजीगत मूल्य का दो प्रतिशत राज्य सरकार के खाते में जमा कराया जायेगा।

जिला कलेक्टर तथा नगर परिषद, जैसलमेर के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह पाया गया (मार्च 2014) कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान विक्रय एवं आवंटन द्वारा भूमि के निस्तारण के द्वारा ₹ 17.86 करोड़ एकत्रित किये गये। तथापि, नगर परिषद द्वारा राजकीय खाते में ₹ 35.72 लाख जमा नहीं कराये गये।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (अप्रेल 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2014); उनके जवाब प्रतीक्षित रहे (दिसम्बर 2014)।

4.8 अधिकतम आवंटन योग्य भूमि से अधिक भूमि का रियायती दर पर आवंटन के कारण भूमि की कीमत की कम वसूली

सौर ऊर्जा नीति, 2011 के क्लॉज 14.2.2 में प्रावधान है कि सौर ऊर्जा प्लांट के लिये आवश्यक राजकीय भूमि का सौर ऊर्जा उत्पादक को आवंटन डीएलसी द्वारा कृषि भूमि के लिये अनुशंसित दर के 10 प्रतिशत के रियायती दर पर किया जायेगा। आगे, नीति के क्लॉज 14.2.8 में, विभिन्न प्रौद्योगिकी के लिये सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना के लिये भूमि के अधिकतम क्षेत्रफल का उल्लेख है।

कलेक्टर (भू-अभिलेख) जैसलमेर के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह पाया गया (मार्च 2014) कि तीन प्रकरणों में सौर ऊर्जा उत्पादकों को 942.085 बीघा की अधिकतम आवंटन योग्य भूमि के विरूद्ध 1,363.25 बीघा भूमि आवंटित की गई। इस प्रकार, डीएलसी दरों के 10 प्रतिशत के रियायती दर पर भूमि आवंटन के लिये निर्धारित सीमा से 421.165 बीघा भूमि अधिक आवंटित होने के परिणामस्वरूप ₹ 95.90 लाख का कम संग्रहण रहा।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (अप्रेल 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2014); उनके जवाब प्रतीक्षित रहे (दिसम्बर 2014)।

अध्याय–V

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

अध्याय-V: मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

5.1 कर प्रशासन

राज्य में मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क से प्राप्तियाँ भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899; पंजीयन अधिनियम, 1908; राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों द्वारा विनियमित होते हैं। दस्तावेजों के निष्पादन पर मुद्रांक कर एवं दस्तावेजों के पंजीयन पर पंजीयन शुल्क देय होता है।

राज्य सरकार के स्तर पर सचिव, वित्त (राजस्व) मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के सम्बन्ध में नीति के निर्धारण, मॉनीटरिंग एवं नियंत्रण के लिये उत्तरदायी होता है। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के प्रमुख हैं। प्रशासनिक मामलों में एक अतिरिक्त महानिरीक्षक व वित्तीय मामलों में एक वित्तीय सलाहकार उनकी सहायता करते हैं। इसके अलावा, एक अतिरिक्त महानिरीक्षक, जयपुर को मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्य सौंपा गया है। सम्पूर्ण राज्य को 13 वृत्तों में विभाजित किया गया है, इनमें से 10 वृत्तों में उपमहानिरीक्षक एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) तथा जयपुर स्थित तीन वृत्तों में उपमहानिरीक्षक एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक),अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक) तथा उपमहानिरीक्षक (सतर्कता) आसीन हैं। राज्य में 33 जिला पंजीयक, 91 उप पंजीयक एवं 426 पदेन उप पंजीयक[1] हैं।

5.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के प्रभार में एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह हैं। इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु योजना उनके महत्व एवं राजस्व प्राप्तियों के आधार पर बनाई जाती है। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षा में शेष रही इकाइयों की स्थिति निम्न प्रकार थी:

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयाँ*	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिये ड्यू इकाइयाँ	लेखापरीक्षा के लिये कुल ड्यू इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयाँ	कमी प्रतिशतता में
2009-10	-	369	369	148	221	59.89
2010-11	-	369	369	132	237	64.22
2011-12	-	369	369	149	220	59.62
2012-13	-	369	369	183	186	50.40
2013-14	-	369	369	117	252	68.29

स्रोत: सूचना महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर द्वारा प्रदत्त।

*लेखापरीक्षा गत लेखापरीक्षा के माह से वर्तमान लेखापरीक्षा अन्तिम माह तक सम्पन्न होती है।

[1] तत्स्थान पर पदस्थापित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को पदेन उप पंजीयक घोषित किया गया है।

2009-10 से 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयों के पूर्ण होने में कमी 50.40 प्रतिशत से 68.29 प्रतिशत रही। विभाग द्वारा कमी का कारण दो लेखापरीक्षा दलों के अकार्यशील रहना बताया गया।

यह देखा गया कि वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 11,017 अनुच्छेद बकाया थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ष	2008-09 तक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	योग
अनुच्छेद	5,805	844	938	1,050	1,469	911	**11,017**

स्रोत: महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

अवधि 2008-09 तक के 5,805 अनुच्छेद बकाया थे, उन पर कार्यवाही समय व्यतीत होने के साथ कठिन होती जावेगी। इसलिए, इन पर सरकार द्वारा त्वरित तथा पूर्ण ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, बहुत बड़ी संख्या में बकाया की स्थिति आन्तरिक लेखापरीक्षा के मूल उद्देश्य को विफल करती है।

सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह को मजबूत करना चाहिए, जिससे राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण में कमियों का समय पर पता लगाकर सही किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रयास किये जाने चाहिये।

5.3 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013-2014 के दौरान पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की 180 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच में 3,474 प्रकरणों में ₹ 173.89 करोड़ के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कम प्राप्ति का पता लगा, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का गलत निर्धारण	1,193	21.44
2.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	611	54.02
3.	अन्य अनियमितताएं[2]	1,670	98.43
योग		**3,474**	**173.89**

वर्ष 2013-14 के दौरान विभाग द्वारा 1,944 प्रकरणों से सम्बन्धित ₹ 48.27 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया गया, जिनमें से ₹ 44.66 करोड़ के 1,202 प्रकरण वर्ष 2013-14 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने वर्ष 2013-14 के दौरान 754 प्रकरणों में ₹ 3.85 करोड़ वसूल किये, जिनमें से ₹ 0.24 करोड़ के 13 प्रकरण वर्ष 2013-14 के तथा शेष पूर्व वर्षों से सम्बन्धित थे।

इसके अतिरिक्त, सरकार एवं विभाग को ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी किये जाने के उपरान्त विभाग द्वारा उप पंजीयक, जोधपुर-I से सम्बन्धित छः प्रकरणों में ₹ 17.82 लाख के मुद्रांक कर की वसूली की गई।

कुछ निदर्शी लेखापरीक्षा प्रकरण, जिनमें ₹ 73.10 करोड़ सन्निहित हैं, पर अनुच्छेद 5.4 से 5.13 में चर्चा की गई है।

[2] न्यायालय प्रकरणों के निर्णय के अभाव में अवसूली, स्थगन आदेशों को नहीं हटवाने से राजस्व की अप्राप्ति, कुर्की आदेशों के निष्पादन के अभाव में अवसूली आदि शामिल।

5.4 सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2011 द्वारा राज्य सरकार ने उल्लेख किया कि संस्थागत प्रयोजनों के लिये भूमि की दरें आवासीय भूमि की दरों के 1.5 गुणा से कम नहीं होंगी तथा संस्थागत प्रयोजनों के लिये दरें पृथक से निर्धारित की जायेंगी। शैक्षणिक संस्थानों के लिये पृथक से दरें निर्धारित नहीं की गई। तथापि, अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2011 को अतिलंघित करते हुए, अधिसूचना दिनांक 8 मई 2011 के द्वारा नियम 58 में प्रावधान किया गया कि संस्थागत प्रयोजनों के लिये भूमि की दरें आवासीय भूमि की दर के 1.5 गुणा के बराबर होगी।

उप पंजीयक, मुण्डावर, बानसूर तथा जसोल के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह पाया गया (अक्टूबर 2013 तथा दिसम्बर 2013) कि चार विक्रय विलेखों का निष्पादन अगस्त 2011 तथा मई 2012 के मध्य हुआ, जिनमें भूमियाँ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा क्रय की गई।

उप पंजीयकों द्वारा सम्पत्ति का मूल्य आवासीय दर के 1.5 गुणा के स्थान पर कृषि दर पर निर्धारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप, निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क राशि ₹ 59.34 लाख का कम आरोपण हुआ:

(₹ लाख में)

उपपंजीयक का नाम	दस्तावेज सं./ क्षेत्रफल	निर्धारित मूल्य	निर्धारण योग्य मूल्य अर्थात् आवासीय दर का 1.5 गुणा	लिया गया मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क	देय मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क	कम वसूली
मुण्डावर	2943/13275 वर्ग गज	13.63	116.89	0.89	6.93	6.04
बानसूर	3043/214124 वर्गफुट	79.20	738.73	3.76	41.13	37.37
बानसूर	2543/30128 वर्गफुट	11.05	103.94	0.72	6.22	5.50
जसोल	2101/121923 वर्गफुट	9.74	192.03	0.63	11.06	10.43
योग		**113.62**	**1,151.59**	**6.00**	**65.34**	**59.34**

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 तथा जनवरी 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रेल 2014)। सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि सभी चारों विक्रय विलेखों में न्यायनिर्णयन हेतु उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करा दिये गये हैं।

5.5 कब्जा हस्तान्तरण के साथ विक्रय अनुबन्ध के रूप में वर्गीकृत दस्तावेज के अपंजीयन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का अनारोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 21 के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (i) के अनुसार, लेख्यपत्र के निष्पादन से पूर्व, के समय अथवा के पश्चात् सम्पत्ति के कब्जा हस्तान्तरण के मामले में अचल सम्पत्ति के विक्रय अनुबन्ध को कन्वैन्स समझा जावेगा तथा तद्नुसार उस पर मुद्रांक कर प्रभार्य होगा।

उप पंजीयक, उदयपुर-I के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह पाया गया (जनवरी 2014) कि श्रीमती मीरा डांगी अपने मुख्तयारनामा धारक श्री जीतेश कुमावत पार्टनर मैसर्स पूजा एन्टरप्राईजेज के द्वारा मैसर्स नवकार बिल्डहोम प्रा.लि. के साथ 20 सितम्बर 2012 को एक विक्रय विलेख निष्पादित किया। विलेख में वर्णित तथ्यों के अनुसार, श्रीमती मीरा डांगी द्वारा 17 सितम्बर 2012 को तीन वर्षो के लिये एक मुख्तयारनामा आम निष्पादित कर श्री जीतेश कुमावत को भूमि विक्रय, विक्रय प्रतिफल प्राप्त करने, कब्जा हस्तान्तरण इत्यादि करने के लिये अधिकृत किया था। यह भी पाया गया कि उक्त कार्यवाही से पूर्व, श्रीमती मीरा डांगी ने 16 जुलाई 2006 को मैसर्स पूजा एन्टरप्राइजेज के साथ विक्रय अनुबन्ध किया था जिसके तहत उन्होंने संपूर्ण विक्रय प्रतिफल राशि ₹ 52.97 लाख प्राप्त कर दिनांक 25 मार्च 2008 को मैसर्स पूजा एन्टरप्राइजेज को भूमि का कब्जा हस्तान्तरित कर दिया था। इस तथ्य पर उप पंजीयक द्वारा 20 सितम्बर 2012 को विक्रय विलेख के पंजीयन के समय ध्यान नहीं दिया गया तथा 25 मार्च 2008 को कब्जा हस्तान्तरण पर कन्वैन्स के समान प्रचलित प्रावधानानुसार ₹ 30.61 लाख प्रति बीघा डीएलसी दर से बाजार मूल्य ₹ 154.48 लाख पर मुद्रांक कर नहीं वसूला गया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क राशि ₹ 9.00 लाख का अनारोपण रहा।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (जनवरी 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2014)। सरकार ने बताया कि (अक्टूबर 2014) कि उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करा दिया गया है।

5.6 मुख्तयारनामा पर मुद्रांक कर का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 44(ईई) के अनुसार, जब अचल सम्पत्ति विक्रय करने के लिये, बिना प्रतिफल प्राप्त किये, मुख्तयारनामा निम्न को किया गया हो तो:

(i) निष्पादक के पिता, माता, भाई, बहिन, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, प्रपुत्र अथवा प्रपुत्री के मामले में मुद्रांक कर ₹ 2,000 प्रभार्य होगा,

(ii) अन्य किसी व्यक्ति के मामले में, मुख्तयारनामा में अंकित सम्पत्ति के बाजार मूल्य के दो प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य होगा।

उप पंजीयक, जसोल (बाड़मेर) तथा जोधपुर–II के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह पाया गया (दिसम्बर 2013 तथा जनवरी 2014) कि छः प्रकरणों में भूमियों के विक्रय के लिये दिये गये मुख्तयारनामों पर ₹ 2,000 प्रति दस्तावेज की दर से मुद्रांक कर ₹ 12,000 तथा दो मुख्तयारनामों में वर्णित सम्पूर्ण क्षेत्र के स्थान पर विक्रय विलेख में वर्णित क्षेत्र पर मुद्रांक कर ₹ 1.13 लाख आरोपित किये गये थे। विलेख राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के आर्टिकल 44(ईई)(ii) में वर्णित श्रेणी में आते थे। इस प्रकार सम्पत्तियों के बाजार मूल्य ₹ 28.09 करोड़ पर दो प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर प्रभारित होना चाहिये था। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर कुल ₹ 60.54 लाख का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (जनवरी तथा फरवरी 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2014)। सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि सभी आठ विलेखों में प्रकरण दर्ज करा दिये गये हैं तथा छः मामलों में आंशिक वसूली ₹ 0.96 लाख हो चुकी है।

5.7 विकास अनुबन्धों पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण

5.7.1 विकास अनुबन्धों पर मुद्रांक कर का अनारोपण तथा ऐसे अनुबन्धों के द्वारा सम्पत्ति हस्तांतरण पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का अनारोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 3 के अनुसार, प्रत्येक लेख्यपत्र पर राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची में वर्णित निर्धारित दरों पर कर प्रभार्य होगा।

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 5(बीबीबीबी) एवं 5(ई) के प्रावधानानुसार, किसी अचल सम्पत्ति के निर्माण अथवा विकास के लिये अनुबन्ध या अनुबन्ध का नियमपत्र, यदि किसी प्रवर्तक अथवा विकासकर्ता, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जावे, को प्राधिकार या शक्ति देने से सम्बन्धित हो, पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर 25 मार्च 2012 तक एक प्रतिशत, 26 मार्च 2012 से 5 मार्च

2013 तक पांच प्रतिशत तथा 6 मार्च 2013 से एक प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य होगा।

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 2(xi) में दी गयी परिभाषा के अनुसार प्रत्येक लेख्यपत्र जिसके द्वारा सम्पत्ति, चाहे चल हो या अचल, अथवा कोई सम्पदा अथवा किसी सम्पत्ति में हित हस्तान्तरित हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति में निहित होता हो, तथा ऐसा हस्तान्तरण दो व्यक्तियों के मध्य, तथा जो अनुसूची में अन्यथा विशिष्ट रूप से नहीं दिया गया हो, कन्वैन्स कहलायेगा। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 21(i) के अनुसार, अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित कन्वैन्स के लेख्यपत्र पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर प्रभारित होगा।

चौदह उप पंजीयकों[3] के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह पाया गया कि भूखण्डों/फ्लैटों/दुकानों के विक्रय के लिये 42 दस्तावेज पंजीबद्ध हुए थे। इन लेख्यपत्रों के वर्णन से प्रकट हुआ कि विकास अनुबन्धों की शर्तों के अनुसार मालिकों की ओर से विकासकर्ताओं द्वारा बहुमंजिला फ्लैटों/दुकानों का निर्माण करना था। इन दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं था कि इन दस्तावेजों में वर्णित विकास अनुबन्ध उप पंजीयकों को प्रस्तुत किये गये थे तथा उपयुक्त मुद्रांक कर वसूला गया था।

यह भी पाया गया कि छः अन्य मामलों में, मालिकों ने निर्माणकर्ताओं के साथ उनकी सम्पत्तियों के विकास के लिये अनुबन्ध किया था। विकास अनुबन्धों की शर्तोनुसार, भू-मालिकों ने या तो सम्पूर्ण सम्पत्ति का कब्जा सौंपा था, अथवा विकासकर्ता को सम्पत्ति का एक हिस्सा हस्तान्तरित किया था। विकासकर्ता विकसित सम्पत्ति को अपने अधिकार में रखने तथा अपनी इच्छानुसार निस्तारण करने के अधिकारी भी थे।

इस प्रकार विकासकर्ता को हस्तान्तरित हिस्से के बाजार मूल्य पर कन्वैन्स की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य था। फिर भी, उप पंजीयक ऐसे हिस्से पर मुद्रांक कर वसूल करने में विफल रहे। विकास अनुबन्धों पर मुद्रांक कर के अनारोपण तथा विकसित सम्पत्ति में हिस्सा हस्तान्तरण पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क अवसूली के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 13.91 करोड़ का अनारोपण रहा।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2014)। सरकार ने बताया (जुलाई तथा अगस्त 2014) कि 17 दस्तावेजों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करा दिये गये हैं। यह भी कहा गया कि 23 मामलों में नोटिस जारी किये गये। दो मामलों में सूचना अपेक्षित रही (दिसम्बर 2014)।

[3] जयपुर-VI, जयपुर-VII, जयपुर-VIII, सांगानेर-II, आमेर, कोटा-II, अलवर-II, जोधपुर-I, जोधपुर-II, जोधपुर- III, उदयपुर- II, जयपुर-I, जयपुर-V तथा जयपुर-II ।

5.7.2 विकास अनुबन्धों के गलत वर्गीकरण तथा उनमें वर्णित सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

5.7.2.1 सत्रह उप पंजीयकों[4] के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अप्रेल 2007 तथा मार्च 2014 के मध्य 133 विकास अनुबन्धों का पंजीकरण हुआ था। परीक्षण में पाया गया कि यह लेख्यपत्र उनके शीर्षक के आधार पर वर्गीकृत किये गये तथा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 5(बीबीबीबी) के अनुसार सम्पत्ति के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत की दर पर मुद्रांक कर आरोपित किया गया। भूमि के मालिकों ने विकासकर्ताओं को निर्माण, विकास के अधिकार सहित भूमि का कब्जा लेने तथा सम्पत्ति के 30 से 85 प्रतिशत की सीमा तक स्वत्वाधिकार के बदले में भूमि का लेन-देन करने के लिये प्राधिकृत किया था। विकासकर्ता, मालिकों की किसी प्रकार की सहमति प्राप्त किये बिना 30 से 85 प्रतिशत की सीमा तक हिस्सा निस्तारित करने के हकदार थे। ऐसा अधिकार प्रदान करना राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 21 के नीचे स्पष्टीकरण के अनुसार कन्वैन्स की श्रेणी में आता था तथा विकासकर्ता को हस्तान्तरित सम्पत्ति के हिस्से पर कन्वैन्स की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य था। विकासकर्ता को हस्तान्तरित सम्पत्ति के हिस्से पर कन्वैन्स की दर से मुद्रांक कर के अनारोपण के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क राशि ₹ 12.52 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2014)। सरकार ने बताया (अगस्त 2014) कि 107 दस्तावेजों में प्रकरण दर्ज करा दिये गये हैं तथा 24 मामलों में नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

5.7.2.2 बारह उप पंजीयकों[5] के अवधि 2007-08 से 2011-12 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 27 दस्तावेजों का पंजीकरण विकास अनुबन्धों के रूप में हुआ था। इन लेख्यपत्रों की संवीक्षा में यह पाया गया कि मालिकों द्वारा भूमि/प्लाटों के विकास के लिये विकासकर्ताओं के साथ समझौता किया गया। यह पाया गया कि उप पंजीयकों ने डीएलसी द्वारा निर्धारित लागू दरों के अनुसार उचित रीति से मूल्यांकन नहीं किया था तथा मूल्यांकन में निर्माण की कीमत को गणना में शामिल नहीं किया था। यह भी पाया गया कि इन लेख्यपत्रों के द्वारा विकासकर्ताओं को 38 से 100 प्रतिशत के मध्य संपत्ति में हिस्सा हस्तान्तरित हुआ था। चूंकि विक्रय के अधिकार के साथ उक्त संपत्ति का कब्जा विकासकर्ता को दिया गया था, अतः दस्तावेजों को कन्वैन्स में श्रेणीबद्ध करते हुए हस्तान्तरित क्षेत्र पर आर्टिकल 21(i) के तहत उक्त दस्तावेजों पर 38 से 100

[4] जयपुर-I, जयपुर-II, जयपुर-III, जयपुर-IV, जयपुर-V, जयपुर-VI, जयपुर-VII, जयपुर-VIII, आमेर, भिवाड़ी, जोधपुर-III, उदयपुर-I, उदयपुर-II, किशनगढ़बास, जोधपुर-I, अजमेर-II तथा वल्लभनगर।

[5] जयपुर-II, जयपुर-V, जयपुर-VI, जयपुर-VII, जयपुर-VIII, आमेर, अलवर-I, अलवर-II, भिवाड़ी, जोधपुर-I, उदयपुर-I तथा उदयपुर-II।

प्रतिशत के मध्य सौंपे गये हिस्से के सम्बन्ध में मुद्रांक कर का आरोपण होना था।

विभाग द्वारा उन दस्तावेजों पर आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ लागू कन्वैन्स दर के स्थान पर बाजार मूल्य पर निर्धारित कर आर्टिकल 5(बीबीबीबी) के तहत एक प्रतिशत से मुद्रांक कर आरोपित किया गया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर ₹ 13.96 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2014)। सरकार ने बताया (अगस्त 2014) कि 19 आक्षेपों में प्रकरण दर्ज तथा सात मामलों में नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

5.7.3 विकास अनुबन्ध पर मुद्रांक कर की अनियमित छूट

सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 24 अगस्त 2007 के द्वारा विशेष आर्थिक जोन (सेज) की स्थापना के लिये, स्थानीय निकाय, व्यक्तिगत किसानों/भूमि मालिकों अथवा राजस्थान स्टेट औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) से भूमि क्रय करने पर किसी विकासकर्ता के पक्ष में निष्पादित कन्वैन्स के लेख्यपत्र पर मुद्रांक कर की छूट इस शर्त पर प्रदान की गयी कि भूमि के किसी टुकड़े पर उक्त छूट केवल एक लेन-देन पर ही दी जायेगी अर्थात् जब विकासकर्ता कम्पनी भूमि का कब्जा प्राप्त करेगी। तदोपरान्त यदि विकासकर्ता कम्पनी अन्य सह-विकासकर्ता नियुक्त करता है तथा भूमि ऐसे सह-विकासकर्ता को हस्तान्तरित करता है अथवा सेज के भीतर विकासकर्ता कम्पनी इकाइयों को भूमि आवंटित/विक्रय करती है तो, मुद्रांक कर की छूट नहीं दी जायेगी।

उप पंजीयक, सांगानेर-II के अवधि 2007-08 से 2011-12 के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि एक दस्तावेज (संख्या 3767 दिनांक 6.12.2007) विकास अनुबन्ध के रूप में निष्पादित हुआ। दस्तावेज के वर्णन से प्रकट हुआ कि ग्राम ठीकरिया; पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला; बालमुकन्दपुरा उर्फ नाडा तथा बगरूखुर्द में स्थित 20.1366 हैक्टेयर भूमि, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के लिये सेज विकसित करने के लिये, एक विकास अनुबन्ध भूमि मालिक तथा विकासकर्ता के मध्य निष्पादित हुआ था। यह पाया गया कि विकासकर्ता के पक्ष में कन्वैन्स का कोई लेख्यपत्र निष्पादित नहीं हुआ था फिर भी उप पंजीयक द्वारा अधिसूचना दिनांक 24 अगस्त 2007 के विपरीत मुद्रांक कर में 100 प्रतिशत छूट दे दी गयी। इसके परिणामस्वरूप विकास अनुबन्ध पर एक प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर राशि ₹ 9.36 लाख की अनियमित छूट दी गयी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2014)। सरकार ने बताया (अगस्त 2014) कि उप पंजीयक से वस्तुस्थिति मांगी गयी है।

5.8 सम्पत्ति को हेरिटेज मानते हुए अवमूल्यांकन तथा पट्टा विलेख पर अनियमित छूट के कारण मुद्रांक कर का कम आरोपण

अधिसूचना दिनांक 24 मार्च 2005 के अनुसार, पर्यटन विभाग द्वारा घोषित योजना के तहत होटल विकास के उद्देश्य के लिये राज्य में 100 वर्षों से अधिक पुरानी हेरिटेज सम्पत्ति के क्रय या लीज के लेख्यपत्र पर मुद्रांक कर 75 प्रतिशत कम करते हुए प्रभार्य होगा।

उप पंजीयक, भरतपुर के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह पाया गया (फरवरी 2012) कि भरतपुर में स्थित सम्पत्तियां जैसे मोती महल, गोल बाग, सर्कस तथा लाल कोठी के साथ-साथ संलग्न भूमि महाराजा विश्वेन्द्र सिंह द्वारा होटल उद्देश्य हेतु 99 वर्षों के लिये गोदावरी शिल्पकला हॉस्पीटेलिटी लि. को लीज पर दी गयी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मुद्रांक कर/पंजीयन शुल्क आरोपण के लिये लीज सम्पत्ति का मूल्यांकन ₹ 110.54 करोड़ पर किया गया। संपूर्ण हस्तान्तरित सम्पत्ति होटल उद्देश्य के लिये उपयोग में ली जानी थी। तथापि सम्पत्ति को दो तरह से माना गया, लीज सम्पत्ति के एक हिस्से को, औद्योगिक दर ₹ 278.81 प्रति वर्गफीट के हिसाब से ₹ 9.28 करोड़ के स्थान पर आवासीय दर ₹ 135 प्रति वर्गफीट लागू कर ₹ 4.49 करोड़ पर मूल्यांकित किया गया। अभिलेख पर ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं था जो होटल उद्देश्य के लिये दी गयी लीज भूमि के इस भाग को आवासीय प्रयोजनार्थ माने जाने के कारणों को दर्शित करता हो। इस प्रकार, सम्पत्ति का कुल मूल्यांकन ₹ 115.32 करोड़ होना चाहिए था जिस पर ₹ 5.77 करोड़ मुद्रांक कर आरोपणीय था।

यह भी पाया गया कि उप पंजीयक द्वारा ₹ 110.54 करोड़ मूल्य पर ₹ 5.53 करोड़ मुद्रांक कर गणित किया गया था परन्तु अधिसूचना दिनांक 24 मार्च 2005 द्वारा निर्धारित शर्तों के उल्लघंन में सम्पत्ति को गलती से हेरिटेज सम्पत्ति मानते हुए ₹ 4.15 करोड़ की छूट अनुमत्य कर ₹ 1.38 करोड़ प्रभारित किये गये। सम्पत्ति न तो हेरिटेज सम्पत्ति थी न ही पर्यटन विभाग द्वारा ऐसी घोषित की गयी थी। इस प्रकार, सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन तथा हेरिटेज संपत्ति मानते हुए लीज विलेख पर अनियमित छूट प्रदान करने के कारण मुद्रांक कर ₹ 4.39 करोड़ कम आरोपित हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (मार्च 2012) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2014)। सरकार ने बताया (सितम्बर 2014) कि उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

5.9 रिप्स के अन्तर्गत अनियमित छूट प्रदान करने के कारण मुद्रांक कर की अवसूली

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2010 के परिशिष्ट-I के क्रम संख्या 4 के अनुसार, मुद्रांक कर में 50 प्रतिशत छूट केवल उन्ही उद्यमों को अनुमत्य होगी जो विद्यमान रूग्ण औद्योगिक उद्यम के स्थान पर स्थापित की जायेगी।

उप पंजीयक, जयपुर-I के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह पाया गया (दिसम्बर 2013) कि रिप्स के तहत रियायती दर पर लाभ निम्न विवरण अनुसार अनियमित रूप से अनुमत्य किये गये:

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	उप पंजीयक कार्यालय का नाम	दस्तावेज सं. पक्षकार का नाम	मुद्रांक कर की अवसूली	कारण
1.	जयपुर-I	(i) 6918/11.07.2012 टोहो मनु मशीन पार्टस प्रा.लि.	16.66	रिप्स के परिशिष्ट-I के क्रम सं. 4 के अनुसार, विद्यमान उद्यम के स्थान पर स्थापित उद्यम छूट के लाभ के हकदार नही होंगे। यह पाया गया कि उप पंजीयक द्वारा पहले से स्थापित उद्यम के तथ्य के बावजूद अनियमित छूट अनुमत्य की गयी।
		(ii) 4451/25.04.12 मैसर्स रिमझिम विनिमय प्रा.लि.	7.47	

इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर राशि ₹ 24.13 लाख की अवसूली रही।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (जनवरी 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2014)। सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि दोनों दस्तावेजों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करा दिये गये हैं।

5.10 सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 21(i) के अनुसार अचल सम्पत्ति से संबंधित कन्वैन्स के लेख्यपत्र पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर प्रभारित होगा। राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 के नियम 58 के प्रावधान अनुसार भूमि का बाजार मूल्य डीएलसी द्वारा अनुशंसित दरों अथवा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा अनुमोदित दरों, इनमें से जो उच्चतर हो, के आधार पर आंकलित होगा।

सात उप पंजीयकों[6] के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह पाया गया कि 13 दस्तावेजों के मामले में विभिन्न कारणों से उप पंजीयकों द्वारा संपत्तियों का बाजार मूल्य कम मूल्यांकित किया गया था। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

क्र. सं.	अनियमितता की प्रकृति	दस्तावेजों की संख्या	आरोपण योग्य मुद्रांक कर	मुद्रांक कर का कम आरोपण (₹ लाखों में)
		उप पंजीयकों की संख्या	भुगतान किया गया मुद्रांक कर	
1.	यह पाया गया कि मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 580/4 में प्लॉट काटे गये। इसके बावजूद उप पंजीयक ने प्रश्नगत भूमियों का मूल्यांकन कृषि दर पर किया था।	4 1	12,42,866 4,95,905	7.47
2.	यह पाया गया कि अन्य दस्तावेज में प्रभात नगर आवासीय योजना में प्लॉट विक्रय के तथ्य के बावजूद आवासीय दर के स्थान पर कृषि डीएलसी पर मूल्यांकन किया गया था।	1 1	14,29,980 2,60,000	11.70
3.	यह पाया गया कि दस्तावेज के अनुसार फोर्ट का क्षेत्रफल 2,47,856.4 वर्गफीट था परन्तु उप पंजीयक द्वारा 485 वर्गफीट भूमि का मूल्यांकन किया गया तथा प्रतिफल राशि ₹ 50 लाख पर मुद्रांक कर वसूला गया।	1 1	61,16,684 4,40,000	56.77
4.	यह पाया गया कि रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी के लिये भूमि आवंटित की थी परन्तु उप पंजीयक ने औद्योगिक दर से भूमि मूल्यांकित की थी।	1 1	1,37,83,630 44,85,830	92.98

इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क राशि ₹ 2.02 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 तथा अप्रेल 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2014)। सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि सभी 13 दस्तावेजों में उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज करा दिये गये हैं।

[6] जयपुर-I, जयपुर-III, सवाईमाधोपुर, जोधपुर-II, गढ़ी, वल्लभनगर तथा देसूरी।

5.11 दस्तावेजों को सैटलमेन्ट विलेखों के रूप में गलत वर्गीकरण पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 2(xi) में दी गई परिभाषा के अनुसार, प्रत्येक लेख्यपत्र जिसके द्वारा सम्पत्ति, चाहे चल हो या अचल, अथवा कोई सम्पदा अथवा किसी सम्पत्ति में हित हस्तान्तरित हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति या अन्तर्व्यक्तिशः में निहित हो तथा जो अनुसूची में अन्यथा विशिष्ट रूप से नहीं दिया गया हो, कन्वैन्स कहलायेगा। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 21(i) के अनुसार, अचल सम्पत्ति से संबंधित कन्वैन्स के लेख्यपत्र पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर प्रभारित होगा। धारा 2(xxxiv) सैटलमेन्ट को परिभाषित करती है जिसके अन्तर्गत व्यवस्थापक द्वारा अपने परिवार के मध्य अथवा उनको जिनके लिये उसकी इच्छा हो अथवा उस पर आश्रित किसी व्यक्ति को सम्पत्ति बांटने के उद्देश्य से अचल सम्पत्ति का लिखित में वसीयती लेख्यपत्र से भिन्न लेख्यपत्र का निष्पादन किया जाता है।

उप पंजीयक, बीकानेर-II के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान चार दस्तावेजों के वर्णन से यह पाया गया (फरवरी 2014) कि एक-एक पक्षकार को पूर्ण स्वामित्व दिया गया था (विलेखों की शर्त सं. 2)। इस प्रकार, दस्तावेजों को कन्वैन्स में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। उप पंजीयक द्वारा दस्तावेजों को सैटलमेन्ट विलेख के रूप में वर्गीकृत किया गया तथा आरोपणयोग्य मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क ₹ 20.03 लाख के स्थान पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क ₹ 5.61 लाख प्रभारित किये गये। दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क ₹ 14.42 लाख का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (मार्च 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2014)। सरकार ने बताया (अगस्त 2014) कि उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां सभी चारों विलेखों में प्रकरण दर्ज करा दिये गये हैं।

5.12 पट्टे का अधिन्यास के द्वारा हस्तान्तरण के गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 55 के अनुसार, पट्टे का अधिन्यास के द्वारा हस्तान्तरण के लेख्यपत्र के मामले में, हस्तान्तरण योग्य सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वैन्स के बराबर मुद्रांक कर प्रभार्य होगा। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के परिपत्र संख्या 6/2009 द्वारा स्पष्ट किया गया कि पार्टनरशिप (साझेदारी) में परिवर्तन पर निष्पादित लेख्यपत्र पट्टे का अधिन्यास के द्वारा हस्तान्तरण की श्रेणी में आयेगा।

उप पंजीयक, जयपुर-III तथा भरतपुर के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया (मार्च 2014) कि पुराने साझेदारों के सेवानिवृत्त/नये साझेदारों के शामिल होने पर साझेदारी फर्म में साझेदारों के हिस्से में परिवर्तन के पश्चात् संशोधित लीज

विलेखों के तीन दस्तावेजों का पंजीयन किया गया। अत: पुराने साझेदारों द्वारा धारित अचल सम्पत्तियां नये साझेदारों को हस्तान्तरित हुई अथवा विद्यमान पुराने साझेदारों के हिस्से में वृद्धि हुई। इस प्रकार, पट्टे का अधिन्यास के द्वारा हस्तान्तरण की श्रेणी में आने वाले लेख्यपत्रों पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वैन्स की दर से मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क ₹19.46 लाख प्रभार्य थे। इन दस्तावेजों के संशोधित लीज विलेखों के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क राशि ₹19.46 लाख का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (अप्रेल 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2014)। सरकार ने बताया (सितम्बर 2014) कि सभी तीन विलेखों में प्रकरण उपमहानिरीक्षक (मुद्रांक) के यहां दर्ज करा दिये गये हैं।

5.13 सम्पत्ति का मूल्यांकन व्यावसायिक के स्थान पर औद्योगिक से करने के कारण पट्टा विलेख पर मुद्रांक कर का कम आरोपण

आर्टिकल 33(ए)(iii) के अनुसार, पट्टे के मामले में जहां पट्टा 20 वर्षों से अधिक अवधि के लिये हो अथवा स्थायी रूप से दिया गया हो अथवा जहां अवधि वर्णित नहीं हो, सम्पत्ति जो पट्टे की विषय-वस्तु है, के बाजार मूल्य पर कन्वैन्स के समान मुद्रांक कर प्रभार्य होगा। रिप्स-2010 के क्लॉज 5 के तहत अयोग्य इकाइयों की सूची में आने वाली इकाइयों के अलावा सभी इकाइयों को क्लॉज 7 के अनुसार पूंजीगत निवेश सब्सिडी के लाभ तथा क्लॉज 8 के अनुसार छूट प्राप्त होगी। रिप्स-2010 के प्रावधान, इकाइयों द्वारा योजना की सक्रिय अवधि के दौरान व्यावसायिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने की शर्त पर सभी नवीन निवेशों तथा विद्यमान इकाइयों एवं उद्यमों द्वारा आधुनिकीकरण/विस्तारीकरण/अपवर्तन के लिये किये गये निवेश के लिये लागू होंगे। राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया (23 सितम्बर 2011) कि रिप्स-2010 के क्लॉज 5 के तहत मुद्रांक कर में छूट मिश्रित क्रियाकलापों अर्थात् वस्तुओं के व्यापार के साथ-साथ सेवायें प्रदान करने पर लागू नहीं होंगी।

उप पंजीयक, सांगानेर-I के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह पाया गया कि एक पट्टा विलेख (सं. 4622) पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप आधार पर जिसके लिये प्राधिकार अनुबन्ध भी निष्पादित हुआ था, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केन्द्र के विकास के लिये 60 वर्षों की अवधि के लिये रीको तथा मैसर्स डिलीजेन्ट पिंकसिटी प्रा.लि. के मध्य निष्पादित हुआ (24 जनवरी 2013)। प्राधिकार अनुबन्ध के तहत, चार मुख्य भाग यथा प्रदर्शनी स्थल, सम्मेलन केन्द्र, चार स्टार या ऊपर श्रेणी का एक होटल तथा व्यावसायिक-किराया एवं ऑफिस कॉम्प्लेक्स सुविधाएं विकसित की जानी थी। पट्टा विलेख के पंजीयन हेतु प्रस्तुतीकरण पर, उप पंजीयक द्वारा सम्पत्ति का मूल्यांकन औद्योगिक सम्पत्तियों के लिये निर्धारित दर पर किया गया तथा उद्योग विभाग से जारी अधिकार प्रमाणपत्र के आधार पर मुद्रांक कर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान

करते हुए मुद्रांक कर ₹ 3.02 करोड़ (मुद्रांक कर ₹ 2.74 करोड़ (+) सरचार्ज ₹ 0.28 करोड़) प्रभारित किये गये। चूंकि प्राधिकार अनुबन्ध के अनुसार भूमि व्यावसायिक गतिविधियों के लिये पट्टे पर दी गयी थी, अत: मूल्यांकन क्षेत्र के लिये निर्धारित व्यावसायिक डीएलसी दर पर निर्धारित किया जाना चाहिए था जो ₹497.40 करोड़ बनता है। इस पर मुद्रांक कर ₹27.36 करोड़ आरोपण योग्य था। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर ₹ 24.34 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2014)। सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि छूट रिप्स के तहत दी गयी थी एवं शर्तों के उल्लंघन की निगरानी के लिये उद्योग विभाग उत्तरदायी था। उक्त तथ्य से स्पष्ट होता है कि राजस्व हित में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग तथा उद्योग विभाग के मध्य समन्वय को मजबूत करने की आवश्यकता है।

अध्याय–VI

राज्य आबकारी

अध्याय-VI: राज्य आबकारी

6.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर सचिव, वित्त (राजस्व) प्रशासनिक प्रमुख तथा विभाग प्रमुख आबकारी आयुक्त होते हैं। विभाग सात संभागों में विभक्त है जिसके प्रमुख अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर संभाग) होते हैं। सम्बन्धित संभागों के अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों के नियन्त्रणाधीन जिला आबकारी अधिकारी और 164 आबकारी निरीक्षक, आबकारी शुल्क व अन्य शुल्कों के आरोपण/संग्रहण की देखरेख तथा नियंत्रण करने के लिए नियुक्त हैं।

6.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग के पास एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह है जो वित्तीय सलाहकार के अधीन होता है। इस समूह को अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ, समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों की अनुपालना की सुनिश्चितता करने के लिये, निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप तथा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार कर निर्धारण के प्रकरणों की मापक जांच करनी होती है।

विगत पांच वर्षो की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान सम्मिलित की गई इकाइयाँ	कुल इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयाँ	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयों का प्रतिशत
2009-10	88	40	128	58	70	55
2010-11	70	40	110	83	27	25
2011-12	27	40	67	60	7	10
2012-13	7	41	48	41	7	15
2013-14	7	41	48	42	6	13

यह देखा गया कि वर्ष 2013-14 के अन्त तक 733 अनुच्छेद बकाया थे जिनमें 249 अनुच्छेद पांच वर्षों से अधिक पुराने थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की वर्षवार स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	2008-09 तक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	योग
अनुच्छेद	249	25	87	130	242	0	**733**

इस प्रकार, अत्यधिक बकाया अनुच्छेदों के रहते आन्तरिक लेखापरीक्षा का उद्देश्य विफल रहा।

सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने तथा अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने एवं राजस्व की छीजत को रोकने के लिये बकाया अनुच्छेदों पर युक्तियुक्त कार्यवाही करने पर विचार करना चाहिए।

6.3 भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013-14 के दौरान 19 इकाइयों के आबकारी शुल्क, अनुज्ञापत्र शुल्क प्राप्तियों इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेखों की मापक जांच में 3,240 प्रकरणों में ₹ 22.52 करोड़ की, आबकारी शुल्क/अनुज्ञापत्र शुल्क/ब्याज/शास्ति की अवसूली/ कम वसूली तथा अन्य अनियमिततायें प्रकट हुई, जोकि निम्नलिखित श्रेणी में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	राज्य आबकारी विभाग द्वारा जारी बार अनुज्ञापत्रों की लेखापरीक्षा	1	0.56
2.	आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली/कम वसूली	203	11.63
3.	विशेष वेण्ड फीस की अवसूली	47	3.82
4.	आवेदन नवीनीकरण फीस की अवसूली	1,334	3.45
5.	मदिरा की अधिक क्षति के कारण आबकारी शुल्क की हानि	174	0.86
6.	प्रतिभूति जमा पर ब्याज की अवसूली	1,359	0.62
7.	अन्य अनियमिततायें	122	1.58
योग		**3,240**	**22.52**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 2,772 प्रकरणों में ₹ 7.02 करोड़ के अवमूल्यांकन तथा अन्य अनियमिततायें स्वीकार की जो कि पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लायी गयी थी। वर्ष 2013-14 में 1,788 प्रकरणों में ₹ 2.57 करोड़ की वसूली की गई।

विभाग/सरकार को ड्राफ्ट पैरा जारी किये जाने के पश्चात् विभाग द्वारा दो प्रकरणों में राशि ₹ 18.54 लाख की पूर्ण वसूली की गयी। इनको इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है।

राज्य आबकारी विभाग द्वारा जारी बार अनुज्ञापत्रों की लेखापरीक्षा और कुछ निदर्शी प्रकरणों जिनमें राशि ₹ 5.94 करोड़ सन्निहित है, पर अनुवर्ती अनुच्छेदों 6.4 से 6.10 में चर्चा की गयी है।

6.4 राज्य आबकारी विभाग द्वारा जारी बार अनुज्ञापत्रों की लेखापरीक्षा

6.4.1 परिचय

राजस्थान का राज्य आबकारी विभाग (विभाग) होटल, रेस्तराँ एवं क्लब बार को अनुज्ञापत्र जारी करता है जो आगन्तुकों को 'परिसर में' उपभोग हेतु मादक पेय अर्थात् बीयर, वाईन, शराब एवं कॉकटेल परोसते हैं। अनुज्ञाधारी अन्य प्रयोजन के लिये अथवा किसी अन्य व्यक्ति को या सीलबंद बोतलों में शराब का विक्रय नहीं कर सकता है।

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 48 के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त द्वारा एक यथोचित पंजीकृत क्लब, होटल या रेस्तराँ को राजस्थान आबकारी नियम, 1956, होटल बार/क्लब बार अनुज्ञप्तियां प्रदाय नियम, 1973, राजस्थान आबकारी (रेस्तराँ बार अनुज्ञप्ति प्रदाय) नियम, 2004 एवं समय-समय की आबकारी नीति के प्रावधानों में निर्धारित शर्तों व उपबन्धों को पूरा करने की स्थिति में बार अनुज्ञापत्र प्रदान किये जा सकते हैं।

6.4.2 लेखापरीक्षा का कार्य-क्षेत्र एवं उद्देश्य

राज्य के 34 जिला आबकारी अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में 31 दिसम्बर 2013 को आने वाले होटल, हेरिटेज होटल एवं क्लब बार अनुज्ञापत्रों की कुल संख्या 853 थी। इनमें से पांच जिला आबकारी अधिकारी[1] एवं 136 अनुज्ञापत्रों का चयन मापक जांच के लिये किया गया। अनुज्ञापत्रों की निगरानी पर विभाग की कार्यकुशलता तथा प्रभाविकता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मापक जांच की गयी थी। लेखापरीक्षा टिप्पणियों का आगामी अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है।

लेखापरीक्षा टिप्पणियां

6.4.3 निर्धारित पंजिका का संधारण नहीं करना

होटल बार/क्लब बार अनुज्ञप्तियां प्रदाय नियम, 1973 के नियम 3(4) के अन्तर्गत, बार अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिये प्राप्त आवेदनों के निस्तारण पर दृष्टि रखने के लिये प्रत्येक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 'प्रपत्र ब पंजिका' कहलाने वाली एक पंजिका का संधारण किया जाना होता है। इसमें 13 कॉलम होते हैं यथा आवेदक का नाम, पता, जमा किये प्रारंभिक शुल्क की राशि, चालान संख्या व प्रविष्टि की दिनांक, जिला आबकारी अधिकारी के लघु हस्ताक्षर आदि।

पांच चयनित जिला आबकारी अधिकारियों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 'प्रपत्र ब पंजिका' का संधारण किसी भी कार्यालय में नहीं किया गया था।

[1] अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर शहर, सिरोही और उदयपुर।

विभाग में सुलभ आई.टी. तंत्र, पंजिका में उल्लेखित विवरण को अभिलिखित नहीं करता है। इस प्रकार, बार अनुज्ञापत्रों के सम्बन्ध में प्राप्त एवं निस्तारित आवेदनों की कुल संख्या का पता नहीं लगाया जा सका।

बार अनुज्ञापत्रों हेतु आवेदनों की प्राप्ति व निस्तारण पर नियंत्रण एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि विभाग अपने आई.टी. तंत्र में 'प्रपत्र ब पंजिका' का प्रावधान रखने पर विचार करे तथा ऐसे प्रावधान होने तक विभाग द्वारा पंजिका की हार्ड/हस्तलिखित प्रति संधारित की जावे।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2014)। सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि सभी जिला आबकारी अधिकारियों को पंजिका संधारण करने के लिये निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

6.4.4 बार अनुज्ञापत्र जारी करने में पायी गयी विसंगतियां

वर्ष 2010-11 के लिये आबकारी एवं मद्यसंयम नीति की अनुपालना में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों (9 अप्रेल 2010) में अनुबन्ध था कि बार अनुज्ञापत्र हेतु प्राप्त आवेदन को 30 दिवसों के अन्दर निस्तारित किया जाना चाहिए।

होटल बार/क्लब बार अनुज्ञापत्र प्रदाय नियम, 1973 के नियम 3(1) के अन्तर्गत दिये गये परन्तुक के अनुसार, किसी प्रतिष्ठान को होटल/क्लब बार अनुज्ञापत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पर अनुशंसा करने के लिये सरकार एक समिति का गठन करे। ऐसी समिति की अनुशंसा पर आबकारी आयुक्त अनुज्ञापत्र प्रदान अथवा नवीनीकृत कर सकता है। राज्य सरकार ने होटल/क्लब बार अनुज्ञापत्र प्रदान करने हेतु आवेदनों पर अनुशंसा करने के लिये संभागीय समितियों[2] का पुनर्गठन किया (13 मार्च 2006)।

6.4.4.1 अनुज्ञापत्र जारी करने में देरी

चयनित इकाइयों को वर्ष 2011-13 के दौरान जारी बार अनुज्ञापत्रों की पत्रावलियों की मापक जांच में प्रकट हुआ कि अतिरिक्त आयुक्त, संभाग या आबकारी आयुक्त स्तर पर ध्यान में आयी विसंगतियों/कमियों के कारण 2011-12 में 42 अनुज्ञापत्र तथा 2012-13 में 36 अनुज्ञापत्र 30 दिवसों की निर्धारित समय सीमा के पश्चात् जारी किये गये। परिणामत: अनुज्ञापत्रों पर अन्तिम निर्णय लेने में देरी हुई तथा आबकारी शुल्क एवं परमिट शुल्क की वसूली नहीं हो सकी।

आवेदनों के समयोचित प्रस्तुतीकरण एवं निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा एक चैकलिस्ट निर्धारित की गयी थी। चैकलिस्ट में कुछ

[2] सरकार द्वारा संभागीय समिति के गठन में निम्न को शामिल किया जाता है: (1) अध्यक्ष, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त (2) सदस्य, जिला कलेक्टर का नोमिनी जोकि उपखण्ड अधिकारी के स्तर से कम ना हो। (3) सदस्य सचिव, जिला पर्यटन अधिकारी या सहायक उपनिदेशक पर्यटन विभाग और (4) सदस्य, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी।

सूचना होती है जो आवेदकों द्वारा उपलब्ध करवानी होती है। यदि आवेदक ने कोई अथवा सभी सूचनायें उपलबध नहीं करवाई थी तो उसका आवेदन प्रारंभिक स्तर पर ही सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किये जाने योग्य था। यद्यपि, जिला आबकारी अधिकारी ने चैक लिस्ट के उद्देश्य को विफल करते हुए आवेदनों को अनुमोदन हेतु अग्रेषित करने से पूर्व उन्हें पूर्ण नहीं करवाया।

6.4.4.2 अनुज्ञापत्र जारी न होने से राजस्व की हानि

यह भी पाया गया कि बार अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु जिला आबकारी अधिकारी अलवर, भीलवाड़ा व जयपुर शहर को प्रस्तुत, वर्ष 2010-11 हेतु 3 आवेदनों[3] तथा वर्ष 2011-12 हेतु 6 आवेदनों[4] पर उसी वर्ष के अन्दर अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने में विभाग विफल रहा। वांछित स्वीकृति प्राप्त होने में देरी के कारण आवेदकों ने विभाग से अगले वर्ष हेतु स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। विभाग ने अनुरोध स्वीकार कर प्रारम्भिक शुल्क तथा प्रक्रिया शुल्क को अगले वर्ष के लिये समायोजन करने की अनुमति देकर तद्नुसार अगले वर्ष के लिये अनुज्ञापत्र जारी कर दिये गये। इस प्रकार, ये होटल पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान व्यवसाय नहीं कर सके। यदि विभाग ने शीघ्र कार्यवाही की होती तथा समयोचित अनुज्ञापत्र जारी किये होते तो ₹ 56.00 लाख के राजस्व की वसूली की जा सकती थी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2014)। सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि स्वीकृति की प्रक्रिया में समय लगता है तथा आवेदन को अगले वर्ष के लिये स्वीकार करने की स्थिति में प्रक्रिया शुल्क पुनः प्रभारित किया जाता है। यह भी सूचित किया गया कि अनुज्ञापत्र की स्वीकृति पर अनुज्ञाशुल्क देय/समायोज्य था।

तथापि, तथ्य यह है कि विभागीय निर्देशों के बावजूद बार अनुज्ञापत्र जारी करने में देरी हुई। इससे यह भी प्रकट होता है कि विभाग अनुज्ञापत्र प्रक्रिया को 30 दिवसों की अवधि में पूर्ण करने सम्बन्धी स्वयं अपने निर्देशों की पालना नहीं कर रहा था।

6.4.5 तथ्यों के अपूर्ण एवं गलत परीक्षण के कारण देरी

आबकारी आयुक्त द्वारा 2011-13 के दौरान जारी अनुज्ञापत्रों की मापक जांच में यह पाया गया कि जिला आबकारी अधिकारी ने बार अनुज्ञापत्र प्रदान करने हेतु निर्धारित मापदण्डों के संदर्भ में आवेदनों का परीक्षण एवं मूल्यांकन नहीं किया एवं सभी आवेदनों को समिति को उनके अनुशंसा हेतु अग्रेषित कर दिया। इस प्रकार,

[3] अलवर के होटल माईटी डेज और चौधरी होटल तथा जयपुर का बोटिक होटल।

[4] होटल जगदम्बा पैलेस एण्ड रेस्टोरेन्ट और जनता भीलवाड़ा में और जयपुर में मैंगो, छवि होलिडेज, हेरिटेज विलेज तथा ट्री ऑफ लाईफ।

विभाग ने अपना प्रमुख उत्तरदायित्व समिति पर डाल दिया। आगे, किसी निर्धारित चैक लिस्ट की अनुपस्थिति में, समितियां अपनी कार्यप्रणाली में एकरूप नहीं थी।

लेखापरीक्षित 78 प्रकरण पत्रावलियों से यह प्रकट हुआ कि आठ प्रकरणों में समितियों ने बार अनुज्ञापत्र हेतु आवश्यक निम्न तालिका में उल्लेखित आधारभूत शर्तों की जांच के बिना बार अनुज्ञापत्र प्रदान करने की अनुशंसा कर दी:

क्र.सं.	समिति द्वारा नहीं जांचें गये बिन्दु	आवेदकों के नाम
1.	आवेदन के साथ प्रारम्भिक शुल्क जमा नहीं करवाया गया था।	मुकेश होटल और रेस्तरॉं, श्रीगंगानगर; आमंत्रण कम्फर्ट होटल, उदयपुर एवं जीवन तारा क्लब एण्ड रिसोर्ट, उदयपुर।
2.	आवेदक द्वारा होटल निर्माण के लिये निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया था।	होटल रूप पैलेस, जयपुर।
3.	स्वामित्व तथा सम्पत्ति के वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू-परिवर्तन के प्रमाण आवेदनों के साथ संलग्न नहीं थे।	होटल महारानी पैलेस, श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर; कूकस इन होटल, जयपुर एवं होटल टोपाज, टोंक।
4.	आवेदक द्वारा सड़क की चौड़ाई, पार्किंग तथा पृथक शौचालयों सम्बन्धी मानकों का पालन नहीं किया गया था।	होटल डोडाज् पैलेस, जयपुर।

उपरोक्त प्रकरणों में समिति ने, बिना यह सुनिश्चित किये कि होटल बार अनुज्ञापत्र जारी करने के लिये आवश्यक शर्तों को पूरा किया गया था, आवेदकों के पक्ष में अनुशंसा कर दी। यद्यपि, आबकारी आयुक्त स्तर पर गल्तियां चिन्हित कर ली गयी। फलत: अनुज्ञापत्र जारी करने में देरी हुई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2014)। सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि सभी जिला आबकारी अधिकारियों को एक नई चैक लिस्ट जारी की गयी है तथा उन्हें प्रत्येक बिन्दु की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

6.4.6 स्टॉक पंजिका में विसंगतियां

चयनित इकाइयों के जिला आबकारी अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा के लिये प्रस्तुत 333 (2012-13 के दौरान संधारित) में से 111 स्टॉक पंजिकाओं के परीक्षण से प्रकट हुआ कि बार अनुज्ञापत्रधारी अपनी स्टॉक पंजिकाओं को उचित और सही तरीके से संधारित नहीं कर रहे थे। स्टॉक पंजिकाओं के संधारण के सम्बन्ध में उचित दिशा-निर्देशों तथा आबकारी अधिकारियों द्वारा सत्यापन/जांच के अभाव में काफी संख्या में अनियमितताऐं पायी गयी जिससे विदित हुआ कि जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा अन्य सामाजिक पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए विभाग ने बार

अनुज्ञाधारियों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण हेतु ध्यान नहीं दिया। कुछ अनियमितताओं को **परिशिष्ट** में दिखाया गया है।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2014) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2014)। सरकार ने प्रत्युत्तर दिया कि सम्बन्धित होटलों से स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा इस सम्बन्ध में सभी अतिरिक्त आयुक्तों, संभाग एवं जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि स्टॉक पंजिकाओं में की गयी प्रविष्टियों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिये उनका नियमित आधार पर सत्यापन/जांच हो।

6.4.7 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

बार अनुज्ञापत्रों हेतु आवेदनों की प्राप्ति व निस्तारण पर नियंत्रण एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि विभाग अपने आई.टी. तंत्र में 'प्रपत्र ब पंजिका' के प्रावधान रखने पर विचार करे तथा ऐसे प्रावधान होने तक विभाग द्वारा पंजिका की हार्ड/हस्तलिखित प्रति संधारित की जावे।

अनुज्ञापत्र प्रक्रिया को 30 दिवसों के अन्दर पूर्ण करने सम्बन्धी विभागीय निर्देशों के बावजूद बार अनुज्ञापत्रों को जारी करने में देरी हुई। अधिकतम राजस्व प्राप्त करने के लिये इन निर्देशों की कठोरता से पालना की आवश्यकता है।

विभाग ने आवेदनों के परीक्षण के अपने प्रमुख उत्तरदायित्व को संभागीय समितियों पर डाल दिया। फलत: अनुज्ञापत्रों को जारी करने में देरी हुई। संभागीय समितियां अपनी कार्यप्रणाली में एकरूप नहीं थी अथवा बार अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिये आवश्यक सभी पहलुओं के परीक्षण की स्थिति में नहीं थी। विभाग द्वारा प्रकरणों का परीक्षण नियमनिष्ठता से किया जावे।

विभागीय निरीक्षण किया जाये ताकि व्यवसायियों के लेखों में विसंगतियों को समय पर ठीक किया जा सके।

6.5 विशेष वेण्ड फीस की अवसूली

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 69 के उप नियम (6) के अनुसार विदेशी मदिरा के रिटेल ऑन, रिटेल ऑफ एवं कम्पोजिट रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारियों को भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर के विक्रय पर क्रमश: ₹ 10 और ₹ 5 प्रति बल्क लीटर की दर से स्पेशल वेण्ड फीस देनी होगी।

जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर और बीकानेर द्वारा जारी परमिटों की मापक जांच में पाया गया (सितम्बर 2013 और जनवरी 2014 के मध्य) कि अवधि 1 अप्रेल 2012 से 4 नवम्बर 2012 के दौरान जयपुर तथा बीकानेर स्थित केन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट के थोक डिपो द्वारा राज्य में इनके रिटेल ऑफ लाइसेंसधारियों (इकाई संचालित केन्टीन्स) को 34.83 बल्क लीटर आई.एम.एफ.एल.

तथा 4.23 लाख बल्क लीटर बीयर का विक्रय किया गया था। तथापि, आईएमएफएल पर ₹ 3.48 करोड़ तथा बीयर पर ₹ 21.17 लाख की स्पेशल वेण्ड फीस न तो केन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट द्वारा जमा करायी गयी न ही विभाग द्वारा मांग की गयी। परिणामस्वरूप राशि ₹ 3.69 करोड़ स्पेशल वेण्ड फीस की अवसूली रही।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2014) कि 5 नवम्बर 2012 से लगातार वसूली की जा रही है तथा पिछली वसूली हेतु जयपुर शहर एवं बीकानेर के जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये है। यह भी अवगत कराया गया है कि यदि वसूली नहीं की जा सकेगी तो इस हेतु राजस्व छूट का प्रस्ताव बना कर प्रस्तुत किया जावेगा। प्रकरण पर अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2014)।

6.6 अन्य राज्यों को निर्यातित बीयर के मार्गीय क्षति पर आबकारी शुल्क का अनारोपण

राजस्थान ब्रेवरी नियम, 1972 के नियम 41 के अनुसार ब्रेवरी से कोई भी बीयर की मात्रा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 28 के अन्तर्गत देय आबकारी शुल्क जमा कराये बिना अथवा अधिनियम की धारा 18 के अनुसार राज्य के बाहर निर्यात की जाने वाली बीयर के मामलों में ब्रेवर द्वारा प्रपत्र आर.बी. 11 या आर.बी. 12 में बॉण्ड का निष्पादन किये बिना ब्रेवरी से नहीं भेजी जावेगी। बॉण्ड की शर्त संख्या (2) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि बॉण्ड में दर्शित बीयर की मात्रा निर्धारित स्थल तक नहीं पहुंच पाती है तो ब्रेवर के कारण सहनी पड़े ऐसी किसी क्षति, जो सरकार को ऐसी गैर-सुपुर्दगी अथवा कम सुपुर्दगी के कारण सहनी पड़े, के लिये प्रभावी दर से शुल्क की मांग का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा। नियमों में दूसरे राज्यों को प्रेषित बीयर में मार्गीय क्षति के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है।

जिला आबकारी अधिकारी, अलवर एवं बहरोड़ के क्षेत्राधीन पांच ब्रेवरी[5] द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान निर्यातित बीयर के आबकारी सत्यापन प्रमाणपत्रों की संवीक्षा के दौरान पाया गया (सितम्बर 2013, दिसम्बर 2013 और जनवरी 2014) कि बॉण्ड के अन्तर्गत राज्य के बाहर बीयर के निर्यात की प्रक्रिया के दौरान 1,54,825.87 बल्क लीटर (19,851 कार्टन) बीयर जिसमें राशि ₹ 66.66 लाख का आबकारी शुल्क सन्निहित है, की सुपुर्दगी गन्तव्य स्थान पर कम की गयी अथवा नहीं की गयी। कम सुपुर्दगी को मार्गीय क्षति के रूप में दर्शाया गया था।

आबकारी शुल्क का भुगतान न तो ब्रेवर द्वारा किया गया और न ही विभाग द्वारा मांग की गयी। विभाग द्वारा ब्रेवरी पर पदस्थापित सम्बन्धित सहायक आबकारी अधिकारियों द्वारा ई.वी.सी. में मार्गीय क्षति दर्शाये जाने के बावजूद भी मांग कायम

[5] मैसर्स कार्ल्सबर्ग इण्डिया प्रा. लि., अलवर; मैसर्स यूनाईटेड ब्रेवरीज लि., भिवाड़ी; मैसर्स रोचिज ब्रेवरीज लि., नीमराना; मैसर्स माउण्ट शिवालिक इण्डिया प्रा. लि., बहरोड़ और मैसर्स दीवान मॉडर्न ब्रेवरीज लि., बहरोड़।

नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप राज्य आबकारी शुल्क राशि ₹ 66.66 लाख का अनारोपण रहा।

ध्यान में लाये जाने के बाद (अक्टूबर 2013 और अप्रेल 2014 के मध्य), सरकार ने बताया (जुलाई 2014) कि एक इकाई के सम्बन्ध में राशि ₹ 5.13 लाख की वसूली (मार्च 2014) की जा चुकी थी। बकाया प्रकरणों पर सूचना प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2014)।

6.7 अपेय बीयर पर आबकारी शुल्क का अनारोपण

बंधित भण्डागारों की स्थापना की शर्तों एवं निर्बन्धनों के अनुसार अनुज्ञा अवधि के दौरान बॉण्ड में मदिरा की हानि के लिये राज्य सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। किसी हानि के मामले में, यदि यह पाया जाता है कि अनुज्ञाधारी के स्तर पर युक्तियुक्त सावधानियों से हानि रोकी जा सकती थी, उसे इस प्रकार हुई मदिरा हानि के लिये शुल्क अदा करना होगा तथा आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं अनुज्ञाधारी पर बाध्यकारी होगा।

राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लि. की लिकर सोर्सिगं पॉलिसी 2008-09 के बिन्दु संख्या 9.6 के अनुसार बीयर का स्टॉक उसके बोटलिंग की तिथि/माह से छः माह से अधिक अवधि तक विक्रय नहीं होने की स्थिति में, मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त होगा और उसे बहा कर नष्ट किया जाना होगा।

जिला आबकारी अधिकारी बहरोड़ के क्षेत्राधीन दो ब्रेवरी[6] के वर्ष 2012-13 के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया (दिसम्बर 2013) कि बीयर के 7,609 कॉर्टन उनके उत्पादित होने के दिनांक से छः माह से अधिक अवधि तक विक्रय न होने के कारण भण्डागारों में अपेय हो चुके थे। तथापि, विभाग द्वारा ना तो शुल्क की वसूली की गई और ना ही प्रकरण को आयुक्त, राज्य आबकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। इसके परिणामस्वरूप आबकारी शुल्क ₹ 29.41 लाख की अवसूली रही।

ध्यान में लाये जाने के बाद (दिसम्बर 2013 और अप्रेल 2014 के मध्य) सरकार द्वारा अवगत (जुलाई 2014) कराया गया कि दोनो इकाइयों से राशि ₹ 28.55 लाख की वसूली की जा चुकी है। बकाया राशि के सम्बन्ध में वसूली की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

6.8 बन्धपत्राधीन परिवहनित शोधित प्रासव की अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क का अनारोपण

राजस्थान स्टॉक टेकिंग एण्ड वेस्टेज ऑफ लिकर नियम, 1959 के नियम 5 के अनुसार बन्धपत्र के अधीन परिवहनित प्रासव में रिसाव या वाष्पीकरण के कारण वास्तविक हानि के लिए यात्रा की अवधि के अनुसार 0.2 प्रतिशत से 0.4

[6] ऐरियन ब्रेवरीज एण्ड डिस्टलरीज लि. और मैसर्स यूनाईटेड ब्रेवरीज लि., भिवाड़ी।

प्रतिशत तक की छूट देय है। हानि की गणना डिस्टलरी से प्रेषित मात्रा में से गन्तव्य स्थान पर प्राप्त की गई मात्रा को घटाकर की जायेगी, दोनों ही मात्रा लन्दन प्रुफ लीटर (एल.पी.एल.) में होगी।

अनुमत्य छूट से अधिक क्षति पर नियम 5(5) के अन्तर्गत आबकारी शुल्क आरोपणीय है। तथापि, ऐसे शुल्क की प्रभार्यता से पूर्व आबकारी आयुक्त, प्रासव प्रेषक को सुनवायी का पर्याप्त अवसर देगा और यदि वह यह पाता है कि क्षति दुर्घटनावश हुई जिसमें पक्षकार की तरफ से कोई भूल नहीं हुई है और या ऐसा कोई कारण जिसमें उसका कोई वश नहीं था, पर आबकारी शुल्क देय नहीं होगा।

जिला आबकारी अधिकारी, बहरोड़ के क्षेत्राधीन मैसर्स ओजस इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., नीमराना के वर्ष 2012-13 के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (जनवरी 2014) कि 33,260.00 एल.पी.एल. प्रेषित शोधित प्रासव के विरूद्ध सम्बन्धित इकाई में 21,432.74 एल.पी.एल. शोधित प्रासव प्राप्त दिखाया गया था, जिसमें अनुमत्य क्षति 133.04 एल.पी.एल. से 11,694.22 एल.पी.एल. शोधित प्रासव की परिवहन में अधिक क्षति थी। ऐसी आधिक्य क्षति पर परेषण के समय प्रभावी दर ₹ 170 प्रति एल.पी.एल. से ₹ 19.88 लाख का आबकारी शुल्क आरोपणीय था। तथापि, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा न तो शुल्क की मांग की गयी और न ही प्रकरण को युक्तियुक्त कार्यवाही हेतु आबकारी आयुक्त को प्रेषित किया गया।

अवगत कराये जाने के बाद (जनवरी 2014 और अप्रेल 2014 के मध्य) सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (सितम्बर 2014) और बताया गया कि राजस्थान स्टॉक टेकिंग एण्ड वेस्टेज ऑफ लिकर नियम, 1959 के नियम 5 के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त पक्षकार को सुनकर निर्णय करेगें। अग्रिम प्रगति, यद्यपि, प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

6.9 बीयर उत्पादन में हुई अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क का अनारोपण

राजस्थान ब्रेवरी नियम, 1972 के नियम 49-ए के अनुसार बीयर उत्पादन में किण्वित कुल मात्रा के सात प्रतिशत अथवा वास्तविक क्षति, जो भी कम हो, की दर से क्षति अनुमत्य है। आगे, नियम 26 में यह उल्लेखित है कि ब्रेवरी पर नियुक्त प्रभारी अधिकारी का यह विशेष कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि ब्रेवर द्वारा ब्रेवरी बुक फार्म आर.बी. 4 में प्रविष्टियां तुरन्त और सही ढंग से की गई है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान स्टॉक टेकिंग एण्ड वेस्टेज ऑफ लिकर (डिस्टलरी एण्ड वेयर हाउस) नियम, 1959, के नियम 7 के अनुसार प्रभारी अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह प्रत्येक प्रकार की क्षति हेतु मासिक आधार पर विवरण बनाये तथा अगले माह के प्रथम सप्ताह में जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करें। बंधित भण्डागार की स्थापना की शर्तों एवं निर्बन्धनों के नियम, 1956 के नियम 8 के अनुसार अनुज्ञाधारी अधिक क्षति पर शुल्क के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

जिला आबकारी अधिकारी अलवर के क्षेत्राधीन मैसर्स कार्ल्सबर्ग इण्डिया प्रा.लि., अलवर द्वारा वर्ष 2012-13 में बीयर उत्पादन के लिये संधारित ब्रेवरी बुक फार्म आर.बी. 4 ब्रेवर और मासिक स्टेटमेन्ट की संवीक्षा में पाया गया कि जुलाई 2012 में ब्रेवर द्वारा 41.01 लाख बी.एल. बीयर (ब्रेवरी बुक आर.बी. 4 के अनुसार) के स्थान पर 40.06 लाख बी.एल. बीयर का उत्पादन दिखाया गया था। उपरोक्त उत्पादन के आधार पर जुलाई 2012 के दौरान अनुमत्य क्षति सात प्रतिशत से 0.81 लाख बी.एल. बीयर की अधिक क्षति निम्नानुसार पाई गई:

क्र.सं.	मदें	आर.बी. 4 में दर्शायी गई मात्रा (बल्क लीटर में)	मासिक स्टेटमेन्ट में दर्शायी गई मात्रा (बल्क लीटर में)
1.	प्रारम्भिक शेष	13,66,174.00	13,66,174.00
2.	जुलाई 2012 में उत्पादन	41,00,996.00	40,05,624.00
3.	योग (1+2)	54,67,170.00	53,71,798.00
4.	माह के अन्त में शेष	16,80,899.60	16,80,899.60
5.	उत्पादन हेतु जारी बीयर (3-4)	37,86,270.40	36,90,898.40
6.	शुद्ध उत्पादन	34,40,199.96	34,40,199.96
7.	उत्पादन में हुई बीयर की क्षति की मात्रा (5-6)	3,46,070.44	2,50,698.44
8.	अनुमत्य क्षति (क्र.सं. 5 का 7 प्रतिशत)	2,65,038.93	2,58,362.89
9.	अधिक क्षति की मात्रा (7-8)	81,031.51	-

तथापि, जिला आबकारी अधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी द्वारा न तो अधिक क्षति के कारणों का विश्लेषण किया और न ही ब्रेवर से अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क की मांग की गयी। इसके परिणामस्वरूप राज्य आबकारी शुल्क राशि ₹ 36.92 लाख का अनारोपण रहा।

अवगत कराये जाने के बाद (अक्टूबर 2013 और अप्रेल 2014 के मध्य) सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (जुलाई 2014) कि वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

6.10 देशी मदिरा दुकानों से कम्पोजिट फीस की कम वसूली

वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 की राजस्थान आबकारी एवं मद्यसंयम नीतियों के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका सीमा के पांच किलोमीटर के अन्दर अवस्थित कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट अनुज्ञाशुल्क उस नगर पालिका क्षेत्र में अवस्थित भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानों के लिये देय अनुज्ञाशुल्क की समान दर से ली जावेगी।

जिला आबकारी अधिकारी, बारां के वर्ष 2010-11 के अभिलेखों की मापक जांच में यह पाया गया (अक्टूबर 2013) कि चार कम्पोजिट दुकानें[7] नगरपालिका सीमा के पांच किलोमीटर के अन्दर अवस्थित थी। चार कम्पोजिट दुकानों से विभाग द्वारा अनुज्ञाशुल्क की वसूली, ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित दुकानों हेतु लागू दरों पर की गयी थी, जबकि उनसे नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित दुकानों के लिये देय दरों पर वसूली करनी थी। इसके परिणामस्वरूप कम्पोजिट शुल्क ₹ 15.95 लाख की कम वसूली की गयी जैसाकि निम्न सारणी में दर्शाया है:

क्र. सं.	दुकान का नाम	नजदीकी नगरपालिका क्षेत्र	देय कम्पोजट शुल्क	वसूल किया गया कम्पोजिट शुल्क	कम्पोजिट शुल्क की कम वसूली
1.	बोमालिया कलां	अन्ता (बारां)	3,.90,000	36,236	3,53,764
2.	पलायथा	अन्ता (बारां)	3,.90,000	61,587	3,28,413
3.	फतेहपुर	बारां	4,.80,000	37,571	4,42,429
4.	मन्डोला	बारां	4,.80,000	10,000	4,70,000
योग					**15,94,606**

ध्यान में लाने पर (अप्रेल 2014) सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2014) कि राशि ₹ 9.91 लाख की वसूली की जा चुकी है। बकाया राशि की वसूली की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

[7] कम्पोजिट दुकानें वे दुकानें है जिनके पास भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा की खुदरा बिक्री का अनुज्ञापत्र है।

अध्याय–VII

कर–इतर प्राप्तियाँ

अध्याय-VII: कर-इतर प्राप्तियाँ

7.1 राजस्व प्रशासन

सरकार के स्तर पर प्रमुख सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर तथा विभाग के स्तर पर निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर की प्रशासन तथा अधिनियम एवं नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी है। प्रशासनिक मामलों में पांच अतिरिक्त निदेशक, खान(एडीएम), तीन अतिरिक्त निदेशक, भू-विज्ञान(एडीजी) तथा वित्त के मामले में एक वित्तीय सलाहकार, निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग की सहायता करते हैं। अतिरिक्त निदेशक खान, सात वृत्तों के प्रमुखों अर्थात् अधीक्षण खनि अभियन्ताओं(एसएमई) को नियंत्रित करते हैं।

अपने-अपने क्षेत्राधिकार में 39 खनि अभियंता(एमई)/सहायक खनि अभियंता(एसएमई) खनिजों के अवैध खनन एवं निर्गमन के रोकथाम के अलावा राजस्व का निर्धारण तथा वसूली हेतु जिम्मेदार हैं। विभाग में खनिजों के अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिये अलग से सतर्कता विंग है जिसके प्रमुख उप महानिदेशक (सतर्कता), जयपुर हैं।

7.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि विभागीय कार्यकलापों को प्रचलित कानूनों, विनियमों एवं अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी ढंग के साथ किया जा रहा है और अधीनस्थ कार्यालय विभिन्न प्रकार के अभिलेखों, पंजिकाओं/लेखा पुस्तिकाओं का उचित एवं सही ढंग से संधारण कर रहे हैं एवं राजस्व संग्रहण के अभाव/कम संग्रहण या अपवंचना के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि लगभग सभी खनिज इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा 2004-05 से बकाया थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा के अभाव में विभागीय प्राधिकारी, व्यवस्था में कमियों के प्रति अनभिज्ञ रहे, जिसके कारण राजस्व की छीजत/अपवंचना हुई। यह बिन्दु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2012-13 में भी उठाया गया था। फिर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

7.3 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम

खान एवं भू-विज्ञान विभाग और पेट्रोलियम विभाग से सम्बन्धित 32 इकाइयों की वर्ष 2013-14 के दौरान की गई मापक जांच में 6,233 प्रकरणों में ₹ 447.64 करोड़ राशि के राजस्व की अवसूली/कम वसूली के प्रकरण सामने आये, जो मुख्यत: निम्न श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	**'अप्रधान खनिजों से प्राप्तियाँ'** पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	88.22
2.	खनिज संरक्षण का अभाव	13	50.86
3.	स्थिर भाटक एवं अधिशुल्क की अवसूली/कम वसूली	211	27.04
4.	अनधिकृत उत्खनन	517	263.29
5.	वित्तीय आश्वासन के वसूली का अभाव	1,615	4.50
6.	अन्य अनियमिततायें	3,876	13.73
योग		**6,233**	**447.64**

वर्ष 2013-14 के दौरान, विभागों ने 3,971 प्रकरणों में ₹ 38.19 करोड़ की कम वसूली एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 13.01 करोड़ के 1,473 प्रकरण वर्ष 2013-14 के दौरान एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभागों ने 1,765 प्रकरणों में ₹ 8.88 करोड़ की वसूली की, जिसमें से ₹ 0.27 करोड़ के 102 प्रकरण चालू वर्ष की लेखापरीक्षा से सम्बन्धित थे तथा अन्य पूर्व के वर्षों से सम्बन्धित थे।

'अप्रधान खनिजों से प्राप्तियाँ' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें ₹ 88.22 करोड़ सन्निहित हैं एवं कुछ निदर्शी प्रकरण जिनमें ₹ 3.78 करोड़ सन्निहित हैं, अनुवर्ती अनुच्छेदों 7.5 से 7.6 में उल्लेखित किये गये हैं।

7.4 'अप्रधान खनिजों से प्राप्तियाँ' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य बिन्दु

दस सहायक खनि अभियंताओं/खनि अभियंताओं के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि 289 खनन पट्टेधारियों, अनुमति पत्रधारियों एवं ठेकेदारों से पर्यावरण प्रबन्धन निधि ₹ 6.53 करोड़ का संग्रहण नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 7.4.10)

अवैध खनन की जांच एवं अप्रधान खनन पट्टों के आवंटन के पांच मामलों में नौ समितियां/संयुक्त निरीक्षण दल गठित किये गये। इनमें से, मोडा पहाड़ के एक मामले में चार समितियां/संयुक्त जांच टीमें जबकि एक अन्य मामले में दो समितियों का गठन किया गया जिनके कोई सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। अवैध खनिज उत्खनन में कुल ₹ 177.08 करोड़ राजस्व निहित है।

(अनुच्छेद 7.4.11)

चयनित 11 खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 5,250 अपील के प्रकरणों में से 4,588 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा 662 प्रकरण विभाग के पास लंबित रहे।

(अनुच्छेद 7.4.12)

सीकर जिले में नोबल मेटल के लिये आरक्षित क्षेत्र में चेजा पत्थर के खनन पट्टे स्वीकृत किये गये।

(अनुच्छेद 7.4.13)

सात खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों में अधिशुल्क निर्धारण के 10,751 मामलों में से 8,177 मामलों का ही निपटान किया गया। शेष 2,574 अधिशुल्क निर्धारण प्रकरण 31 मार्च 2013 तक लम्बित रहे। अधिशुल्क निर्धारण के निपटान की कोई समय सीमा निश्चित नहीं थी।

(अनुच्छेद 7.4.14.1)

यह देखा गया कि 75 ठेकेदारों द्वारा चेजा पत्थर, बजरी, मुर्रम, साधारण मिट्टी इत्यादि खनिजों का अल्पावधि अनुमति पत्र के बिना अथवा अल्पावधि अनुमति पत्र में अनुमत्य मात्रा से 25 प्रतिशत से अधिक का खनन/उपयोग किया गया। अवैध रूप से उत्खनित खनिज की कीमत ₹ 8.33 करोड़ आंकी गई।

(अनुच्छेद 7.4.15)

सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को अवधि 2009-10 से 2012-13 के दौरान जारी ₹ 10.41 करोड़ अधिशुल्क राशि के 1,969 अल्पावधि अनुमति पत्र,

नौ खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों[1] में अधिशुल्क निर्धारण हेतु लंबित रहे।

(अनुच्छेद 7.4.19)

विभाग द्वारा 2004-05 से आन्तरिक लेखापरीक्षा सम्पादित नहीं की जा रही है। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निरीक्षण भी नहीं किये गये। निर्धारित मात्रा से अधिक खनिज उत्खनन का पता लगाने के लिये राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के मध्य कोई समन्वय नहीं पाया गया।

(अनुच्छेद 7.4.20)

7.4.1 परिचय

राजस्थान राज्य की कर-इतर राजस्व में खनिजों से प्राप्तियों का बड़ा भाग है। खनिजों को प्रधान व अप्रधान खनिजों के रूप में दो श्रेणियों में बांटा गया है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3(ई) के अनुसार अप्रधान खनिज में भवन निर्माण पत्थर, ग्रेवल, साधारण मिट्टी एवं निर्धारित प्रयोजनों में प्रयोग होने वाली साधारण मिट्टी एवं अन्य खनिज जिनको केन्द्र सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचित कर अप्रधान खनिज होना घोषित करे, शामिल हैं। राजस्थान सरकार ने अप्रधान खनिज के उत्खनन एवं विनियमन के लिये अलग नियम अर्थात् राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 बनाये हैं। राजस्थान सरकार ने खनिज नीति, 1994 को अतिलंघित करते हुए सतत् आर्थिक विकास के लिये खनिज संसाधनों के उचित प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु नई खनिज नीति, 2011 (28 जनवरी 2011) बनाई।

राजस्थान राज्य की भू-वैज्ञानिक शाखा अप्रधान खनिज के प्रचुर बाहुल्य क्षेत्रों की पहचान करती है। इसके पश्चात् विभाग खनन पट्टे एवं खदान अनुज्ञप्तियां प्रदान करने हेतु क्षेत्रों की सीमा निश्चित करता है। नई खनिज नीति के अनुसार अप्रधान खनिज के 50 प्रतिशत खनन पट्टे एवं खदान अनुज्ञप्तियां सशर्त कुछ विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को अधिमान्य अधिकारों के साथ प्राथमिकता के आधार पर एवं 50 प्रतिशत नीलामी के आधार पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान किये जाते हैं। अधिशुल्क एवं स्थिरभाटक की दरें समय-समय पर राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती हैं।

7.4.2 संगठनात्मक ढांचा

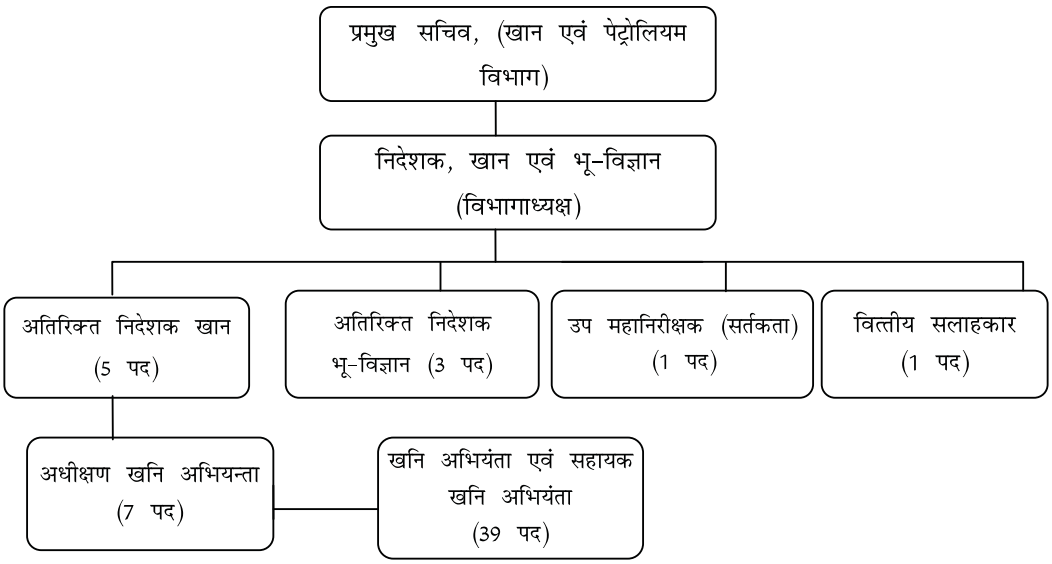
सरकार के स्तर पर प्रमुख सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर तथा विभाग के स्तर पर निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर की प्रशासन तथा अधिनियम एवं नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी है। प्रशासनिक मामलों में पांच

[1] अजमेर, भरतपुर, बिजौलिया, डूंगरपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, राजसमन्द-I एवं टोंक।

अतिरिक्त निदेशक, खान (एडीएम), तीन अतिरिक्त निदेशक, भू-विज्ञान (एडीजी) तथा वित्त के मामले में एक वित्तीय सलाहकार, निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग की सहायता करते हैं। अतिरिक्त निदेशक खान, सात वृत्तों के प्रमुखों अर्थात् अधीक्षण खनि अभियन्ताओं (एसएमई) को नियंत्रित करते हैं।

39 खनि अभियंता(एमई)/सहायक खनि अभियंता(एसएमई) खनिजों से राजस्व प्राप्तियों के राजस्व का निर्धारण तथा वसूली एवं विनियमन हेतु जिम्मेदार हैं। विभाग में खनिजों के अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिये अलग से सतर्कता शाखा है जिसके प्रमुख उप महानिदेशक (सतर्कता), जयपुर हैं।

31 मार्च 2013 को विभाग का संगठनात्मक चार्ट नीचे दिया गया है:



7.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये की गयी कि:

- खान प्राप्तियों के सही अनुमान, आरोपण, निर्धारण एवं संग्रहण के लिए अधिनियमों इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में उचित प्रावधान किये गये हैं एवं किस सीमा तक ऐसे कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है;
- अप्रधान खनिज के खनन पट्टों के अनुदान एवं इसके उत्खनन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी खनन नीति एवं व्यवस्था प्रभावी, दक्षता पूर्ण एवं पारदर्शी है; एवं
- खनिजों के अवैध खनन एवं सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए उचित आन्तरिक नियन्त्रण एवं निगरानी प्रणाली विद्यमान है।

7.4.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के मापदण्ड निम्न अधिनियमों, नियमों एवं इनके अन्तर्गत अधिसूचना/परिपत्रों से लिये गये हैं:

राज्य कानून

- राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986;
- राजस्थान खनिज नीति, 2011;
- राजस्थान मार्बल नीति, 2002; एवं
- राजस्थान ग्रेनाईट नीति, 2002.

केन्द्रीय कानून

- खान एवं खनिज नियम (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957.

7.4.5 कार्यक्षेत्र एवं प्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक की अवधि के लिए की गयी। अप्रधान खनिजों से राजस्व प्राप्ति एवं 39 खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों में से 11 खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय[2] चयन पुन: स्थापन सहित आकार के अनुरूप 'संभावना प्रतिचयन विधि' से किया गया। इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर; निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर; अतिरिक्त निदेशक, खान, जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर एवं अधीक्षण खनि अभियंता, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, एवं उदयपुर के द्वारा संधारित अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी।

प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के द्वारा राज्य में निरन्तर अवैध खनन के मामले प्रकाशित किये जा रहे थे। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा द्वारा किये गये स्थानीय निरीक्षण के दौरान बहुत से अवैध खनन के मामले देखे गये। अत: इस क्षेत्र की निष्पादन लेखापरीक्षा करने का निर्णय किया गया।

7.4.6 आभार

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा के लिये वांछित सूचनायें एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये खान एवं भू-विज्ञान विभाग, इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा दिये गये सहयोग का आभारी है। निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उपसचिव (खान), राजस्थान सरकार, जयपुर के साथ 5 मार्च 2014 को प्रारम्भिक सभा की गयी जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं प्रणाली को स्पष्ट किया गया।

[2] अजमेर, भरतपुर, बिजौलिया, डूंगरपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, राजसमन्द-I, रामगंजमण्डी, सीकर एवं टोंक के खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता।

प्रमुख सचिव, खान एवं पेट्रोलियम, राजस्थान सरकार, जयपुर के साथ एक समापन सभा 11 नवम्बर 2014 को हुई, जिसमें लेखापरीक्षा परिणामों एवं अनुशंसाओं पर चर्चा की गयी। समापन सभा के दौरान एवं अन्य समय पर प्राप्त जवाबों पर समुचित विचार कर सम्बन्धित अनुच्छेदों में शामिल किया गया।

7.4.7 राजस्व प्रवृत्तियां

बजट मैनुअल के खण्ड-I की धारा 2 के पैराग्राफ 10.1 एवं धारा 2(ए) के पैराग्राफ 11.1 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त हो सकने वाले राजस्व के अनुमान एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों को तैयार करने का उत्तरदायित्व राजस्व अर्जन विभाग के अनुमान लगाने वाले अधिकारियों का है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान प्रधान खनिजों, अप्रधान खनिजों एवं अन्य से प्राप्त राजस्व का बजट अनुमान, संशोधित एवं वास्तविक राजस्व प्राप्ति का वर्णन निम्न है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	लक्ष्य (संशोधित)	उपलब्धियां			योग	(-)कमी/(+) आधिक्य (बजट अनुमान/वास्तविक)	प्रतिशत
			प्रधान	अप्रधान	अन्य			
2009-10	1,450.00	1,560	971.91	420.42	220.28	1,612.61	(+)162.61	11.21
2010-11	1,760.00	1,805	1,180.71	516.25	232.62	1,929.58	(+)169.58	9.64
2011-12	2,060.00	2,260	1,329.67	751.62	285.03	2,366.32	(+)306.32	14.87
2012-13	2,500.00	2,910	1,518.31	858.41	461.87	2,838.59	(+)338.59	13.54

नोट: अन्य प्राप्तियों में आवेदन शुल्क, परमिट शुल्क, पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र शुल्क आदि सम्मिलित है।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्तियां बजट अनुमानों के तुलना में वर्ष 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान 9.64 से 14.87 प्रतिशत की सीमा में अधिकता की ओर थी।

लेखापरीक्षा जांच परिणाम

7.4.8 खनन योजनाओं/सरलीकृत खनन स्कीमों का अनुमोदन

19 जून 2012 से पूर्व केवल खनिज ग्रेनाईट एवं संगमरमर के खनन पट्टों हेतु खनन योजनायें प्रस्तुत की जानी आवश्यक थी। इसके पश्चात् राजस्थान अप्रधान

खनिज रियायत नियम, 1986 के नियमों में अध्याय-IV-ए (व्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण हितैषी खनन) को जोड़ा (19 जून 2012) गया। इन नियमों का नियम 37(आई) बताता है कि खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना एवं सरलीकृत खनन स्कीम के अनुसार किया जायेगा।

नौ खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों[3] के खनन योजनाओं/सरलीकृत खनन स्कीमों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 9,515 में से 4,195 खनन पट्टेधारियों/खदान अनुज्ञप्तिधारियों ने खनन योजनायें/सरलीकृत खनन स्कीमें[4] प्रस्तुत नहीं की। इसके अतिरिक्त, यद्यपि 5,320 खनन पट्टेधारियों/खदान अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा संबंधित कार्यालयों में खनन योजनायें एवं सरलीकृत खनन स्कीमें प्रस्तुत कर दी गयी जिनमें से केवल 3,807 खनन योजना/सरलीकृत खनन स्कीम ही अनुमोदित की गयी।

जिसके परिणामस्वरूप 5,708 खनन पट्टेधारियों/खदान अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा खनन योजना/सरलीकृत खनन स्कीम के अनुमोदन के बिना खनन कार्य किया जा रहा था।

प्रकरण के बताये जाने पर, राज्य सरकार ने (नवम्बर 2014) प्रत्युत्तर दिया कि खनन पट्टेधारियों/खदान अनुज्ञप्तिधारियों को खनन योजना/सरलीकृत खनन स्कीम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के लिए चेतना पत्र जारी किये जा चुके थे। इसी बात को समापन सभा में पुनः बताया गया।

7.4.9 वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत नहीं किया जाना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 37(जे) (19 जून 2012 से प्रभावी) में प्रावधान है कि प्रत्येक खनन पट्टेधारी/खदान अनुज्ञप्तिधारी/अल्पावधि अनुमति पत्रधारी किसी भी अनुसूचित बैंक की सावधि जमा के रूप में वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत करेगा। खनन समापन योजना के प्रावधानों के उल्लघंन पर यह राशि, इस पर मिलने वाले ब्याज सहित जब्त कर ली जावेगी।

ग्यारह खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 12,650 खनन पट्टेधारियों एवं खदान अनुज्ञप्तिधारियों में से 1,159 मामलों में ₹ 5 करोड़ की वित्तीय आश्वासन राशि प्राप्त नहीं की गयी जोकि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 37(जे) के अन्तर्गत प्राप्त करनी आवश्यक थी। जिससे अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा नियमानुसार खनन क्षेत्र की पुनःबहाली/भूमि उद्धार नहीं करने की सभांवना से इंकार नहीं किया जा सकता।

[3] अजमेर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, राजसमन्द-I, रामगंजमण्डी, सीकर एवं टोंक।

[4] खनन योजना एवं सरलीकृत खनन स्कीम से तात्पर्य राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अध्याय-IV के नियम 37बी एवं 37एच के अन्तर्गत तैयार एक योजना से है एवं जो सम्बन्धित क्षेत्र में अप्रधान खनिज के भण्डार के विकास के लिये प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

प्रकरण के बताये जाने पर राज्य सरकार ने (नवम्बर 2014) प्रत्युत्तर दिया कि वित्तीय आश्वासन की बकाया राशि जमा कराने के लिये खनन पट्टेधारियों/खदान अनुज्ञप्तिधारियों को चेतना पत्र जारी किये जा चुके थे। इसी बात को समापन सभा में पुन: बताया गया।

7.4.10 पर्यावरण प्रबन्धन कोष

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 37 टी(5) के अनुसार खनन पट्टेधारियों से पर्यावरण प्रबन्धन कोष राशि (ई.एम.एफ.) संग्रहित की जावेगी। यह संग्रहित राशि नियम के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय कार्यों में प्रयोग की जावेगी। यद्यपि राशियों की वसूली के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गयी।

दस खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों[5] के अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि 289 खनन पट्टेधारियों, अनुमतिधारकों एवं ठेकेदारों से निम्न विवरण के अनुसार ₹ 6.53 करोड़ ई.एम.एफ. राशि संग्रहित नहीं की गयी:

श्रेणी	संख्या	राशि
खनन पट्टेधारी जो खनिज खनन एवं निर्गमन का कार्य करते हैं।	104	68
अनुमतिधारी जो खनिज खनन करके उसे स्वयं के सार्वजनिक कार्यों में प्रयोग करते हैं।	173	121
अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार जो अधिशुल्क सग्रंहण का कार्य करते हैं।	12	464
योग	**289**	**653**

प्रकरण के बताये जाने पर सरकार ने (नवम्बर 2014) प्रत्युत्तर दिया कि बकाया ई.एम.एफ. राशि की वसूली के लिये चेतना पत्र जारी कर दिये गये/किये जा रहे हैं।

समापन सभा में अवगत कराया कि राशि की वसूली की प्रक्रिया में दुविधा होने के कारण (फरवरी 2013) निर्देश जारी नहीं हो सके। इस प्रकार प्रणाली के लागू नहीं होने के परिणामस्वरूप आठ माह के लिये, जून 2012 से मार्च 2013 तक की राशि की अवसूली रही।

[5] अजमेर, भरतपुर, बिजौलिया, डूंगरपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, रामगंजमण्डी, सीकर एवं टोंक।

7.4.11 समितियों का गठन एवं उनके द्वारा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण/अप्रस्तुतिकरण

खनिजों के अवैध खनन की मात्रा एवं खननपट्टों के आवंटन को सुनिश्चित करने एवं अन्वेषण करने के लिए न्यायालय के निर्देशन या खनन पट्टेधारियों के द्वारा किये गये अभ्यावेदन पर या अन्यथा शिकायतों के आधार पर राज्य सरकार/विभाग द्वारा समितियां गठित की गयी।

प्रमुख सचिव, खान एवं पेट्रोलियम; निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग एवं चयनित इकाइयों के अभिलेखों की जांच में पाया कि अवैध रूप से उत्खनित खनिज की मात्रा को सुनिश्चित करने तथा खनन पट्टों के आवंटन का परीक्षण करने के लिए सितम्बर 2001 से जून 2014 की अवधि में नौ समितियों/संयुक्त निरीक्षण दलों का गठन किया गया। इनमें से एक मामले (मोडा पहाड़)[6] के लिए चार समितियों/संयुक्त निरीक्षण दलों का गठन किया गया जबकि अन्य एक मामले में दो समितियों का गठन किया गया तथा शेष तीन मामलों में प्रत्येक के लिए एक-एक समिति का गठन किया गया। यह देखा गया कि समितियों द्वारा या तो कोई प्रतिवेदन ही प्रस्तुत नहीं किया या फिर जहां प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिणामस्वरूप अवैध खनन अबाध रूप से चलता रहा जिसकी चर्चा निम्न अनुच्छेद संख्या 7.4.11.1 से 7.4.11.5 में की गयी हैं।

7.4.11.1 विभाग के निरूत्साहपूर्ण कार्यवाही के कारण मोडा पहाड़ में लगातार अवैध खनन जारी रहना

प्रमुख सचिव, खान एवं पेट्रोलियम; निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग एवं खनि अभियन्ता, सीकर के अभिलेखों की जांच में पाया कि मोडा पहाड़ में अवैध खनन बिना किसी रोक-टोक के अबाध रूप से चलता रहा। बिना किसी सार्थक परिणामों के एक के बाद एक चार समितियों का गठन किया गया। समितियों का गठन एवं उनके द्वारा की गयी कार्यवाही निम्न तालिका में संक्षिप्त रूप में

[6] एक पहाड़ी का नाम जिसमें खनिज चुनाई पत्थर उपलब्ध है।

चर्चा की गयी है:

क्र. सं.	निरीक्षण अधिकारी/संयुक्त निरीक्षण दल/ समिति का विवरण	खनि अभियंता/संयुक्त निरीक्षण दल/समिति द्वारा की गयी कार्यवाही एवं अवधि	पंचनामा/ प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	अवैध खनिज की मात्रा व कीमत	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	खनि अभियंता, सीकर ने अवैध खनन का पता लगाया।	6.7.2001 से 11.7.2001 तक पंचनामे बनाये।	6.7.2001 से 11.7.2001 की अवधि में नौ खनन पट्टेधारियों द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर खनिज उत्खनन करने का पता चला।	0.79 लाख मैट्रिक टन (₹ 0.40 करोड़)	यद्यपि खनन पट्टेधारियों के विरुद्ध पंचनामे बनाये गये, वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं की।
2.	बनाये गये पंचनामों के विरूद्ध पट्टेधारियों ने अतिरिक्त निदेशक खान, जयपुर को अपील की। जिन्होंने अवैध खनिज की मात्रा गणना करने के लिए संयुक्त निरीक्षण दल (17.9. 2001) गठित किया।	संयुक्त निरीक्षण दल ने अवधि 26.9.2001 से 30.9.2001 के मध्य पंचनामे बनाये।	26.9.2001 से 30.9. 2001 अवधि में 18 खनन पट्टेधारी स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर से खनिज उत्खनन करने का पता चला।	6.71 लाख मै.टन (₹ 2.25 करोड़)	केवल चार पट्टेधारियों ने खनिज कीमत के रूप में ₹ 1.82 लाख जमा कराये।
टिप्पणी:- इस प्रकार देखा जा सकता है कि अवैध खनन के 9 मामलों से बढ़कर 18 मामले हो गये। अभिलेखों में ऐसा कुछ प्रदर्शित नहीं हुआ कि अवधि 2001 से 2011 तक विभाग ने अवैध खनन को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की।					
3.	निदेशक के निर्देश दिनांक 7 जनवरी 2011 पर, खनि अभियंता, सीकर ने स्वीकृत क्षेत्रों से बाहर अवैध खनन को आधार बनाने की बजाय कमजोर आधारों पर जैसे सीमा स्तम्भ नहीं बनाना, सूचना पट्टों नहीं लगाना इत्यादि पर (8 जनवरी 2011) 18 खनन पट्टों को खण्डित किया तथा खनन पट्टों का कब्जा दिनांक 10 जनवरी 2011 को लिया। अतिरिक्त निदेशक खान, जयपुर ने (जून एवं जुलाई 2011) उपरोक्त बताये आधारों पर 16 खनन पट्टों को बहाल कर दिया एवं दो खनन पट्टे अवधि समाप्त होने के कारण बहाल नहीं किये।				खनन पट्टेधारियों के विरूद्ध अवैध उत्खनन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।
विभाग ने खनन पट्टों को अवैध खनन के आधार पर खंडित करने की बजाय उपरोक्त बताये गये आधारों पर जैसे सूचना पटल इत्यादि स्थापित नहीं करने के आधार पर खंडित किये। जिसके कारण अतिरिक्त निदेशक खान, जयपुर ने उन्हें बहाल कर दिया।					
4.	खनन पट्टेधारियों की शिकायतें प्राप्त होने पर निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर ने (25.10.2010) को अवैध रूप से उत्खनित खनिज की मात्रा की गणना करने के लिये अन्य समिति का गठन किया।	समिति ने अवधि 28.10.2010 से 14.11.2010 तक क्षेत्र का विस्तृत सर्वे किया।	23 खनन पट्टेधारियों, स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर खनिज चुनाई पत्थर उत्खनित करते पाये गये। निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के द्वारा समिति का प्रतिवेदन दिनांक 11.3.2011 को सरकार को भेजा गया।	23.59 लाख मै. टन (₹ 23.93 करोड़)	₹ 23.93 करोड़ मांग कायमी के विरूद्ध केवल पांच खनन पट्टेधारियों ने केवल ₹ एक करोड़ जमा कराये।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	माननीय लोकायुक्त के निर्देशन पर राज्य सरकार ने (18.11.2011) अवैध रूप से उत्खनित खनिज की मात्रा की गणना करने के लिये एक अन्य समिति का गठन किया।	समिति ने अवधि 13.12.2011 से 17.12.2011 एवं 9.2.2012 से 11.2.2012 के दौरान क्षेत्र का विस्तृत सर्वे किया।	24 खनन पट्टेधारियों को स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों से बाहर चुनाई पत्थर का उत्खनन करते हुए पाया। समिति ने 18.2.2012 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।	80.34 लाख मै. टन (₹ 149 करोड़)	खनन पट्टेधारी समिति के अवैध रूप से उत्खनित खनिज की मात्रा पर प्रस्तुत प्रतिवेदन पर सहमत नहीं हुए। अत: खनि अभियंता द्वारा वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।
6.	अवैध रूप से उत्खनित खनिज की मात्रा पर विवाद होने के कारण खनन पट्टेधारियों ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील की। न्यायालय ने अवैध रूप से उत्खनित खनिज की मात्रा की गणना करने के लिए एक नयी समिति गठन करने का निर्देश (24.4.2014) दिया ।	राज्य सरकार ने एक समिति का गठन(20.06.2014) किया जिसने क्षेत्र का सर्वे अवधि 12.8.2014 से 14.8.2014 एवं 21.8.2014 से 23.8.2014 तक किया।	समिति का प्रतिवेदन प्रतीक्षित था।	–	समापन सभा में राज्य सरकार ने बताया(11.11.2014) कि माननीय न्यायालय के निर्देशन पर गठित समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है एवं इसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

उपरोक्त तथ्य बताते हैं कि विभाग ने अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ प्रभावी एवं कठोर कार्यवाही नहीं की। विभाग के कार्यवाही करने के ढंग के कारण ₹ 149 करोड़ कीमत के 80.34 लाख मै.टन चेजा पत्थर का अवैध खनन हुआ। वर्तमान में प्रकरण कार्यवाही हेतु न्यायालय में है।

7.4.11.2 अवैध खनन पर कार्यवाही न होना व समिति का गठन

खनि अभियंता, सीकर के लेखों की नमूना जांच में पाया गया कि खनिज मार्बल के लिये दो खनन पट्टे (सं. 367/06 एवं 368/06) मै. राकेश मोरदिया के पक्ष में स्वीकृत हुए। खनि अभियंता द्वारा किये गये निरीक्षण (21 मार्च 2012) के अनुसार पट्टेधारी ने रवन्नाओं में अधिकृत खनिज से अधिक खनिज का खनन करके उसका निर्गमन किया। 3.25 लाख मै.टन मार्बल खण्डा बिना रवन्नाओं के एवं विभाग को बिना अधिशुल्क राशि जमा कराये निर्गमित किया गया। खनि अभियंता ने खनन पट्टेधारी (5 अप्रेल 2012) को अवैध खनिज निर्गमन के लिये चेतना पत्र जारी किया परन्तु इसके पश्चात् खनन पट्टेधारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। न तो अवैध रूप से उत्खनित खनिज की कीमत का आंकलन किया गया न ही इसकी मांग कायम की गयी। खनन पट्टेधारी से वसूली योग्य खनिज की कीमत ₹ 21.09 करोड़ गठित होती है।

यह भी ज्ञात हुआ (मई 2014) कि निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने अवैध रूप से उत्खनित खनिज की मात्रा सुनिश्चित करने के लिये खनि अभियंता, अलवर

एवं खनि अभियंता, जयपुर की एक समिति का गठन किया (5 मई 2014) जिसे दोनों खनन पट्टों के निरीक्षण के पश्चात्, समिति गठन से 7 दिन के भीतर प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया। परन्तु समिति का प्रतिवेदन अभी तक आना अपेक्षित (नवम्बर 2014) है।

प्रकरण के बताये जाने पर सरकार ने (नवम्बर 2014) प्रत्युत्तर दिया कि समिति का प्रतिवेदन मिलने पर कार्यवाही की जावेगी।

7.4.11.3 रैला बांध के भराव क्षेत्र में खनन पट्टों का आवंटन

सीकर में रैला बांध क्षेत्र में चेजा पत्थर (वर्ष 2010 से 2012 के बीच) के 20 खनन पट्टे स्वीकृत किये। खनन पट्टों के विरूद्ध ग्रामीणों ने शिकायत की। यह प्रिन्ट मीडिया की सुर्खियों में भी आया। राज्य सरकार ने भराव क्षेत्र की सीमा को सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन (13 मई 2013) किया।

एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी सरकार द्वारा गठित समिति ने अपना प्रतिवेदन नहीं दिया। समापन सभा में सरकार ने (11 नवम्बर 2014) कहा कि मामले को समिति के प्रतिवेदन के अनुसार देखा जावेगा।

7.4.11.4 चूना पत्थर के अवैध खनन को सतर्कता शाखा द्वारा पकड़ा जाना

खनि अभियंता, नागौर कार्यालय के अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि (मई 2014) खनि अभियंता (सर्तकता), जोधपुर ने 10 चूना पत्थर के खनन पट्टों का निरीक्षण किया (जुलाई 2004) एवं पाया कि स्वीकृत खनन पट्टों के लिये जारी रवन्नाओं का दुरूपयोग करते हुये 2.45 लाख मै.टन (बर्निंग) चूना पत्थर का खनन, पट्टा क्षेत्र के बाहर से उत्खनित कर निर्गमन किया गया। इस पर खनि अभियंता ने अवैध खनन के लिये कारण बताओ चेतना पत्र जारी किये (22 दिसम्बर 2004 एवं 11 मई 2005) एव 10 मामलों में ₹ 7.97 करोड़ की मांग कायम (17 अक्टूबर 2005) की।

राज्य सरकार ने इन पट्टेधारियों द्वारा अवैध रूप से उत्खनित खनिज चूना पत्थर की मात्रा गणना करने के लिए उप सचिव, खान जयपुर, अतिरिक्त भू-वैज्ञानिक एवं निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के वित्तीय सलाहकार की एक समिति (30 जून 2006) गठित की ।

समिति ने अपनी बैठक (13 दिसम्बर 2006) में अधीक्षण खनि अभियंता बीकानेर, वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक जोधपुर, खनि अभियंता उदयपुर एवं सहायक खनि अभियंता, श्रीगंगानगर को सम्मिलित करते हुये 10 खनन पट्टों से सम्बन्धित अवैध खनन की मात्रा गणना करने के लिए एक निरीक्षण दल को लगाने का निर्णय लिया। इस बीच, खनि अभियंता द्वारा आठ खनन पट्टों को खंडित करने का प्रस्ताव भेजा गया, जबकि दो खनन पट्टे पहले ही खण्डित हो चुके (30 जून 2004 एवं

28 सितम्बर 2004) थे एवं उन पर (28 अप्रेल 2007) भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राशि की वसूली की कार्यवाही शुरू की जा चुकी थी। यह देखा गया कि ₹ 6.99 करोड की मांग के विरूद्ध इन मामलों में कोई राशि वसूल नहीं की गयी, साथ ही न तो समिति ने, न ही निरीक्षण दल ने उनके सदस्यों की पदोन्नति एवं स्थानान्तरण के कारण कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

मामले को अन्तिम रूप देने के लिए एक नई समिति गठित की गई (24 मई 2013), जिसकी प्रगति अभिलेख पर नहीं पाई गयी।

इस प्रकार चूना पत्थर के अवैध खनन का मामला राज्य सरकार द्वारा गठित प्रथम समिति से 8 वर्ष के बाद भी कमजोर निगरानी एवं अनुवर्ती कार्यवाही के अभाव में नहीं सुलझाया जा सका।

इसको बताये जाने पर राज्य सरकार ने (नवम्बर 2014) प्रत्युत्तर दिया कि समिति के प्रतिवेदन मिलने पर कार्यवाही की जावेगी।

7.4.11.5 ग्राम केरू (जोधपुर) में खदान अनुज्ञप्तियों के अनुदान हेतु समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर कार्यवाही का अभाव

खनि अभियंता, जोधपुर के दस्तावेजों की मापक जांच में पाया गया कि (जुलाई 2014) ग्राम केरू, जोधपुर में अनियन्त्रित अवैध खनन के कारण सरकार द्वारा एक समिति का गठन (16 दिसम्बर 2009) किया गया। यह भी देखा गया कि ग्राम केरू में 13,551 बीघा सिवायचक भूमि में से 3,300 बीघा भूमि खान विभाग को खदान अनुज्ञप्तियों के आंवटन हेतु वर्ष 2003 से पहले दी गई।

सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर ने वर्ष 1993 में शेष क्षेत्र में खनन पर प्रतिबन्ध लगा दिया क्योंकि उक्त क्षेत्र कायलाना झील के भराव क्षेत्र में आता था। समिति ने अपने प्रतिवेदन में उपलब्ध भूमि की स्थिति एवं भराव क्षेत्र के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियां दी। 2 जून 2010 को समिति ने प्रतिवेदित किया कि कायलाना झील के भराव क्षेत्र का कोई महत्व नहीं रहा क्योंकि झील में पानी इंन्दिरा गांधी नहर से भरा जा रहा था एवं वर्षा का पानी झील में नहीं आ रहा था। इसलिए समिति ने सिफारिश की कि अतिरिक्त 950 बीघा भूमि विभाग को आंवटित की जा सकती है जिससे 800 खदान अनुज्ञप्तियां स्वीकृत की जा सकती हैं। इससे खनिज उपलब्धता बढ़ने के अतिरिक्त 1500 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार एक मुश्त ₹ 15 करोड़ आवेदन शुल्क के रूप में तथा प्रतिवर्ष ₹ 2 करोड़ अधिशुल्क राशि एवं ₹ 0.32 करोड़ अनुज्ञप्ति शुल्क के प्राप्त करेगी।

यह देखा गया कि समिति प्रतिवेदन के चार से अधिक वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका परिणाम यह हुआ कि विभाग की अकर्मण्यता के कारण क्षेत्र में अवैध खनन का प्रकरण नहीं सुलझाया जा सका, इसके अतिरिक्त आवेदन शुल्क, अधिशुल्क राशि तथा अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में राजस्व भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

7.4.12 विभाग में अपीलों का बकाया रहना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 43 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन नियमों के तहत अधीक्षण खनि अभियंता/खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के द्वारा पारित आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग को अपील कर सकता है। इस सम्बन्ध में निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग की शक्तियों अतिरिक्त निदेशक, खान में निहित हैं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपील में अतिरिक्त निदेशक खान के द्वारा पारित आदेश से व्यथित होता है तो उसे राज्य सरकार में अपील करने का अधिकार है।

7.4.12.1 प्रमुख सचिव, खान एवं पेट्रोलियम राजस्थान, जयपुर, निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर एवं चयनित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया (अप्रेल 2014 से जुलाई 2014) कि 5,250 अपील के मामलों में से 4,588 अपील के मामलों का निस्तारण हुआ, तथा 662 मामले निर्णय हेतु लम्बित थे।

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	1 अप्रेल 2009 को लम्बित मामले	1 अप्रेल 2009 से 31 मार्च 2013 तक जोड़े या निस्तारित किये गये मामले		अतिरिक्त निदेशक खान विभाग (न्यायालय) में लम्बित मामले
			जोड़े गये	निस्तारण किये गये	
1.	अतिरिक्त निदेशक, खान, जयपुर	786	1,443	2,098	131
2.	अतिरिक्त निदेशक, खान, उदयपुर	153	836	831	158
3.	अतिरिक्त निदेशक, खान, जोधपुर	494	1,538	1,659	373
योग		**1,433**	**3,817**	**4,588**	**662**

अतिरिक्त निदेशक, खान, जयपुर ने मामलों के देरी से निपटाने का कारण अधीनस्थ कार्यालयों से अपूर्ण अभिलेखों की प्राप्ति एवं स्टाफ की कमी होना बताया हालांकि अन्य दो अतिरिक्त निदेशकों द्वारा बकाया रहे मामलों का कोई जवाब नहीं दिया गया।

7.4.12.2 खनि अभियंता, डूंगरपुर कार्यालय में विभाग ने देखा कि एक खनन पट्टेधारी ने 20,412 मै.टन राशि ₹ 3.57 करोड़ खनिज सर्पेन्टाईन को स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर से उत्खनित कर निर्गमित किया। खनि अभियंता के द्वारा दिये गये चेतना पत्र (6.4.2009) के विरूद्ध पट्टाधारी ने अपील की एवं उप सचिव खान ने खनन पट्टाधारी के विरूद्ध मांग को यथावत (28.7.2010) रखा। खनन पट्टाधारी ने राजस्थान उच्च न्यायालय मे अपील की। न्यायालय द्वारा उप सचिव,

खान को मामले को रिमाण्ड करते हुये दो सप्ताह में अर्थात् 25.4.2012 तक निर्णय देने का आदेश पारित किया। मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ।

7.4.13 नोबल मैटल के खनन हेतु खनन पट्टों के आवंटन हेतु घोषित क्षेत्र में खनिज चेजा पत्थर के खनन पट्टों का दिया जाना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 4(5) के अनुसार सरकार अधिसूचना के द्वारा सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी के उपयोग हेतु किसी भी सार्वजनिक अथवा विशेष प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि में से किसी भी खनन पट्टे का अनुदान या नवीनीकरण नहीं किया जा सकता।

खनि अभियंता, सीकर कार्यालय के अभिलेखों की मापक जांच में (दिसम्बर 2013) देखा गया कि तहसील नीमकाथाना में 17.50 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को बेस मैटल एवं उसके सहायक खनिज के परीक्षण एव अन्वेषण हेतु भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए निदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग राजस्थान, उदयपुर के निर्देशन पर (4 फरवरी 2002) आरक्षित किया। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा परीक्षण एवं अन्वेषण के पूर्ण करने के पश्चात् जारी अधिसूचना दिनांक 26 अप्रेल 2008 के द्वारा इस क्षेत्र को पूर्ण रूप से नोबल मैटल के खनन पट्टे आवंटन हेतु मुक्त घोषित किया। इस उद्देश्य की एक टिप्पणी सम्बन्धित पंजिका में इन्द्राज की गयी। तथापि खनि अभियंता, सीकर ने चेजा पत्थर के खनन के लिये 24 खनन पट्टों का आवंटन आरक्षित क्षेत्र में अवधि 7 मार्च 2005 से 5 अप्रेल 2010 के दौरान (12 पट्टे 2005 से 2008 के दौरान एवं 12 पट्टे 2008 के बाद) 20 वर्ष के लिये कर दिये।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने 26 जुलाई 2012 को 24 खनन पट्टों को खण्डित करने का निर्णय लिया, परन्तु खण्डित करने के आदेश जारी करने की बजाय खनि अभियंता को निर्देशित किया (12 दिसम्बर 2012) कि वह खनन पट्टेधारियों को खनन पट्टो को प्रभावहीन एवं शून्य घोषित करने के लिये कारण बताओं चेतना पत्र जारी करे। खनि अभियंता ने निर्देशानुसार प्रस्ताव (7 फरवरी 2013) भेजा। यद्यपि कोई भी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ तथा खनन पट्टेधारियों द्वारा खनन कार्य किया जा रहा (दिसम्बर 2013 तक) था। उपरोक्त तथ्य दर्शाते हैं कि विभाग स्वयं के निर्देशों का ही अनुसरण नहीं कर रहा था एवं शीर्ष स्तर पर निगरानी अपर्याप्त थी। नोबल मैटल के लिये आरक्षित क्षेत्र में खनन पट्टों का गलत आवंटन दर्शाता है कि नोबल मैटल के विकास के लिये विभाग गम्भीर नहीं था।

प्रकरण बताये जाने पर सरकार ने (नवम्बर 2014) प्रत्युत्तर दिया कि अधीक्षण खनि अभियंता द्वारा (फरवरी 2013) खनन पट्टों को प्रभाव शून्य करने के प्रस्ताव भेज दिये गये थे जो निदेशक, खान एवं भू विज्ञान राजस्थान, उदयपुर के स्तर पर

लम्बित थे। जवाब, लेखा परीक्षा द्वारा उठाये गये तथ्य अपर्याप्त निगरानी तथा मामले पर अपर्याप्त कार्यवाही का समर्थन करता है।

7.4.14 खनन पट्टों का प्रबन्धन एवं नियन्त्रण

खनन क्रियाकलापों का प्रबन्धन एवं विनियमन खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों द्वारा किये जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके अतिरिक्त यह देखने के लिए कि खनन पट्टेधारियों द्वारा अविरत रूप से खनन पट्टों के नियम एवं शर्तों का पूर्ण पालन किया जा रहा हैं, खनन क्षेत्रों के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य भी किया जाता है।

अधिकतर खान अप्रधान खनिज की होने के कारण चोरी एवं छीजत के प्रति संवेदनशील होती हैं, जिनसे सम्बन्धित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को अधिक सतर्क रहना पड़ता है।

समय पर निर्धारण एवं देय राशियों की वसूली के अलावा, खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा अवैध खनन क्रियाओं के रोकने, सुरक्षित एवं पर्यावरण हितैषी खनन को सुनिश्चित किये जाने हेतु सतत् निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। खनन पट्टों में निर्बन्धों एवं शर्तों की पालना नहीं करने के प्रकरणों की चर्चा निम्न प्रकार है:

7.4.14.1 अधिशुल्क निर्धारण का बकाया होना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 38 के अनुसार निर्धारितियों द्वारा सम्बन्धित वर्ष की विवरणियां प्रस्तुत करने के पश्चात् निर्धारण प्राधिकारी के द्वारा अधिशुल्क निर्धारण किये जायेंगे। यदि निर्धारिती विवरणियां प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो निर्धारणकर्ता प्राधिकारी स्वयं के सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर अधिशुल्क निर्धारण कर सकता है। यह देखा गया कि खनन पट्टेधारियों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत किये जाने के बाद अधिशुल्क निर्धारण की समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सात खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों[7] में 2009-10 से 2012-13 की अवधि में से 10,751 अधिशुल्क निर्धारण के मामलों में से 8,177 (76 प्रतिशत) अधिशुल्क निर्धारण किये गये तथा 2,574 (24 प्रतिशत) अधिशुल्क निर्धारण के मामले 31 मार्च 2013 को बकाया रहे। अधिशुल्क निर्धारण नहीं किये जाने के कारण के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

राज्य सरकार ने समापन सभा में अवगत (नवम्बर 2014) कराया कि बकाया अधिशुल्क निर्धारण के मामलों का शीघ्र निपटान कर दिया जावेगा।

[7] अजमेर, भरतपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, रामगंजमण्डी एवं टोंक।

यह सिफारिश की जाती है कि खनन पट्टेधारियों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत करने के पश्चात् अधिशुल्क निर्धारण की समय सीमा निर्धारित की जावे।

7.4.14.2 इकाइयों द्वारा अज्ञात स्रोतों से प्राप्त खनिजों पर निगरानी का अभाव

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 54 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति खनिजों का व्यापार करता है तो वह खनिज क्रय, भण्डारण एवं विक्रय का सही लेखा रखेगा तथा निरीक्षण हेतु इन लेखों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 68 के अनुसार खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के द्वारा जारी ट्रांजिट पास के बिना खनिज परिवहन किये जाने पर प्रशमन शुल्क के साथ खनिज कीमत अदा करने की जिम्मेदारी दोषी की होगी।

- ग्यारह खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों की मापक जांच में पाया गया कि पांच खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं[8] ने सूचना प्रदान की, कि उनके कार्यक्षेत्र में 140 क्रशर संचालित थे। यद्यपि, सहायक खनि अभियंता टोंक को छोड़ कर किसी भी खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता ने क्रशर के स्थापन तथा संचालन कार्य एवं ट्रांजिट पास जारी करने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख संधारित नहीं किये थे।

ध्यान में लाये जाने पर, सरकार ने जवाब दिया (नवम्बर 2014) कि क्रशरों के पंजीकरण एवं ट्रांजिट पास जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। यद्यपि, समापन सभा में बताया गया कि नियमों में अस्पष्टता के कारण ट्रांजिट पास जारी नहीं किये गये जिनका सुधार नियमों में संशोधन करके किया जावेगा।

- यह भी देखा गया कि खनि अभियंता, जोधपुर (सतर्कता) के द्वारा खोजे गये एक मामले के संबंध में खनि अभियंता, जोधपुर तत्पर एवं सतर्क नहीं थे। सावकी क्षेत्र (तहसील भोपालगढ़) में स्थित क्रशर का अधीक्षण खनि अभियंता, खनि अभियंता (सतर्कता) एवं सर्वेक्षक (खनि अभियंता, जोधपुर) के एक सतर्कता दल ने निरीक्षण (1 मार्च 2013) किया।

सतर्कता दल को 5,700 मै.टन मुंगिया एवं 500 मै.टन रियोलाईट खनिज साईट पर मिला। इसके अतिरिक्त सतर्कता दल ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि क्रशर साईट के नजदीक 2 पिटों जिनका माप 75X22X9 मीटर एवं 30X22X9 मीटर था, से खनिज उत्खनित किया गया। सतर्कता दल ने 1 मार्च 2013 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तथापि आज तक, अवैध रूप से निर्गमित खनिज की मात्रा की गणना की कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

[8] डूंगरपुर, जोधपुर, नागौर, रामगंजमण्डी एवं टोंक।

सम्बन्धित खनि अभियंता ने दो वर्ष के बीत जाने के बाद भी अवैध रूप से निर्गमित खनिज की न तो मात्रा का निर्धारण किया गया, न ही 35,306 मै.टन खनिज की राशि ₹ 60.02 लाख की मांग कायम की गयी।

ध्यान में लाये जाने के पश्चात् समापन सभा में बताया गया कि मामलों की जांच की जावेगी।

7.4.14.3 अधिशुल्क अदा किये बिना खनिज चुनाई पत्थर का निर्गमन

सरकार ने राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में नियम 63(ए) को जोड़ कर (14 अक्टूबर 2011) बेकार खनिज के उठाये जाने पर ₹ 10 प्रति मै. टन की दर से अधिशुल्क एवं अनुमति शुल्क अग्रिम भुगतान कर, अल्प अवधि अनुमति पत्र लेना अनिवार्य किया।

खनि अभियंता, बिजौलिया कार्यालय के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि (जून 2014) आयामी बलुआ पत्थर के लिए स्वीकृत खदानों में आयामी बलुआ पत्थर के साथ निकलने वाला चुनाई पत्थर खदानों में बेकार रूप से पड़ा था। इस प्रकार खनिज चुनाई पत्थर, व्यक्तियों द्वारा एस.टी.पी. जारी कराये बिना अथवा बिना किसी प्रकार का शुल्क या अधिशुल्क अदा किये खदानों से निर्गमित किया गया। खनि अभियंता, बिजौलिया ने बताया (जून 2014) कि स्वीकृत एवं बन्द खदानों के मलबे से उठाये जाने वाले चुनाई पत्थर से प्रतिवर्ष ₹ 2.95 करोड़ अधिशुल्क की अपवंचना हो रही है। इस प्रकार 14 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2013 तक की अवधि में ₹ 4.33 करोड़ की राजस्व हानि हुई। विभाग को इस प्रकार की हानि से बचने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता है।

समापन सभा में (11 नवम्बर 2014) अवगत कराया गया कि नये अधिशुल्क संग्रहण के ठेके में बेकार चुनाई पत्थर के निर्गमन पर अधिशुल्क राशि भुगतान करने की शर्त जोड़ी जावेगी।

अल्पावधि अनुमति पत्र

7.4.15 सार्वजनिक निर्माण ठेकेदारों के द्वारा खनिजों का अनधिकृत उत्खनन एवं उपयोग

राज्य सरकार के 8 अक्टूबर 2008 के परिपत्र के अनुसार सार्वजनिक निर्माण ठेकेदार निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाले खनिजों के लिए सम्बन्धित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता से अल्पावधि अनुमतिपत्र प्राप्त करेगा। अल्पावधि अनुमतिपत्र के बिना खनिजों के उपयोग पर सम्बन्धित निर्माण विभाग, बिना एस.टी.पी. के प्रयोग किये गये खनिज की कीमत ठेकेदार से वसूल कर जमा कराने हेतु उत्तरदायी होगा।

खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के सात कार्यालयों[9] में संधारित लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को जारी अल्पावधि अनुमति पत्रों तथा कार्य आदेशों की 'जी शेड्यूल'[10] के प्रति सत्यापन के दौरान (जुलाई 2013 से मार्च 2014) पाया गया कि 75 ठेकेदारों ने या तो अल्पावधि अनुमतिपत्र के बिना या अल्पावधि अनुमतिपत्र पत्र में अधिकृत मात्रा से 25 प्रतिशत अधिक खनिजों जैसे चुनाई पत्थर, बजरी, मुर्रम, साधारण मिट्टी इत्यादि का उत्खनन/उपयोग किया। अवैध रूप से उत्खनित खनिज की कीमत राशि ₹ 8.33 करोड़ बनती है। विभाग ने सम्बन्धित ठेकेदारों से राशि वसूली के लिये सम्बन्धित विभाग के साथ मामला नहीं उठाया।

प्रकरण को बताये जाने पर राज्य सरकार ने (नवम्बर 2014) प्रत्युत्तर दिया कि ठेकेदारों से राशि वसूली के लिये सम्बन्धित विभागों से कहा जावेगा। वसूली हेतु आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

7.4.16 अवैध खनन करना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 एवं भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत खनन की बकाया राशि वसूल की जा सकती है।

ग्यारह खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं से एकत्रित की गयी सूचनाओं से पाया कि 1.24 करोड़ मै.टन खनिज कीमत राशि ₹ 162.46 करोड़ के 1,931 अवैध खनन के मामले विभाग के ध्यान में आये। विभाग कुल खनिज कीमत राशि का केवल पांच प्रतिशत वसूल कर सका तथा शेष राशि ₹ 154.32 करोड़ की अवसूली रही। वर्षवार स्थिति निम्न प्रकार थी:

इकाइयों की संख्या	वर्ष	प्रकरणों की संख्या	खनिज की मात्रा (हजार मै. टन)	प्रशमन शुल्क के साथ वसूली योग्य कीमत (₹ करोड़)	बकाया वसूली योग्य राशि (₹ करोड़)
11	2009-10	503	13	0.39	शून्य
	2010-11	460	1,676	25.21	23.04
	2011-12	240	10,604	130.61	128.83
	2012-13	728	191	6.25	2.45
योग		**1,931**	**12,484**	**162.46**	**154.32**

प्रकरण को बताये जाने पर राज्य सरकार ने (नवम्बर 2014) प्रत्युत्तर दिया कि या तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 प्रावधानों के अन्तर्गत या फिर भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

[9] अजमेर, बिजौलिया, डूंगरपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर एवं सीकर।
[10] लागत का सारांश।

7.4.17 वन क्षेत्र में अवैध खनन

प्रमुख सचिव, खान एवं पेट्रोलियम, जयपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि (अप्रैल 2014) खनि अभियंता, कोटा के क्षेत्राधिकार में वन क्षेत्र के नजदीक 23 खनन पट्टे स्वीकृत थे। यह देखा गया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, इन्द्रगढ़ ने उप वन अधिकारी को सूचित किया (9 अगस्त 2011) कि 10 खनन पट्टेधारियों ने 2.03 लाख मै. टन चुनाई पत्थर कीमत राशि ₹ 3.45 करोड़ वन क्षेत्र के सुरक्षित क्षेत्र से उत्खनन कर निर्गमित किया जोकि स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर था। इसके उपरान्त भी, खनि अभियंता, कोटा के द्वारा खनन पट्टों को खंडित करने की या फिर उत्खनित खनिज की कीमत वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी।

प्रकरण सरकार (सितम्बर 2014) के ध्यान में लाया गया, जिसका कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

7.4.18 मकराना में संगमरमर के खनन के लिए नई नीति का निर्माण

राजस्थान खनिज नीति 2011 के पैराग्राफ 10.31 में मकराना में मार्बल के खनन के लिए नई नीति बनाने की व्यवस्था की। हालांकि खनिज नीति 2011 के लागू होने के तीन वर्ष से ज्यादा व्यतीत होने के पश्चात् भी मकराना में मार्बल के खनन के लिए कोई पृथक नीति नहीं बनाई गयी तथा बगैर ऐसी नीति के खनन कार्य जारी था।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि प्रकरण विभाग के समक्ष विचाराधीन है। समापन सभा में (11 नवम्बर 2014) यह अवगत कराया कि पूर्व नीति मुकदमेबाजी के कारण लागू नहीं हो सकी।

7.4.19 अल्पावधि अनुमति पत्रों के प्रकरण के अधिशुल्क निर्धारणों में नियंत्रित प्रणाली का अभाव

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 63(6) के अनुसार अल्पावधि अनुमति पत्र की अवधि समाप्ति के 15 दिनों के भीतर अल्पावधि अनुमति पत्रधारी खनिजों के वास्तविक उत्खनन/निर्गमन के अभिलेख प्रस्तुत करने के लिये जिम्मेदार होगें। राज्य सरकार ने 8 अक्टूबर 2008 एवं 15 नवम्बर 2011 को निर्माण कार्य में उपभोग लिये गये खनिजों के अधिशुल्क निर्धारण के लिये आदेश जारी किये।

नौ खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों[11] के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि ₹ 10.41 करोड़ अधिशुल्क राशि के 1,969 अल्पावधि अनुमति पत्र जो वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग

[11] अजमेर, भरतपुर, बिजौलिया, डूंगरपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, राजसमन्द-I एवं टोंक।

के ठेकेदारों को जारी किये गये थे, अधिशुल्क निर्धारण के लिए लम्बित पड़े थे। अभिलेखों में ऐसा प्रकट नहीं होता था कि इन अल्पावधि अनुमति पत्रों के निर्धारण हेतु कोई प्रयत्न किया गया/प्रक्रिया अपनाई गई है।

समापन सभा में बताया गया कि अल्पावधि अनुमति पत्र के निर्धारण के लिए एक साधारण प्रणाली बनायी जावेगी।

7.4.20 आन्तरिक नियंत्रण

7.4.20.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा, विभाग द्वारा बनाये गये नियमों एवं प्रणालियों का अनुसरण किया जा रहा है एवं ये राजस्व की सही वसूली हेतु पर्याप्तता को सुनिश्चित करते हैं, की जानकारी के लिये, प्रशासन के हाथ में एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (जून 2014) कि सभी इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा 2004-05 से बकाया थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा के नहीं होने पर, विभागीय प्राधिकारी, प्रणाली की कमजोरियों के बारे में अवगत नहीं थे।

प्रकरण के बताये जाने पर, सरकार ने समापन सभा में (11 नवम्बर 2014) अवगत कराया कि स्टाफ की कमी के कारण आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी एवं सेवानिवृत राज्य कर्मचारियों को नियुक्ति देकर प्रक्रिया शुरू की जावेगी।

7.4.20.2 खनन पट्टों एवं खदान अनुज्ञप्तियों का निरीक्षण

निदेशालय के 21 सितम्बर 1984 आदेश के अनुसार, प्रत्येक खनि अभियंता एवं सहायक खनि अभियंता को वर्ष के दौरान उप-खण्डों के 6 खनन पट्टों सहित कुल 48 खनन पट्टों का निरीक्षण करना है। निदेशालय के आदेश दिनांक 13 दिसम्बर 2012 के द्वारा निरीक्षण की संख्या 48 से बढ़ाकर 60 कर दी गयी।

चयनित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि चार खनि अभियंता कार्यालयों द्वारा खननपट्टों के निरीक्षण का कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया। खनि अभियंता, जोधपुर तथा खनि अभियंता, सीकर ने अपूर्ण सूचनायें प्रस्तुत की। तीन खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों ने निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से

तालिका में दर्शाया गया है:

इकाई का नाम	अवधि	निर्धारित लक्ष्य	किये गये निरीक्षण	कमी	कमी का प्रतिशत
खनि अभियंता, रामगंजमंडी	2009-13	194	66	128	66
खनि अभियंता, डूंगरपुर	2009-13	194	160	34	18
सहायक खनि अभियंता, टोंक	2009-13	194	133	61	31

जबकि, खनि अभियंता, अजमेर एवं खनि अभियंता, नागौर ने निर्धारित मापदण्ड के अनुसार निरीक्षण किये।

प्रकरण के बताये जाने पर सरकार ने (नवम्बर 2014) प्रत्युत्तर दिया कि मापदण्डों के अनुसार निरीक्षण कराने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। समापन सभा में यह भी बताया कि निरीक्षणों में कमी स्टाफ की कमी के कारण है एवं निरीक्षण के उचित अभिलेखीकरण के लिए गार्ड पत्रावलियां एवं अभिलेख संधारण के लिए निर्देशित किया जावेगा।

7.4.20.3 ठेका समय में वृद्धि नहीं होने के कारण हानि

बिजौलिया में यह देखा गया कि एक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार का पंजीयन 31 दिसम्बर 2012 को समाप्त हो रहा था, परन्तु विभाग ने ठेकेदार का पंजीयन 31 मार्च 2011 को ही समाप्त होना मानकर उसके ठेके की अवधि में वृद्धि नहीं की। विभाग द्वारा ठेका 25 मई 2011 को उसी ठेकेदार को आंवटित किया गया। अवधि 1 अप्रैल 2011 से 24 मई 2011 तक विभागीय संग्रहण द्वारा अधिशुल्क राशि ₹ 4.91 लाख की प्राप्ति हुयी। जबकि ठेके की अवधि में वृद्धि से ₹ 19.97 लाख राजस्व अर्जित हुआ होता। पंजीकरण सम्बन्धी गलती नहीं देखे जाने के परिणामस्वरूप अधिशुल्क राशि ₹ 15.06 लाख की हानि हुई।

7.4.20.4 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल के साथ समन्वय का अभाव

वायु (प्रदूषण रोकथाम एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21(4) एवं जल (प्रदूषण रोकथाम एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1974, की धारा 25 एवं 26 के अन्तर्गत एक खनन पट्टेधारी के लिए आवश्यक है कि वह राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल से 'संचालन सहमति' प्राप्त करेगा जिसमें निर्धारित अवधि में निश्चित् खनिज की मात्रा उत्खनित की जा सकती है।

खनि अभियंता, नागौर (जून 2013) के एक प्रकरण में लेखापरीक्षा ने पाया कि एक खनन पट्टेधारी को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने प्रतिवर्ष 10,000 मै. टन मात्रा खनिज चूना पत्थर उत्पादन की अनुमति दी। फिर भी, वर्ष 2011-12

में खनन पट्टेधारी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आदेश के अतिलंघन में निम्न विवरण अनुसार 16,850.350 मै.टन चूना पत्थर का उत्पादन किया:

खनिज का नाम	अवधि	अनुमत्य मात्रा (मै.टन)	उत्खनित/ निर्गमित मात्रा (मै.टन)	अवैध उत्पादन (मै.टन)	खनिज की कीमत (अधिशुल्क ×10)
चूना पत्थर	1.4.2011 से 31.3.2012	10,000	16,850.35	6,850.35	44,52,728

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा निश्चित की गयी निर्धारित उत्पादन सीमा को ध्यान रखे बिना विभाग ने रवन्ना[12] जारी किये। इस प्रकार 6,850.35 मै.टन (₹ 44.53 लाख कीमत के) अधिकृत मात्रा से अधिक खनिज के उत्पादन की अनुमति दी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खनन पट्टेधारियों के द्वारा अधिक खनिज उत्खनन करने पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को सूचित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अनुमति के बिना 6,850.35 मै.टन उत्पादन हुआ। न तो विभाग ने और न ही पट्टेधारी ने अवैध रूप से उत्खनित खनिज के नियमितिकरण हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के समक्ष यह प्रकरण उठाया।

उपरोक्त तथ्य बताते हैं कि विभाग को राजकीय राजस्व की सुगम एवं तुरन्त वसूली के लिये आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना चाहिये।

7.4.21 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने खनन पट्टे आवंटन के साथ ही खनन कार्य करने के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये। संशोधित राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 जो कि 19 जून 2012 को लागू हुए, के अनुसार प्रत्येक खनन पट्टेधारी/अनुज्ञप्तिधारी/अल्पावधि अनुमति पत्र धारक को अनुमोदन के लिए खनन योजना/सरलीकृत खनन स्कीम सम्बन्धित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को प्रस्तुत करनी आवश्यक है। संशोधित नियमों में व्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण हितैषी खनन के लिये प्रावधान जोड़े गये। अप्रधान खनिजों से राजस्व प्राप्तियों के स्वरूप में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गयी जो 2009-10 में ₹ 420.42 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 858.41 करोड़ हो गई। फिर भी निम्न क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण की जरूरत है।

- 9,515 खनन पट्टेधारियों/खदान अनुज्ञप्तिधारियों में से 4,195 खनन पट्टेधारियों/खदान अनुज्ञप्तिधारियों ने खनन योजनायें/सरलीकृत खनन स्कीमें प्रस्तुत नहीं की। इसके अतिरिक्त 1,513 खनन योजनायें/सरलीकृत खनन स्कीमें

[12] रवन्ना का अर्थ है खानों से खनिज को हटाने या भेजने के लिए एक प्रेषण चालान।

अनुमोदन हेतु बकाया थी। *सरकार, खनन योजनाओं/सरलीकृत खनन स्कीमों को समय पर प्रस्तुत करने एवं अनुमोदन करने तथा उसके उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये व्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण हितैषी खनन संचालन एवं खनित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए निगरानी व्यवस्था बना सकती है।*

- खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के लिए निदेशालय से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निरीक्षणों में कमी होने से उचित अधिशुल्क निर्धारण पर विपरीत प्रभाव पड़ा। *विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि मापदण्डों के अनुसार निरीक्षण किये जावें तथा इनका उचित अभिलेख भी रखा जावे।*

- कई स्थानों पर अवैध खनन बिना रोक-टोक के जारी थे। खनन क्रियाकलापों के प्रकरणों के सम्बन्ध में निरीक्षण, अन्वेषण तथा प्रतिवेदन देने के लिए सरकार/विभाग द्वारा समितियां बनाई जानी थी। समितियों के गठन में देरी के प्रकरण थे। ऐसे भी मामले थे जिनमें समितियां अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विफल रही या विभाग द्वारा समितियों के प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

 सरकार, भू-राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 को और अधिक प्रभावी रूप से लागू करते हुए अवैध खनन की रोकथाम एवं खोज करने की प्रणाली को सुदृढ़ कर सकती है।

 सरकार, समितियों के गठन की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। सरकार, ऐसी समितियों के प्रतिवेदनों के समय पर प्रस्तुतिकरण के साथ-साथ की गयी सिफारिशों पर शीघ्र कार्यवाही भी कर सकती है।

- खनन पट्टेधारी को खनन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से 'सहमति पत्र' लेना आवश्यक है जिसमें पर्यावरण हितैषी खनन कार्य के मानक निर्धारित हैं, जैसे कि जल एवं वायु में प्रदूषकों की अनुमत्य मात्रा, निर्धारित अवधि में खनिज उत्पादन की अधिकतम सीमा इत्यादि। निर्धारित मापदण्डों की अनुपालना की निगरानी न तो खान विभाग और न ही राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के स्तर पर की गई। *सरकार द्वारा पर्यावरण हितैषी खनन हेतु निर्धारित मापदण्डों की पालना को सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली बनाई जा सकती है।*

7.5 अधिशुल्क की अवसूली/कम वसूली

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(2) के अनुसार खनन पट्टाधारी किसी खनिज को खनिज क्षेत्र से हटाने या उपभोग करने पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के परिशिष्ठ 2 में वर्णित दर से खनिज पर देय अधिशुल्क का भुगतान करेगा।

खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 27(1)(आई) एवं (जे) के अनुसार खनन पट्टेधारी, खान से सभी प्रकार के खनिजों की मात्रा तथा निर्गमन के आंकड़े बताते हुये सही एवं विश्वसनीय लेखे रखेगा। खनन पट्टाधारी खनन कार्य के दौरान खनन क्षेत्र में उसके द्वारा किये गये सभी ट्रेन्चेज, पिट्स एवं ड्रीलिंग का सही-सही रिकॉर्ड रखेगा।

खनि अभियंता, आमेट के रियायत पत्रावलियां, निर्धारण पत्रावलियां एवं पट्टेधारी द्वारा खनन योजना में प्रस्तुत पिट एवं ट्रेन्चेज की मापक जांच एवं प्रति सत्यापन के दौरान यह ध्यान में आया (जनवरी 2014) कि खनन पट्टा (संख्या 27/2005 एवं 35/2003) खनिज क्वार्ट्ज एवं फैल्सपार के लिये, श्री अशोक कुमार जैन के पक्ष में प्रभावी था। पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की जांच में यह ध्यान में आया कि पट्टेधारी द्वारा, खनि अभियंता द्वारा अधिशुल्क के भुगतान के लिये निर्धारित खनिज की मात्रा से अधिक खनिज का उत्खनन एवं निर्गमन किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.46 करोड़ अधिशुल्क की कम वसूली हुई,

जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	खनन पट्टा संख्या	अवधि	खनिज का नाम	लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित उत्खनित/निर्गमित मात्रा (मै.टन)	खनि अभियंता द्वारा निर्धारित मात्रा जिस पर अधिशुल्क का भुगतान किया (मै.टन)	खनिज की दर प्रति मै.टन	अधिशुल्क की दर (प्रतिशत में)	कुल अधिशुल्क (5x7 x8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	27/05	2003-04 से 2009-10	निम्न श्रेणी पेग्माटाईट	44,479	0	250	12	0.13
			क्वार्ट्ज	22,239	507	250	15	0.08
			फैल्सपार	1,11,198	16,347	250	12	0.28
2.	35/03	2005-06 से 2009-10	निम्न श्रेणी पेग्माटाईट	1,68,241	0	250	12	0.51
			क्वार्ट्ज	84,121	4,232	250	15	0.30
			फैल्सपार	4,20,605	34,678	250	16	1.16
योग								**2.46**

प्रकरण विभाग के (फरवरी 2014) ध्यान में तथा सरकार को प्रतिवेदित (मई 2014) किया गया। सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के आदेश दिनांक 14 मई 2007 से एक कमेटी का गठन कर दिया गया है एवं कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् आगे कार्यवाही की जावेगी। हालांकि तथ्य यह रहते हैं कि विभाग 2003-04 से अधिशुल्क के कम भुगतान को पकड़ने में विफल रहा।

7.6 अधिक अधिशुल्क एवं उस पर ब्याज की वसूली का अभाव

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(2) के अनुसार खनन पट्टाधारी या उसके एजेन्ट, मैनेजर, कर्मचारी, ठेकेदार या उप-पट्टेधारी द्वारा किसी खनिज को खनिज क्षेत्र से हटाने या उपयोग करने पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के परिशिष्ट 2 में वर्णित दर से खनिज पर देय अधिशुल्क का भुगतान करेगा। सरकार द्वारा अप्रेल 2000 में निर्देश जारी कर प्रावधान किया गया कि सक्षम प्राधिकारी मासिक आधार पर खनिज के निर्गमन पर अधिशुल्क की गणना करेगा, उसकी मांग कायम कर वसूली की कार्यवाही करेगा। आगे, खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 64(ए) के अनुसार खनन पट्टेधारी को विलम्ब से भुगतान करने पर नियत तिथि के 60वें दिन से 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से सरल ब्याज का भुगतान करना होगा।

खनि अभियन्ता, नागौर के मांग पंजिका एवं निर्धारण पत्रावलियों की मापक जांच के दौरान यह ध्यान में आया (जून 2013) कि दो खनन पट्टों का निर्धारण एक वर्ष चार माह से चार वर्ष के बाद किया और अधिक अधिशुल्क की मांग को गलती से आगे की अवधि के लिये जारी रवन्ना के लिये प्राप्त राशि के साथ समायोजित होना पाया गया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 95.19 लाख अधिक अधिशुल्क की कम वसूली हुई जिस पर 31 मार्च 2013 तक ब्याज ₹ 36.73 लाख भी वसूलनीय था, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

(₹ लाख में)

पट्टेधारी का नाम	खनन पट्टा संख्या	निर्धारण की अवधि	निर्धारण तिथि	अधिक अधिशुल्क	विलम्ब दिनों में (60वें दिवस से)	ब्याज वसूलनीय
राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि.	1/99	20.6.2008 से 19.6.2011	4.10.2012	64.38	591	25.02
एम.डब्ल्यू. माईन्स (प्रा.) लि.	1/88	3.7.2010 से 2.7.2011	8.1.2013	30.81	578	11.71
योग				**95.19**		**36.73**

प्रकरण विभाग के (जुलाई 2013) ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित (मई 2014) किया गया। सरकार ने (अक्टूबर 2014) प्रत्युत्तर दिया कि दोनों प्रकरणों में शेष राशि को जमा कराने के लिये चेतना पत्र जारी कर दिये गये एवं एम.डब्ल्यू. माईन्स (प्रा.) लि. द्वारा ₹ 30.44 लाख जमा करा दिये गये।

(एस. आलोक)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

जयपुर
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक

परिशिष्ट

(सन्दर्भः अनुच्छेद संख्या 6.4.6; पृष्ठ 79-80)

स्टॉक पंजिकाओं में विसंगतियांः

- आबकारी प्राधिकारियों द्वारा स्टॉक पंजिकाओं में की गयी प्रविष्टियों को प्रमाणित नहीं किया गया।
- अनुज्ञाधारियों ने विभिन्न ब्राण्ड्स की न पीने योग्य बीयर की 1,717 बोतलों का उनकी प्राप्ति के छः माह बाद विक्रय किया।
- अनुज्ञाधारियों की स्टॉक पंजिकाओं में वर्ष के दौरान न पीने योग्य बीयर को स्टॉक में दर्शाया गया परन्तु विभाग द्वारा ऐसी बीयर के नष्टीकरण हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं किया जाना पाया गया।
- नौ अनुज्ञाधारियों ने 18,840 मि.लि. आई.एम.एफ.एल. तथा 613 बोतल बीयर 'शुष्क दिवसों' में आगन्तुकों को विक्रय की परन्तु शुष्क दिवसों में विदेशी पर्यटकों तथा आगन्तुकों को परोसी गयी शराब के खाते की पृथक पंजिका संधारित नहीं किया जाना पाया गया।
- तेरह अनुज्ञाधारियों द्वारा विभिन्न दिनांकों पर स्टॉक पंजिकाओं में गलत प्रविष्टियां की गयी जिसके फलस्वरूप वास्तविक प्राप्ति या विक्रय के बिना स्टॉक स्थिति में कमी या वृद्धि हुई।
- ग्यारह अनुज्ञाधारियों ने गत माह के अंतिम शेष की उपेक्षा करते हुए प्रारंभिक शेष की प्रविष्टियां, मात्रा से या तो आधिक्य में या कम दर्ज की।
- आमेट हवेली, उदयपुर की स्टॉक पंजिका में प्रविष्टियां पेंसिल से किया जाना पाया गया।
- आबकारी अधिकारियों की अनुमति के बिना स्टॉक पंजिका में दर्ज की गई प्रविष्टियों में कांट-छांट, अभिलेखन, फ्लूड द्वारा संशोधन व छेड़छाड़ की गयी।
- अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण के समय शराब की स्टॉक स्थिति का अप्रस्तुतीकरण।
- होटल सरोवर पोर्टिको व पार्क इन जयपुर की स्टॉक पंजिकाओं से विभिन्न दिनांकों पर 1,188 बोतल बीयर जारी किया जाना दर्शाया गया परन्तु बार पंजिका में केवल 312 बोतल दर्ज की गयी फलतः विभिन्न ब्राण्ड की 876 बोतल बीयर का सीधे या गैर कानूनी विक्रय हुआ।
- चार अनुज्ञाधारियों ने आर.एस.बी.सी.एल. से क्रय की गयी 2,328 बोतल बीयर व 45 बोतल आई.एम.एफ.एल. को स्टॉक में नही दिखाया।

- होटल लक्ष्मी विलास, उदयपुर ने आर.एस.बी.सी.एल. से दो ब्राण्ड की आई.एम.एफ.एल. क्रय की परन्तु पांच अतिरिक्त ब्राण्ड की स्टॉक पंजिका में प्रविष्टि कर ली।
- दो अनुज्ञाधारियों के मामले में क्रय की दिनांक से पूर्व ही शराब की प्रविष्टि स्टॉक पंजिका में कर ली।
- होटल उदय विलास, उदयपुर द्वारा क्रय की प्रविष्टि देरी (6 से 14 दिन) से स्टॉक पंजिका में की गयी।
- होटल राजपुताना व स्वीट ड्रिम्स, जयपुर के मामले में बार का निरीक्षण आबकारी नियमपुस्तिका में निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं किया गया तथा निरीक्षण क्रमशः दो व चार वर्षों में केवल एक बार किया गया।